सर्व शिक्षा अभियान

परसपेक्टिव प्लान

वर्ष 2002–2007

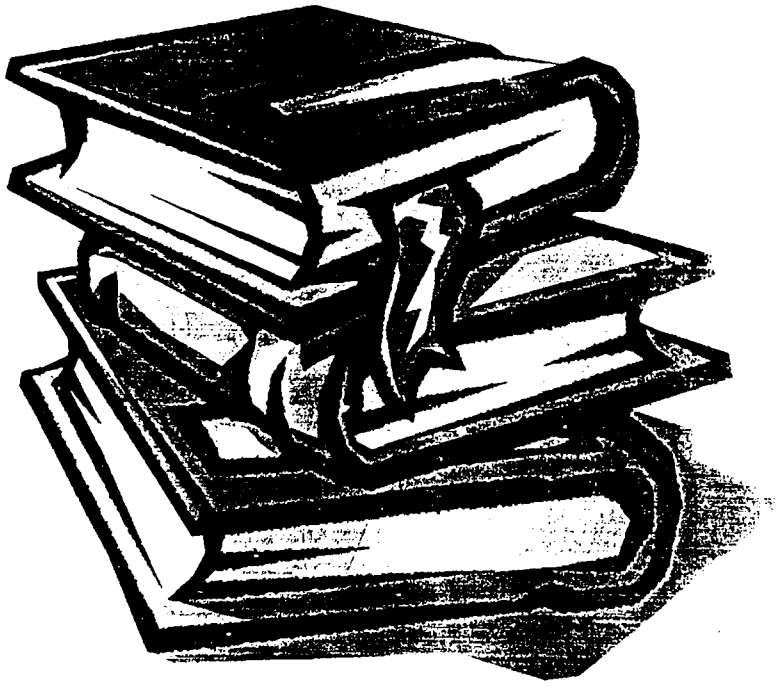

जनपद पीलीभीत

सर्व शिक्षा अभियान, पीलीभीत ।

अनुक्रमणिका

क0सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
01	जिले की पृष्ठभूमि	01 से 04 तक
02	शैक्षिक परिदृश्य	05 से 11 तक
03	नियोजन प्रक्रिया	12 से 17 तक
04	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्य	18 से 21 तक
05	समस्यायें एंव रणनीतियां	22 से 27 तक
06	शिक्षा की पंहुच का विस्तार ।(नवीन विद्यालय)	28 से 29 तक
07	शिक्षा की पंहुच का विस्तार ।।(EGS/AIE)	30 से 63 तक
08	ठहराव में वृद्वि	64 से 77 तक
09	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	78 से 117 तक
10	परियोजना प्रबन्धन एंव अनुश्रवण	118 से 141 तक
11	परियोजना लागत तालिका	142 से 148 तक

अध्याय-1

जनपद की पृष्ठभूमि ,

बरेली मण्डल में स्थित जनपद पीलीभीत उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है: जिसकी सीमा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से नेपाल देश को स्पर्श करती है । पश्चिम में बरेली जनपद, दक्षिण में शहीदों की नगरी शाहजहांपुर व पूरब में लखीमपुर खीरी जनपद आते हैं। उत्तर में नव गठित उत्तरांचल राज्य का जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित है ।

पीलीभीत जिले का गठन सन 1904 में हुआ था । इस जिले का नाम 'पीरिया' नामक बंजारा जन-जाति के नाम से लिया गया है एवं भीत का अर्थ है - दीवार । पीरिया बंजारे अपने कुटुम्ब के साथ अपने घरों को बनाकर रहते थे । घरों की सुरक्षा हेतु उनके चारों ओर उन्होंने एक चौड़ी एवं पीली दीवार का निर्माण कराया था जिससे बस्ती पीलीभीत कहलाती थी। उसी बस्ती के नाम के आधार पर जनपद का नाम पीलीभीत पड़ा। दसवीं शताब्दी के अंत में चिन्द्रा परिवार की महारानी इस जिले के पूर्व भाग में शासन करती थी। इस बात का साक्ष्य पुरानी दीवार के ऊपर लिखी बातें हैं । जनपद पीलीभीत के उपलब्ध इतिहास के अनुसार रोहिला वंशज अठारहवी शताब्दी में यहां शासन करते थे। पीलीभीत का क्षेत्र रोहिला सरदार हाफिज रहमत खां के रूप में भी जाना जाता था । हाफिज रहमत खां सन 1774 में शाहजहांपुर जिले के मीरानपुर कटरा नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद हो गये थे।

जनपद पीलीभीत में तीन तहसील एवं सात विकास खंड है। ये तहसीलें हैं - पीलीभीत, बीसलपुर एवं पूरनपुर । बीसलपुर एवं सदर तहसीलों में प्रत्येक में तीन-तीन विकास खण्ड है, जबकि पूरनपुर तहसील में मात्र एक विकास खण्ड है जो पूरनपुर के नाम से ही जाना जाता है। इस प्रकार जिले में कुल सात विकास खण्ड हैं जो निम्न प्रकार हैं :- 1.मरौरी 2. अमरिया 3. लालौरीखेड़ा 4. पूरनपुर 5.बरखेड़ा 6.बिलसन्डा 7. बीसलपुर।

उपरोक्त में प्रथम तीन विकास खण्ड पीलीभीत सदर तहसील में व अन्तिम तीन विकास खण्ड बीसलपुर तहसील में आते है।

इस जिले में कुल 73 न्याय पंचायतें, 563 ग्राम पंचायतें और 1349 ग्राम हैं, इनमें 09 बनगांव भी सम्मिलित है ।

सारणी 1.1

जिले की प्रशासनिक इकाइयां

तहसील	03
विकासखण्ड	07
न्याय पंचायत	73
ग्राम सभायें	563
राजस्व गांव	1349
बस्तियों की संख्या	1210
नगरीय क्षेत्र	09
नगर निगम	-
नगर महापालिका	-
नगर पालिका	03
टाउन एरिया	06
वार्ड	-

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका जनपद पीलीभीत,1997

जनपद पीलीभीत की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है । जनपद में चार चीनी मिल - बीसलपुर, पीलीभीत, मझोला तथा पूरनपुर में स्थापित है । बिलसन्डा, बीसलपुर, पीलीभीत तथा पूरनपुर में राइस मिल्स स्थापित है। जनपद मण्डल में धान की उपज में प्रथम स्थान रखता है।

जनपद पीलीभीत अन्तर्विषमताओं वाला जनपद है जिससे शिक्षा की प्रगति भी प्रभावित होती है। जनपद में बाराही रेंज, माला रेंज तथा महोफ रेंज वनाच्छादित है। जनपद की प्रमुख नदी देवहा है जो शहर के पश्चिम में बहती है। जनपद की सीमा विकास खण्ड पूरनपुर से होकर बहने वाली प्रसिद्ध नदी शारदा है जिससे नहरें निकालकर जनपद में सिंचाई होती है। इस नदी में वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाती है। जनपद में प्रतिवर्ष बाढ़ ग्रस्तता की समस्या उत्पन्न होती है। इससे शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती है। प्रदेश की प्रमुख गोमती नदी का उद्गम स्थल जनपद के पूरनपुर विकास खण्ड में है जिसे स्थानीय लोग गरा कहते है।

जनसंख्या

1991 की जनगणना के अनुसार पीलीभीत जिले की कुल आवादी 12.83 लाख है। इसमें 6.92 लाख महिलायें है। पुरुष महिला अनुपात 54:46 है। पीलीभीत जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2045051 है, जो कि कुल आवादी का 16 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति जनजाति 'थारू' की संख्या 1.32 हजार है। दस वर्षो में जनपद की जनसंख्या वृद्धि दर 23.86 है। ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 81.54 प्रतिशत है।

पीलीभीत मुख्य रूप से हिन्दू वाहुल्य जिला है, हिन्दुओं की कुल संख्या जिले की जनसंख्या का 74.77 प्रतिशत है। मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या द्वितीय स्थान पर है। इसका प्रतिशत 21.12 है। भारत पाक विभाजन के समय पंजाब से आये सिख तथा 1971 में वंगलादेश से आये वंगाली शरणार्थियों को जगह उपलब्ध करा देने से जिले में सिख तथा वंगाली 'पाकेट' भी वन गये हैं, जिनकी आवादी 3.9 प्रतिशत है।

सारणी 1.2

विकास खण्डवार/नगर क्षेत्रवार जनसंख्या

क्र. सं.	नाम	1991 की जनसंख्या						2001 की अनुमानित जनसंख्या						
		कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या			कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या			
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	प्रति.
1.	अमरिया	88623	77463	166086	11091	9357	20488	108120	94505	202625	13531	11464	24995	15.32
2	मरौरी	71216	61744	132960	15823	13833	29656	86884	75328	162212	19304	16876	36180	22.30
3.	ललौरीखेड़ा	56398	48332	184730	10042	8554	18596	68805	58965	127770	12251	10436	22687	17.75
4.	बरखेड़ा	64719	53750	118469	11888	9758	21646	78957	65575	144532	14503	11905	26408	18.27
5.	बिलसन्डा	68889	56229	125118	16513	13399	29912	84045	68599	152644	20146	16347	36493	23.90
6.	बीसलपुर	62214	51373	113587	8483	6812	15295	75901	62675	138576	10347	8311	18660	13.45
7.	पूरनपुर	152716	131114	283830	27047	23210	50257	186314	159959	346273	32997	28316	61313	14.81
8.	वनक्षेत्र	910	557	1467	217	144	361	1110	679	1789	[illegible]	176	441	24.65
9.	योग ग्रामीण	565685	480562	1046247	101154	85427	186211	690136	586285	1276421	123346	103831	227177	17.79
10.	नगर क्षेत्र पीलीभीत	56722	49883	106605	-	-	9437	69201	60857	[illegible]	-	-	11513	

क्र. सं.	नाम	1991 की जनसंख्या						2001 की अनुमानित जनसंख्या						
		कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या			कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या			
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	प्रति.
11	बीसलपुर	23647	20182	43829	-	-	3450	28849	24622	53471	-	-	4209	
12.	पूरनपुर	16183	14256	30439	-	-	2382	19743	17392	37135	-	-	2906	
13.	न्यूरिया हुसैनपुर	8677	7774	16451	-	-	406	10586	9484	20070	-	-	495	
14.	बिलसन्डा	4025	4216	9141	-	-	1082	6008	5143	11151	-	-	1320	
15.	जहानाबाद	5073	4572	9645	-	-	403	6189	5578	11767	-	-	492	
16.	कलीनगर	4341	3843	8184	-	-	1420	5296	4688	9984	-	-	1732	
17.	गुलडिया भिन्डारा	3267	2290	5557	-	-	390	3956	2794	6750	-	-	476	
18	बरखेडा	3841	3164	7005	-	-	275	4686	3860	8546	-	-	1336	
	योग नगर	126676	110180	236856	-	-	19245	154544	134418	288962	-	-	23479	
	महायोग	692361	590742	1283103	-	-	205456	844680	720703	156583	-	-	250656	

स्रोत- जनपद पीलीभीत की सांख्यिकी पत्रिका 1997 के आधार पर

जनगणना 2001 के अनुसार जनपद पीलीभीत की कुल जनसंख्या 1643788 है। जिसमें 876006 पुरूष तथा 767762 महिलाएं हैं। 0-6 वर्ष के बच्चों की संख्या 317032 है जो कुल आबादी का 19.2 % है। महिलाओं की संख्या प्रति हजार पर 876 है। जनपद की वार्षिक वृद्धि दर 2.5% है।

अध्याय-2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

इस जनपद में सितम्बर 1997 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.-II) परियोजना चल रही है। जिसमें शिक्षा की पहुँच का विस्तार, ठहराव, गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्रबन्ध क्षमता में विकास के विशिष्ट उद्देश्य रखे गये है। जिनका लाभ जिले में शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने में मिल रहा है। इस परियोजना में सभी वर्गों का शत प्रतिशत नामांकन, ठहराव, व गुणवत्ता में समुचित वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इस कार्य में तीव्रतर गति लाने के उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान का शुभारम्भ इस जिले में किया जा रहा है।

1991 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर 32.1 प्रतिशत है. जिसमें 17.2 प्रतिशत महिलायें एवं 44.3 प्रतिशत पुरुष साक्षर है। साक्षरता सम्बन्धी विवरण सारणी 2.1 विकास खंडवार विवरण सारणी 2.2 में दिया गया है।

सारणी 2.1

कुल साक्षरता	32.1
ग्रामीण साक्षरता	27.9
नगरीय साक्षरता	50.1
कुल पुरुष साक्षरता	44.3
कुल महिला साक्षरता	17.2

	पुरुष	महिला	योग
ग्रामीण साक्षरता	43	11.8	27.9
नगरीय साक्षरता	59	39.9	30.0

नोटः– 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 50.87 है। पुरुष साक्षरता दर 63.82 तथा महिला साक्षरता दर 35.84 है। विगत दशक में जनपद की साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

सारणी 2.2

क्रम.सं.	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर		
1.	अमरिया	30	09	19
2.	बरखेड़ा	38	09	25
3.	बीसलपुर	41	12	28
4.	बिलसन्डा	35	10	24
5.	ललौरी खेड़ा	35	08	23
6.	मरौरी	31	06	19
7.	पूरनपुर	28	09	20
8.	नगर क्षेत्र बीसलपुर	58	28	47
9.	नगर क्षेत्र पीलीभीत	45	37	40

नोटः– जनगणना 2001 के अनुसार विकास खण्डवार/नगरक्षेत्रवार साक्षरता दर का विवरण उपलब्ध नहीं है। अतः 1991 की साक्षरता दर अंकित की गयी है।

स्रोत- जनपद की सांख्यिकी पत्रिका 1997

विकास खण्डों में सबसे कम साक्षरता दर वाले विकास खण्ड अमरिया और विकास खण्ड मरौरी हैं जिनमें साक्षरता दर 19 प्रतिशत है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला विकास खण्ड बीसलपुर है जहां साक्षरता दर 28 प्रतिशत है।

जनपद की महिला साक्षरता दर 17.2 प्रतिशत है के सापेक्ष महिला साक्षरता की न्यूनतम दर वाले विकास खण्ड मरौरी, ललौरीखेड़ा, अमरिया बरखेड़ा और पूरनपुर है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला विकास खण्ड बीसलपुर है, जहां यह दर 28 प्रतिशत है। नगर क्षेत्रों में बीसलपुर की साक्षरता दर अधिक है।

जनपद पीलीभीत में प्रत्येक एक हजार दो सौ अस्सी जनसंख्या पर 1 विद्यालय है। कुल 1002 विद्यालय है।

(क) प्राथमिक नामांकन - परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक वर्ष 2000-2001 की स्थिति ई. एम.आई.एस. के अनुसार निम्नांकित सारणी 2.7 में दी गई है।

सारणी-2.7

वर्ष	6-11 आयु वर्ग की कुल संख्या			पंजीकृत छात्र संख्या			जी.ई. आर	अनुसूचित जाति			जी.ई. आर
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग		बालक	बालिका	योग	
2000-2001	105366	89933	195299	103005	89343	192348	98.49	28132	25259	53391	27.75

सारणी 2.7

जनपद का नामांकन निम्नांकित है

वर्ष	6-11 आयु वर्ग के कुल बच्चे			कुल छात्र नामांकन			अनुसूचित जाति के छात्र नामांकन		
	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका
2000.2001	195299	105366	89933	192348	103005	89343	53391	28132	25259
2001.2002	199469	107465	92004	195823	105109	90714	55613	29087	26526
2002.2003	208911	112584	96327	205157	109987	95530	58211	30199	28012

शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता

जनपद में उपलब्ध शैक्षिक संस्थाओं का विवरण सारणी 2.3 में दिया गया है।

सारणी-2.3

क्रम	विवरण	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त विद्यालय			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	980	40	1020	155	61	216	1135	101	1236	8	6	14
2.	माध्यमिक विद्यालय सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालय	..	..	..	..	2	2	..	2	2	..	..	..
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	360	12	372	25	53	78	385	65	450	.	.	.
4.	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक विद्यालय	3	7	10	23	20	43	26	27	53	.	.	.
5.	केन्द्रीय विद्यालय	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	नवोदय विद्यालय	01	.	01	.	.	.	01	.	01	.	.	.
7.	हाईस्कूल	7.	.	7.	.	16.	.	16.	23.	.39	.	.	.
8.	इण्टरमीडिएट	3.	2.	5.	25.	3.	28.	28.	5.	.33	.	.	.
9.	डिग्री कालेज	.	02	02	.	.	.	.	02	02	.	.	.
10.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	.	02	02	.	.	.	.	02	02	.	.	.
11.	विश्वविद्यालय	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	तकनीकी संस्थान (आई.आई.टी./पालीटेक्निक)	.	02	02	.	.	.	.	02	02	.	.	.
13.	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं	.	.	.	4.	3.	.7	.4	3.	.7	.	.	.

क्रम	विवरण	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त विद्यालय			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
14.	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	228	-	228	-	-	-	-	228	228	-	-	-
15.	मकतब / मदरसे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	संस्कृत पाठशालायें	03	02	05	-	-	-	3	2	5	-	-	-
17.	अन्धे व विकलांग विद्यालय	-	01	01	-	-	-	-	1	1	01	-	01
18.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	-	01	01	-	-	-	-	1	1	-	-	-
19.	बी.आर.सी.	04	03	07	-	-	-	4	3	7	-	-	-
20	एन.पी.ए.आर.सी.	73	-	73	-	-	-	73	-	73	-	-	-

स्रोत- जनपद की सांख्यिकी पत्रिका 1997

शिक्षकों की उपलब्धता

सारणी-2.4

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

जनपद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत संख्या, रिक्त पद एवं शिक्षा मित्रों की संख्या निम्नांकित है:-

	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त	शिक्षा मित्रों की संख्या
प्राथमिक विद्यालय	2508	2117	391	803
उच्च प्राथमिक विद्यालय	880	580	300	

स्रोत- विभागीय आँकड़े

विद्यालयों की उपलब्धता

जनपद में परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की उपलब्धता सारणी 2.5 में दर्शायी गई है:-

सारणी-2.5

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता/ मांग

	1 कि.मी. से कम दूरी पर विद्यालय	1 कि.मी. से अधिक किन्तु 1.5 कि.मी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 कि.मी. से अधिकम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित मांग
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है	112	687	—	-
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है	171	134	106	106 EGS

स्रोत- विभागीय आँकड़े

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता-

	3 कि.मी. से कम दूरी पर उच्च प्रा0 विद्यालय	3 कि.मी. से अधिक दूरी पर उच्च प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय / AIE
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	87	—	105
ऐसी बस्तियां की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	789	40	40

स्रोत- विभागीय आँकड़े

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता निम्न प्रकार निकाली गई है।

	ग्रामीण	नगर
वर्तमान प्राथमिक विद्यालय (ग्रामीण)	960	40
प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय (ग्रामीण)	18	02
कुल प्राथमिक विद्यालय	978	42
वर्तमान में उपलब्ध उच्च प्रा0वि0	279	12
आवश्यकता	218	1
मानक के अनुसार आवश्यकता	105	..

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें

परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवरण सारणी 2.9 में दिया गया है।

सारणी- 2.9

प्राथमिक स्तर

1-	प्राथमिक विद्यालय	- 1000 + 20 नवीन - सहायताप्राप्त -
	भवनहीन	- 20
	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	- 07
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	- 489 (25 जर्जर भवन सहित)
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	- 399
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	- 78
	पांच कक्षीय विद्यालयों की संख्या	- 05
	पांच से अधिक कक्षीय वाले विद्यालय	- 0

मरम्मत योग्य विद्यालय 195, लघु मरम्मत योग्य 106, वृहत मरम्मत योग्य 89

शौचालय - शौचालय युक्त विद्यालय 1000

हैण्ड पम्प - हैण्ड पम्प युक्त 1000

चहारदीवारी - चहारदीवारी युक्त 0, चहारदीवारी विहीन 1000

उच्च प्राथमिक स्तर

7. उच्च प्राथमिक विद्यालय- कुल विद्यालयों की संख्या-291 + 81 (नवीन) सहायताप्राप्त उच्च / इण्टर कॉलेज 22

8. भवन हीन / जर्जर 16

9. मरम्मत योग्य 50, लघु मरम्मत 28, वृहत् मरम्मत 22

10.	एक कक्षीय विद्यालय	- 01
	दो कक्षीय विद्यालय	- 05 (2 जर्जर सहित)
	तीन कक्षीय विद्यालय	- 22 (9 जर्जर भवनसहित)
	चार कक्षीय विद्यालय	- 174
	पांच कक्षीय विद्यालय	- 73
	पांच से अधिक कक्ष वाले विद्यालय	- 0

10. शौचालय - 271

11. हैण्ड पम्प - 271

12. चहारदीवारी - 24

भौतिक सुविधाओं की मांग

सारणी- 2.10

क्रम. सं.	आइटम सुविधा	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		कमी	डी.पी.ई.पी. वित्त प्राविधान	मांग	कमी	डी.पी.ई.पी. वित्त प्राविधान	मांग
1.	नवीन विद्यालय		.			.	
2.	विद्यालय पुनर्निर्माण	20	.	20	16	.	16
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष प्रतिशिक्षक/प्रति कक्षा कक्ष एवं नामांकन में वृद्धि	361	0	361	240	.	240
4.	पेयजल सुविधा	.	.	.	26	.	26
5.	शौचालय	.	.	.	10	.	10
6.	चहारदीवारी	1000	.	1000	160	.	160

स्रोत- विभागीय आँकड़े

डी0पी0ई0पी0 संचालन की अवधि में प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है :–

	1997–98	2000 –2001	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	847	1020	20
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	2559	2552	13

3 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसतन रूप से विद्यालयों की संख्या में 7 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में सफल प्रयास हुये है।

ड्राप आउट दर

वर्ष	कुल	बालिका
1998	50.9	55.2
1999	49.3	45.4
2000	33.1	35.8

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है। विगत तीन वर्ष में ड्राप आउट दर 51 प्रतिशत से घटकर 33 प्रतिशत हो गया है, जो महत्वपूर्ण है। यह और भी अधिक उल्लेखनीय है कि बालक व बालिकाओं की ड्राप आउट दर में अन्तर क्रमशः समाप्त हो रहा है।

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1997–1998	2.61	8.01
1998–1999	2.04	7.90
1999–2000	3.40	6.74

रिपीटीशन दर मात्र 3.4 प्रतिशत है तथा प्राथमिक स्तर की 5 कक्षाएं पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 6.74 वर्ष ही लग रहे है अर्थात् शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

अध्यापक–छात्र अनुपात वर्ष 2000–01 — 1 : 77

एकल अध्यापिकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष 2000–01 — 21%

छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात (2000–01) — 1:73

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुये है। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्र भी तैनात किये गये। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत में कमी आयी है किन्तु अभी भी 21 प्रतिशत विद्यालय एकल अध्यापकीय है। शिक्षामित्रों की नियुक्ति के फलस्वरूप छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ किन्तु नामांकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र–अध्यापक अनुपात 1.77 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक / शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा। यद्यपि छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात में भी में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1:73 है। इसे निर्धारित मानक 1:40 पर लाने के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

अध्याय-3

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान राज्यों की भागीदारी से समयवद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने सम्बन्धी चिर अभिलषित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान जिससे देश के प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है, का उद्देश्य 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा कोटिपरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है।

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल पद्धति से कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटि परक प्रारंभिक शिक्षा को मिशन के रूप में प्रदान करने सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने सम्बन्धी एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री-पुरुष असमानता तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गई है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा सम्बन्धी इन सभी प्रयासों में एक सूत्रता लाने का प्रयास किया गया है। ऐसे प्रयास किये जायेंगे जिनसे सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल स्तर से निचले स्तर तक कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सके। पंचायती राज संस्थाओं, निर्धारित क्षेत्रों में जनजातीय परिषदों जिनमें ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित है को स्वीकृति प्रदान करने के अलावा राज्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे गैर सरकारी संगठनों, शिक्षकों, स्वयं सेवकों, कलाकारों महिला संगठनों आदि को शामिल करके अपनी जवाबदेही के क्षेत्र का विस्तार करें।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आँकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिये इसके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994-95 में तथा दूसरा चरण 1998-2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से

सम्बन्धित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आँकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/आवश्यकताओं की पहचान की गई। सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गई।

- ग्राम में 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्रामवासियों के क्या सुझाव हैं?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र–अध्यापक अनुपात क्या है?
- क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं?
- शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से किये गये।

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्रण/शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक–युवतियों, शिक्षकों/शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गाँव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गाँव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गाँव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गाँव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गई।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री–पुरुष की जनसंख्या
4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998–99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उसे ग्राम स्तर पर ही विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गाँव स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998–2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आँकड़े एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार/बस्तीवार आँकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से अकेक्षित व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6-14 आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6-8 वर्ष तथा 9-14 वर्ष समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक-पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी हैं, पैतृक व्यवसाय में माता-पिता की सहायता करते हैं अथवा सड़क छाप बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस

प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आँकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय–7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001–2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायगा। इसके द्वारा प्राप्त आँकड़ों/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायगा।

जहाँ तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आँकड़ों का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजेक्ट एक्टीविटीज) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों का सारिणीयन व संकलन किया जायगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002–2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायगा।

स्कूल चलो अभियान–

जनपद में जुलाई 2000 में बालक-बालिकाओं के नामांकन वृद्धि को बढ़ाने व ड्राप आउट समाप्त करने के उद्देश्य से 2000-2001 में स्कूल चलो अभियान चलाया गया।

जिसके कारण शैक्षिक वर्ष 2000–2001 में बालक–बालिकाओं के नामांकन में आशानुकूल वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप जो वातावरण सृजित हुआ है। उसका लाभ सर्व शिक्षा अभियान में उठाया जायेगा। "स्कूल चलो अभियान" का विवरण नीचे दिया गया है।

"स्कूल चलो अभियान" कार्यक्रम के तहत व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। जिले में शत्–प्रतिशत नामांकन कराने का शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन ने संकल्प लिया। प्रथम चरण 01.07.2000 से 09.07.2000 तक आयोजित किया गया।

दिनांक 28.06.2000 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना अधिकारी, समन्वयक (डी.पी.ई.पी.) सहित बैठक आयोजित की गई और "स्कूल चलो अभियान" की रूप रेखा तैयार की गई।

दिनांक 05.07.2000 को जिला अधिकारी की अध्यक्षता में अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई एवं कोर ग्रुप का गठन किया गया। उक्त बैठक में "स्कूल चलो अभियान" के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये :–

1. जनपद के समस्त विकास खण्डों पर "स्कूल चलो अभियान" के लिये खण्ड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।
2. जनपद के 73 न्याय पंचायत पर "स्कूल चलो अभियान" चलाने के लिये समन्वयक एन.पी.आर.सी. को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

3. जनपद की 563 ग्राम पंचायतों पर "स्कूल चलो अभियान" के लिये ग्राम पंचायत पर वरिष्ठ अध्यापक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

यह निर्देश भी दिये गये कि शिक्षा विभाग एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण कर "स्कूल चलो अभियान" सफल बनायेंगे। इसके साथ-साथ जिला विकास अधिकारी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (बीसलपुर), जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, सचिव साक्षरता समिति, जिला सूचना अधिकारी तहसीलदार क्षेत्र का भ्रमण कर कार्यक्रम को सफल बनायेंगे।

दिनांक 06.07.2000 को पीलीभीत में विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें नगर के समस्त बच्चों, अध्यापक एवं गणमान्य व्यक्तियों, समाजसेवी संस्थाओं, पत्रकार बन्धुओं, नगर शिक्षा अधिकारी ने भाग लिया। "स्कूल चलो अभियान" रैली का प्रारम्भ मुख्य विकास अधिकारी ने झण्डा दिखाकर किया।

दिनांक 07.07.2000 को विकास खण्ड पूरनपुर में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, अध्यापक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। रैली का शुभारम्भ उप जिला अधिकारी, पूरनपुर ने हरी झण्डी दिखाकर किया। रैली के उपरान्त जिला अधिकारी ने सद्य निर्वाचित ग्राम प्रधानों/बी.डी.सी. सदस्यों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों को "स्कूल चलो अभियान" को सफल बनाने में सक्रिय योगदान देने हेतु उनका आह्वान किया।

दिनांक 07.07.2000 को विकास खण्ड मरौरी में रैली का आयोजन किया गया जिसमें खण्ड विकास अधिकारी, मरौरी एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी मरौरी, समन्वयक बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. मरौरी क्षेत्र के बच्चे एवं अध्यापक उपस्थित रहे। रैली के बाद जिला अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधानों को "स्कूल चलो अभियान" के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

दिनांक 13.07.2000 को बीसलपुर में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के प्रभारी मन्त्री माननीय श्री रामआसरे कुशवाहा ने रैली का शुभारम्भ हरी झण्डी दिखाकर किया। रैली के बाद प्रभारी मन्त्री महोदय द्वारा ग्राम प्रधानों बी.डी.सी. सदस्यों, ग्राम पंचायत सदस्यों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए "स्कूल चलो अभियान" को सफल बनाने का आग्रह किया। जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी उक्त बैठक में सभी का सहयोग प्राप्त करने हेतु आह्वान किया।

इस प्रकार दिनांक 15 जुलाई 2000 को "स्कूल चलो अभियान" का समापन किया गया एवं अभिभावकों से सम्पर्क कर बच्चों को प्राथमिक विद्यालय/पूर्व माध्यमिक विद्यालय में नामांकित कराने हेतु प्रोत्साहित किया गया। स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियाँ निम्न सारिणी में दी गई है।

स्कूल चलो अभियान

स्तर	कुल बाल गणना			उपलब्धि			अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्प संख्यक समुदाय		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
परिषदीय प्रा.वि.	163350	135309	198659	05076	90416	95492	27584	25890	53474	47097	35177	32274	25506	21713	47219
गैर मान्यता प्राप्त															
मान्यता प्राप्त				54267	43812	98079									

पूर्व माध्यमिक विद्यालय की छात्र संख्या

परिषदीय पूर्व मा.वि.	49071	33930	83001	16198	7287	23485	4066	1962	6028	9781	333	10114	1170	290	1460
गैर मान्यता प्राप्त															
मान्यता प्राप्त नि0				25345	19345	44690									

सर्व शिक्षा अभियान के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रणाली दुबारा अपनायी गई जिसमे बस्ती स्तर पर शैक्षिक योजनायें बनाने की दिशा मे कार्यवाही प्रारंभ की गई।

पीलीभीत जिले में सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना तैयार करने हेतु निम्नांकित प्रयास किये गये:-

1. नियोजन टीम का गठन - किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिये किसी न किसी स्तर पर कोई पहल करता है, इतने बड़े सार्थक उद्देश्य (सर्व शिक्षा अभियान) के लिये छः सदस्यीय नियोजन टीम का गठन किया गया।

2. बस्ती/ग्राम स्तर पर विभिन्न स्तर के कार्यकर्त्ताओं के साथ बैठकें की गई। सर्व शिक्षा अभियान को आरम्भ करने से पूर्व समुदाय की शिक्षा के प्रति क्या साध है, उसकी शिक्षा से क्या-क्या अपेक्षायें है, तथा वह इसमे किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। इन विषयों पर समुदाय की राय जानना अति आवश्यक है। बिना इसके यह शिक्षा सर्व शिक्षा हो ही नहीं सकती। एफ.जी.डी. प्रक्रिया से उन क्षेत्र विशेष की समस्याओं को ध्यान में रखकर सर्व शिक्षा का पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया जा सके। समाज में कुछ व्यक्ति होते हैं जो इस तरह के कार्यो मे बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते है, जिनको कार्यक्रम चलाने पर सम्पर्क व्यक्ति (कान्टैक्ट परसन) सोसल एक्टीविस्ट के रूप में सहयोग ले सकते है। सन्दर्भ व्यक्तियों की पहचान, स्वयंसेवी संस्थाओं की पहचान, पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की सोच, उनके सहयोग आदि की जानकारी एफ0जी0डी0 से ही हो सकी। यह कार्य एक उत्तम कोटि का पर्सपेक्टिव प्लान बनाने मे सहायक सिद्ध हुआ।

परियोजना पूर्व की गतिविधियों के अन्तर्गत जिले मे एफ0जी0डी0 टीम का गठन किया गया। उनमे वे अधिकारी/कर्मचारी भी सम्मिलित है जिन्होंने प्लान बनाने के लिए सीमेट इलाहाबाद के तत्वावधान मे आयोजित कार्यशालाओं मे प्रतिभाग किया है। इसके अतिरिक्त डी0पी0ई0पी0 के जिला समन्वयक, परियोजना अधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा), सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक बी0आर0सी0, एन0सी0आर0सी0, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि, तमाम विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों तथा जन प्रतिनिधियों से सहयाग मिला। एफ0जी0डी0

के निष्कर्षों से प्लान को आवश्यकता आधारित (नीड बेस्ड) प्लान बनाने में सहायता मिली।

प्री प्रोजेक्ट गतिविधियों के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में प्रधान, पंचायत सदस्य, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक यह सन्देश एन0पी0आर0सी0 के द्वारा गया। ग्राम शिक्षा समितियों को यह अवगत कराया गया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से समुदाय की सहभागिता पर निर्भर करता है। इसकी योजना एफ0जी0डी0 के जरिये समाज की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सूक्ष्म नियोजन 'ग्रास रूट लेविल प्लानिंग' के आधार पर निर्मित की जायेगी। योजना के निर्माण के पश्चात इसका क्रियान्वयन भी समाज के हर तबके के सहयोग से होगा। विशेषकर ग्राम पंचायतों को इसमें नियोजन/प्रबन्धन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होंगे। अनुश्रवण और मूल्यांकन सम्बन्धी भी उनकी भागीदारी होगी। स्वयंसेवी स्वैच्छिक संस्थाओं की सशक्त भागीदारी होगी ताकि वास्तविक अर्थों में यह जनता का अभियान बन सके।

शैक्षिक नियोजन विभिन्न स्तर के होते है जैसे राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन, क्षेत्रीय स्तर पर नियोजन तथा विविध स्तरीय नियोजन। यहां पर जनपद विशेष में स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर ग्रास रूट प्लानिंग के बाद जनपद स्तर पर नियोजन का स्वरूप निर्धारण किया गया है।

जनपद स्तर पर नियोजन

जनपद में डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रम विगत 3 वर्षों से संचालित है। उसी के वृहद स्वरूप में सर्वशिक्षा अभियान संचालित किया जाना है। जिन विकास एजेन्सीज से हमें डी0पी0ई0पी0 में सहयोग मिला है और जो विभाग मानव संसाधनों का सृजन करते है, उन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें की गई।

जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला बेसिक शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ बैठक, माननीय सांसद व माननीय विधायकगण के साथ बैठक, प्रमुख क्षेत्र पंचायत तथा समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षक संगठनों, अभिभावकों, विशिष्ट समूहों से विचार-विमर्श किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, एवं अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में समुदाय के सदस्यों से तथा स्वयंसेवी संगठनों से विचार-विमर्श किया गया।

नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण:

क्रम. सं.	जनपद स्तर/ब्लाक स्तर/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1.	ग्राम स्तर	15.02.2001	ललौरी खेड़ा	अधिकारी-2 महिलाप्रधान-1 बहुउद्देशी कर्मी-1 अध्यापक-1 अभिभावक-6 कुल 11	1. बिना भेदभाव के बालिकाओं की शिक्षा पर बल 2. समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की आवश्यकता 3. बालिकाओं मे विद्यालय में नामांकन 4. बालकों का विद्यालय में ठहराव बना रहे।
2.	ग्राम स्तर	15.02.2001	बदर बोक्ष	अधिकारी-1 टोले का सरदार-1 पंचायत के सदस्य-3 अभिभावक-4 कुल (9)	1. जनजातीय वर्ग मे शिक्षा के प्रति जागरूकता मे कमी है। 2. शिक्षा से अन्धविश्वास मिटाना चाहते हैं। 3. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता है।
3.	ग्राम स्तर (वि.ख. पूरनपुर)	16.02.2001	बूदी बोक्ष	अधिकारी-1 पंचायत के सदस्य-2 अभिभावक-5 कुल (8)	1. जनजातीय वर्ग मे बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिये जाने की आवश्यकता। 2. सामाजिक रूढ़ियों, अन्ध विश्वास प्रगति में बाधक है. शिक्षा से ही इन्हें दूर किया जा सकता है।
4.	गमिया महराई ग्राम स्तर (पूरनपुर)	16.02.2001	गमिया महराई	अधिकारी-2 अध्यापक-3 प्रधान-1 अभिभावक-10 कुल (16)	1. बंगाली समाज मे स्थान विशेष मे शिक्षा के सभी साधनो के बावजूद शिक्षा ग्रहण करने मे उत्साह नही है। 2. अभिभावक बालिकाओं का नामांकन विद्यालयों में नहीं कराते। 3. शिक्षा के साथ-साथ कार्यानुभव सम्बन्धी कौशल सिखाना चाहते है। 4. लिंग भेद समाप्त करना चाहते है।

क्रम. सं.	जनपद स्तर/ब्लाक स्तर/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
5.	ग्राम स्तर (वि.ख. पूरनपुर)	16.02.2001	वनगाँव	ग्रामवासी-10 अधिकारी-02 कुल (12)	1. मेहनत मजदूरी करने के कारण शिक्षा के लिए समय नहीं मिल पाता है। 2. पूरे समय विद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण नही कर सकते। 3. शिक्षा के साथ दस्तकारी सम्बन्धी शिक्षा भी दी जानी चाहिए।
6.	जनपद स्तर	16.02.2001	पीलीभीत	जिला पंचायत अध्यक्ष -1 जिला पंचायत अधिकारी-1 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-1 वित्त एवं लेखा अधिकारी (बेसिक)-1 कुल (04)	1. शिक्षा में गुणवत्ता परक सुधार अपेक्षित। 2. जिन बस्तियों में विद्यालय नही है वहाँ के बच्चों के लिए विद्यालय खोलना/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलना। 3. बंगालियों कालोनियों में शिक्षा की व्यवस्था। 4. बाढ़ ग्रस्त इलाकों में शिक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना। 5. ईट भट्टा में कार्यरत बाल श्रमिकों के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था करना। 6. वन गाँव में रहने वाले बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी समस्यायें।।
7.	चटर्वोला (ग्राम स्तर) वि.ख. बिलसंड	18.02.2001	चरखोला	अधिकारी-3 अध्यापक-3 अभिभावक-6 ग्राम स्तर-3 कुल (15)	1. आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन 2. शिक्षा की उपदेशिता संदिग्ध है। 3. भौगोलिक कठिनाई जैसे नदी नाले जंगल आदि के कारण शिक्षा मे अवरोध।
8.	ग्राम स्तर	18.02.2001	अमरा कराड़ (बीसलपुर)	प्रधान-1 बी.डी.सी. सदस्य-1 अभिभावक-10 अधिकारी-1 कुल (13)	1. विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का अभाव जैसे- फर्नीचर बिजली आदि। 2. शौचालय पेयजल एंव चहारदीवारी की कमी।

क्रम. सं.	जनपद स्तर/ब्लाक स्तर/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो [illegible] उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
9.	ग्राम स्तर	18.02.2001	जोगीठेर (बरखेड़ा)	अध्यापक-4 अभिभावक-2 अधिकारी-1 कुल (7)	1. शिक्षा के प्रति [illegible] बच्चों में जागरूकता अभाव। 2. बच्चों के व्यक्तिगत रूचि कमी। 3. शिक्षक की व्यवहार कुशल एवं व्यक्तित्व में कमी।
10.	ग्राम स्तर	19.02.2001	सरायसुन्दरपुर (मरौरी)	अधिकारी-2 प्रधान-1 पंचायत सदस्य-2 अभि-4 कुल (9)	1. गरीबी के कारण छात्रों के पास पाठ्य पुस्तकों [illegible]। 2. अध्यापकों का [illegible] अनुसार [illegible] होना। 3. विद्यालय का [illegible] न होना। 4. अध्यापक से अन्य [illegible] का काम कराना।
11.	ग्राम स्तर	21.02.2001	[illegible] ([illegible])	अधिकारी-1 प्रधान-1 पंचायत सदस्य-2 अभि-1 कुल (5)	1. अध्यापक का [illegible] ठहराव। 2. अध्यापक में शिक्षण [illegible] में अरूचि।
12.	बीसलपुर	[illegible].02.2001	[illegible]	अध्यक्ष नगरपालिका-1 शिक्षा अधि.-1 अभिभावक-20 अधिकारी-2 कुल (24)	अध्यापकों/अभिभावक [illegible]
13.	पूरनपुर	[illegible]	[illegible]	अध्यक्ष-1 शिक्षा अधि.-1 नागरिक-2 अधिकारी-2 अभिभावक-1 कुल (7)	[illegible] बच्चों [illegible] व्यवस्था। [illegible] अभिभावकों के [illegible] शिक्षा के प्रति [illegible] अभाव।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपातिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता हैं। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु क्रमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों [illegible] स्थापना हेतु ग्राम [illegible] सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है [illegible] पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय [illegible] सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% न्यूनतम उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 [illegible] प्रति छात्र की दर से [illegible] योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरित कराया जाता है।

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (ट्रायसाइकल, बैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों / संयंत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ०प्र० जल निगम / यू.पी. एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की कीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/- प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

[illegible] शिक्षा [illegible] [illegible] समन्वय स्थापि[illegible] [illegible] [illegible] स्थापित [illegible] [illegible] आयेगा।

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है :-

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व [illegible] में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

[illegible] राष्ट्रीय लक्ष्यों को [illegible] के लिये भी [illegible] गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण [illegible] में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना – 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना – 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षों में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 3.5 % है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इसके आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण / नगरीय, अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट रेशियो मेथड' से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा [illegible] बाल संख्या [illegible] वर्ष के लिए [illegible] प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) [illegible] वर्ष 2003 [illegible] तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिए वर्ष 2007 तक [illegible] नामांकन का लक्ष्य रखा गया [illegible] कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज [illegible] बच्चे भी [illegible] जी०ई०आर० [illegible] 100 से अधिक रखा गया है। यह [illegible] प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 [illegible] तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 [illegible] जी०ई०आर० में [illegible] कम होगी क्योंकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे [illegible] नामांकन में बढ़ेगें।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामंकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारणी - 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

क्र०	वर्ष	6-11 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चे की संख्या	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की सख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे है (वर्षवार)	NER	बालिका + अनु जाति बालक का प्रतिशत (परिषदीय)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2001-2002	251047	230963	55832	175131	20084	92	117338
2	20002-2003	256068	243265	56949	186316	43445	95	124832
3	2003-2004	261189	261189	58088	203102	0	100	136078
4	2004-2005	266413	266413	59249	207164	0	100	138800
5	2005-2006	271741	271741	60434	211307	0	100	141576
6	2006-2007	277176	277176	61643	215533	0	100	144407
7	2007-2008	282720	282720	62876	219844	0	100	147295
8	2008-2009	288374	288374	64133	224241	0	100	150241
9.	2009-2010	294142	294142	65416	228725	0	100	153246

सारणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नांमाकन के लक्ष्य

क्र०	वर्ष	11-14 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चे	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चे	परिषदीय उच्च प्राथमिक में नामांकित बच्चे	जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे है	NER	बालिका + अनु जाति बालक का प्रतिशत (परिषदीय)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2001-2002	104463	80436	15542	64894	24027	77	43479
2	20002-2003	106552	85242	15853	69389	21310	80	46491
3	2003-2004	108683	103249	16170	87079	21845	95	58343
4	2004-2005	110857	110857	16493	94364	0	100	63224
5	2005-2006	113074	113074	16823	96251	0	100	64488
6	2006-2007	115336	115336	17160	98176	0	100	65778
7	2007-2008	117642	117642	17503	100139	0	100	67093
8	2008-2009	119995	119995	17853	102142	0	100	68435
9.	2009-2010	122395	122395	18210	104185	0	100	69804

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की प्लान संरचना में 2006 तक प्राथमिक स्तर पर तथा तथा 2007 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है उसी के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट कम करने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है ड्राप आउट ज्ञात करने के लिये अमरिया बरखेडा तथा मरौरी के 10 -10 विद्यालयों का ड्राप आउट सर्वेक्षण किया गया जिसमें ड्राप आउट दर ज्ञात की गई, जो निम्नवत् है ।

वर्ष	ड्रापआउट की दर प्राथमिक स्तर	ड्रापआउट की दर उच्च प्रा0 स्तर	ठहराव दर प्राथमिक स्तर	ठहराव दर उच्च प्रा0 स्तर
2000-01	31	14	69	86
2001-02	28	12	72	88
2002-03	24	10	76	90
2003-04	19	7	81	93
2004-05	13	5	87	95
2005-06	9	3	91	97
2006-07	0	2	100	98
2007-08	0	0	100	100
2008-09	0	0	100	100
2009-10	0	0	100	100

परियोजना के कियान्वयन के दौरान ड्राप आउट के सम्बनध में हुई प्रगति एंव अनुश्रवण प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक पृथक को-हार्ट स्टडी करायी जायेगी ।

अध्याय-5

समस्याएं एवं रणनीति

जनपद में विभिन्न स्तरों पर कराये गये फोकस ग्रुप डिस्कशन में प्राप्त विचारों के विश्लेषणोपरान्त उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष व्यवहारिक एवं सन्तुलित रणनीति बनायी गई है इसमें छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नये भवनों का निर्माण जीर्ण शीर्ण भवनों की मरम्मत हैण्डपम्प एवम् शौचालयों का निर्माण, विद्यालयों का सौन्दर्यीकरण एवं विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण का निम्नवत् प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी स्कूल के बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके ठहराव पर विशेष बल दिया जायेगा।

	समस्याएं	रणनीति
1.	आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन	बच्चों एवं उनके अभिभावकों की सोच में बदलाव लाने के लिये जन चेतना के सभी प्रयास किये जायेंगे इस कार्य में महिला मंगल दल, महिला समाख्या बाल विकास परियोजना की कार्यकत्री, ए0एन0एम0 कलाजत्था जनसम्पर्क, ग्राम शिक्षा समितियों की सहभागिता एवं जागरूक व्यक्तियों के सहयोग से अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।
2.	शिक्षा की उपादेयता संदिग्ध है	पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को जोड़ा जायेगा जिससे छात्रों को स्वावलम्बन एवं करके सीखने की आदत का विकास हो सके और आर्थिक पिछड़ापन दूर हो सके। विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिये सिलाई कढ़ाई, फलसंरक्षण, बुनाई, स्थानीय क्राफ्ट एवं नगरीय क्षेत्र एवं इससे निकट के ग्रामीण क्षेत्र में मेंहदी, फाइनआर्ट, ब्यूटीपार्लर, सिलाई कढाई, बुनाई, चटाई, निर्माण, जूट कपड़े के बैग आदि सिखाने का प्रबन्ध किया जायेगा। सिलाई शिक्षा के लिये मशीनों की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके लिये जनपद में पूर्व परियोजना, प्रौढ़ शिक्षा के जन शिक्षण निलयम कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गई है। कढ़ाई एवं बुनाई की शिक्षा परम्परागत ढंग से जनपद में पूर्व परियोजना प्रौढ शिक्षा के जन निलियम कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गई है। कढ़ाई एवं बुनाई की शिक्षा परम्परागत ढंग से न करा कर निटिंग मशीनों की

		सहायता से कराई जानी प्रस्तावित है इसके लिये उक्त परियोजना में उपलब्ध निटिंग मशीनों की मरम्मत एवं रख-रखाव विद्यालय अनुदान से कराया जायेगा।
3.	असेवित एवं मलिन बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना	1.5 कि0मी0 तथा 300 की आबादी वाले ग्रामों/बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था की जायेगी तथा 6 से 8 वर्ष के 30 बच्चों में 1 किमी0 विद्यालय से दूरी के मानक पर ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जायेंगे तथा 9 से 14 वय वर्ग के बच्चों के लिए ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। नगर क्षेत्र में द्विपाली योजना एवं किराये के भवनों में चलने वाले विद्यालय जहां छात्र संख्या कम है उन्हें असेवित मलिन बस्तियों में स्थानान्तरित कर पुनः स्थापित किया जायेगा।
4.	भौगोलिक कठिनाई जैसे नदी, नाले जंगल आदि के कारण शिक्षा में अवरोध	भौगोलिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार शिक्षा गारन्टी योजना एवम वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा केन्द्रों के खोले जाने तथा कालान्तर में मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।
5.	विद्यालयों में भौगोलिक संसाधनों का अभाव जैसे-फर्नीचर बिजली नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति के आधार पर कक्षा-कक्षों की अनुपलब्धता शौचालय, पेयजल एवं चहारदीवारी की कमी	छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा । जिन विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवन् चाहरदीवारी नहीं हैं वहां इनका निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्रा0 विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए काष्ठोपकरण की व्यवस्था उपलब्ध है।
6.	शिक्षा के प्रति अभिभावक बच्चों में जागरूकता का अभाव अभिभावक की यह सोच कि बच्चा शिक्षित होकर रोजगार से जुड़े	शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति का विकास है न कि एक मात्र रोजगार उपलब्ध कराना जबकि अभिभावक की सोच है कि बच्चा पढ़ कर नौकरी करे यथा स्थिति में रोजगार के सीमित अवसर है। इस सोच में सकारात्मक सोच पर बल दिया जायेगा।
7.	बच्चों के व्यक्तिगत रुचि में कमी	बच्चों को विद्यालय बोझ न लगे इस हेतु रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जायेगा जैसे-खेल द्वारा शिक्षा क्रियाशील आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, समाज विज्ञान चक्र को अधिक उपयोगी और सार्थक बनाकर बच्चों में रुचि उत्पन्न

		करना सांस्कृतिक एवं कलात्मक किया कलापों का समायोजन एवं क्षेत्र भ्रमण आदि का समावेष्टित किया जायेगा।
8.	शिक्षक की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में ह्रास	शिक्षक का छात्र/छात्रा के प्रति मृदु व्यवहार हो। शिक्षक की छवि छात्र/छात्रा के मस्तिष्क में सकारात्मक, गुणवत्तापरक एवं विशिष्ट प्रभावकारी हो। इस हेतु शिक्षक को प्रेरित किया जायेगा जिससे उससे विषय वस्तु के ज्ञान में लगातार वृद्धि हो तथा वह शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बना सके। शिक्षक को सामुदायिक सहभागिता हेतु व्यवहार कुशल होना होगा। इसे प्रशिक्षण में जोड़ा जायेगा।
9.	विद्यालय के छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों की कमी	ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग प्राप्त कर शिक्षण व्यवस्था सुचारु की जायेगी। 40:1 के अनुपात पर अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी। पूव मा0 वि0 में विषय अध्यापक की नियुक्ति की जायेगी जहां पर पूर्व मा0वि0 के साथ प्रा0वि0 संचालित हो सकें वहां पूर्व मा0वि0 का ही प्र0अ0 सम्पूर्ण प्रवन्ध तन्त्र का संचालन करेगा। कक्षा 1 से 8 तक का समय विभाजन चक्र होगा। कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम से भलीभांति परिचित होंगे। इस प्रकार मा0शिक्षा के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे
10.	अध्यापक से अपने विभाग के कार्यों के साथ-साथ अन्य विभाग के कार्यों का निष्पादन कराया जाना	किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही राष्ट्रीय महत्व के कार्य अध्यापकों से करावे जायें। जिससे उनके शैक्षणिक कार्य में व्यवधान न उत्पन्न हो तथा छात्र प्रत्येक दिन विद्यालय में आकर अपने कार्य को उपेक्षित महसूस न करे। अध्यापक को पठन पाठन के लिये पूर्ण उत्तरदायी बनाया जायेगा। बच्चों की प्रगति में अध्यापक की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। कमजोर छात्रों को विद्यालय अवकाश के वाद शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। एम.एल.एल. को आधार मानकर अध्यापक की सेवा पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि की जायेगी तथा प्रतिकूल प्रविष्टि पर वार्षिक वेतन वृद्धि को रोका जायेगा। इस प्रकार अध्यापक की जवावदेही सुनिश्चित की जायेगी।
11.	विद्यालय का वातावरण आकर्षक होना	बच्चों को समूह में वैठाकर शिक्षण कार्य कराने तथा समूह चर्चा हेतु विद्यालय अनुदान में 6×6 की प्लास्टिक की चटाई आवश्यकता अनुसार क्रय की जायेगी। सहायक शिक्षण सामग्री बच्चों की सहायता से तैयार की जायेगी जो पाठ के अनुरूप होगी इससे करके सीखने की क्षमता का विकास होगा। इसके

		अतिरिक्त विद्यालय प्रांगण में फूलों के पौधों वृक्षारोपण कृषि एवं बागवानी सम्बन्धी कार्य छात्रों से कराये जायेंगे। प्रत्येक कक्षा के लिये खेल कूद का सामान निर्धारित होगा। बच्चा घर पर न रहकर विद्यालय की ओर उन्मुख होगा। जब बच्चों में यह भावना जागृत होगी तो ड्राआउट की समस्या स्वतः हल हो जायेगी।
12.	गरीबी के कारण छात्रों के पास पाठ्य पुस्तकों का न होना	कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है।
13.	अध्यापकों का छात्रानुपात मानक के अनुरूप न होना	विद्यालय अध्यापकों की कमी अथवा अधिक छात्रों के कम अध्यापकों के कारण पठन पाठन में गुणवत्ता का ह्रास बना रहता है। अतः 40:1 के मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है तथा प्राथमिक स्तर पर कम से कम दो अध्यापक प्रस्तावित है। पूर्व मा.वि. में विषय अध्यापकों की कमी के फलस्वरूप गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं संस्कृत/उर्दू की शिक्षा में व्यवधान हो रहा है। बालिकाओं के लिये गृह विज्ञान के अध्यापकों का अभाव है। गुणवत्ता में वृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित है।
14.	अध्यापक का विद्यालय में कम ठहराव	अध्यापक सूचनाओं के संकलन में अधिक समय नष्ट न करे इसके लिए विभागीय सूचनायें विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटरीकृत की जायेंगी। सूचनाओं के पुष्टीकरण हेतु सम्बन्धित विद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेगी। इससे अध्यापकों का बार-बार सूचनायें बनाने एवं उसे पहुँचाने में लगने वाला समय एवं श्रम कम होगा तथा ठहराव बना रहेगा।
15.	अध्यापक की शिक्षण कार्य में अरुचि	अध्यापक की विषय वस्तु आधारित प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी इससे प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होगा और वह स्वाध्याय की ओर उन्मुख होगा। समय समय पर होने वाले प्रशिक्षण के उपरान्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसमें 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में दक्षता रोक/वार्षिकक वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी।
16.	छात्रों की गणवेशों को उपेक्षित करना	गणवेश के अभाव में विद्यालय परिवेश का अनुकूलन सम्भव नहीं है। साथ ही सामाजिक एकरूपता एवं विशिष्ट छवि का अभाव बना रहता है। प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत / नर्सरी

		विद्यालयों के छात्रों का वाह्य व्यक्तित्व अधिक मुखर लगने से अभिभावक अनायास ही परिषदीय विद्यालयों से उदासीन हो जाते हैं अतः स्वच्छ गणवेश छात्र के वाह्य व्यक्तित्व को और अधिक मुखरित करेगी।
17.	अध्यापक अभिभावकों एवं छात्रों में सामंजस्य न होना	अभिभावकों का निरन्तर अध्यापक से सम्पर्क बना रहे इस हेतु त्रैमासिक अभिभावक सम्मेलन कराया जायेगा। जिसमें अधिकतर महिलाओं / विशेष कर अपवंचित/उपेक्षित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी। इस सम्मेलन में कोटि परक शिक्षा पर बल दिया जायेगा तथा उनके विचारों / समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर निदान की कार्यवाही की जायेगी। नियमित अभिभावक एवं अध्यापक गोष्ठी की जायेगी जिसमें शिक्षा समिति का विशेष योगदान रहेगा।
18.	सतत् मूल्यांकन का अभाव	कोटि परक शिक्षा के लिये सतत् एवं प्रभावी मूल्यांकन अति महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के रूप में कराया जायेगा। मूल्यांकन के पश्चात कमजोर छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था छुट्टियों में की जायेगी। प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के लिये प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को ग्राम शिक्षा समिति एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुरस्कृत कराया जायेगा।
19.	शैक्षिक निरीक्षण/ पर्यवेक्षण की कमी	एन.टी.आर.सी. एवं बी.आर.सी. के समन्वयक, प्रति उप.वि. निरीक्षक / स.बे.शि. अधिकारी एवं डायट अभिकर्मी एवं अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रभावी शिक्षण, निरीक्षण पर्यवेक्षण किया जायेगा। निम्न श्रेणी के विद्यालयों को उच्च श्रेणी में लाने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दिये जायेंगे।
20.	सक्रिय समाज सहभागिता का अभाव	अभिभावकों / ग्रामवासियों में यह सोच विकसित हो कि यह विद्यालय हमारा है विद्यालय में अच्छी पढ़ाई से ही हमारे बच्चों का भविष्य उज्वल होगा और इसी से आने वाले समय में गाँव की प्रगति हो सकेगी इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा। ग्राम पंचायतें स्कूलों का सतत् मूल्यांकन करेगी साथ-साथ पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी। माइक्रोप्लानिंग एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु गाँव के जानकार लोगों की मदद ली जायेगी। विद्यालय परिवेश में सुधार हेतु गणवेश, स्वच्छता, अनुशासन, विद्यालय की

		बागवानी एवं साज सज्जा की सक्रिय सहभागिता ली जायेगी। अध्यापकों के अभाव में गाँव के पढ़े लिखे लोगों की मदद ली जायेगी। उन्हें व्यवस्था देखने हेतु गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु विद्यालय में आमंत्रित किया जायेगा। गरीब बच्चों को गणवेश स्लेट कॉपी पेन्सिल तथा प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कार हेतु समुदाय को प्रेरित किया जायेगा।
21.	विशेष आवश्यकता वाले अथवा विकलांग बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था	विकलांग बच्चों का सर्वे करा कर बस्ती वार सूचना ली जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ए.डी.पी.आई. को बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित किया जायेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति अध्यापक को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जायेगा।
22.	बाल श्रमिक तथा अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव	6-14 वय वर्ग के बच्चों तथा उनके अभिभावकों को शिक्षा के महत्व की जानकारी दे कर शिक्षा के प्रति जागरूक बनाया जायेगा जिससे बच्चा व्यवसाय में न जाकर विद्यालय में प्रवेश ले तथा शिक्षा पूर्ण करे। श्रम विभाग सर्वेक्षण कार्य द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि की जानकारी प्राप्त कर उनके प्रोत्साहन हेतु शिक्षा द्वारा आपेक्षित सहयोग श्रम विभाग को उपलब्ध करा कर बच्चों को मुख्य धारा से उनकी योग्यता की परीक्षणोपरान्त जोड़ा जायेगा।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त जनपद की भविष्य में आने वाली शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए रणनीति बनायी जायेगी।

अध्याय-6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (1)

1. प्राथमिक स्तर पर नवीन प्राथमिक भवनों की आवश्यकता

जनपद में पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार 167 असेवित बस्तियाँ ऐसी चिन्हित की गई थीं, जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना राजकीय मानक के अनुसार हो सकती थी। लेकिन संसाधनों के उपलब्ध न होने के कारण असेवित बस्तियों में विद्यालय नहीं खोले जा सके। 1997 से जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0-।।) के अन्तर्गत असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय संचालित कर दिये गये हैं। वर्तमान में नवीन प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में सभी छात्रों की पहुँच प्राथमिक विद्यालयों तक है।

2. उच्च प्राथमिक स्तर पर नवीन विद्यालय

प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जानी है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा 4 सहायक अध्यापक की नियुक्ति की जायेगी।

	ग्रामीण	नगर
उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता	204	1
वर्तमान प्राथमिक विद्यालय	960	40
नवीन प्राथमिक विद्यालय	20	0
1:2 के अनुपात कें उ0प्र0वि0 की आवश्यक	490	20
वर्तमान में उपलब्ध उ0प्र0वि0	279	12
कुल आवश्यकता	**211**	**8**
मानक के अनुसार आवश्यकता	105	0

अतः सर्वशिक्षा अभियान में कुल 105 उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित है। इन विद्यालयों की स्थापना के पश्चात असेवित बस्तियां स्वतः सेवित हो जायेगी।

वर्ष	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	योग
प्राथमिक	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20
उच्च प्राथमिक	-	24	81	-	-	-	-	-	-	105

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरुप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्रथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आवादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के वजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

शिक्षा की पहुँच का विस्तार - II
अध्याय-7
शिक्षा गारंटी योजना / वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान में अनौपचारिक शिक्षा के स्वरूप को परिवर्तित करते हुए शिक्षा गारंटी योजना / वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा को संचालित किया जा रहा है।

अनौपचारिक शिक्षा -

प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण करने के लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कुछ विशेष और अतिरिक्त प्रयास भी किये हैं। देश में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप देश में प्राथमिक शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु औपचारिक प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ वर्ष 1979-80 से पूरे देश में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया गया; इसके अन्तर्गत 6-11 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों को जो विद्यालय नहीं जा पाये है, या जिनके क्षेत्रों में विद्यालय उपलब्ध नहीं है अथवा जिन्हें किन्हीं कारणोंवश विद्यालय छोड़ देना (ड्राप आउट होना) पड़ा हो, तथा कुछ बाधाओंवश स्कूल न जा सकने वाली बालिकाओं को और कामकाजी बच्चों को औपचारिक शिक्षा के समतुल्य शिक्षा उपलब्ध कराई गई। यह योजना शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में, शहरी मलिन बस्तियों, पर्वतीय जन-जातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में विशेष रूप से चलायी गई। अनौपचारिक शिक्षा योजना सह शिक्षा वाले अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों हेतु 60:40 तथा बालिकाओं के लिए केन्द्र संचालित करने हेतु 10:10 के अनुपात में केन्द्र और सम्बन्धित राज्य द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता से चलाई गई। यह योजना वर्तमान समय तक 09 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में संचालित है; जिसके अन्तर्गत पूरे देश में चलाये जा रहे 2 लाख 90 हजार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में 72 लाख 50 हजार बच्चे नामांकित है। इन केन्द्रों में 1 लाख 18 हजार केन्द्र केवल बालिकाओं के लिए शिक्षा सुलभ करा रहे है।

उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम सभी जनपदों में संचालित किया गया। प्रदेश में कुल 591 परियोजनायें संचालित रही है। प्रत्येक परियोजना में 100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र प्रति वर्ष संचालित किये गये। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम द्विवर्षीय है जिसको पूरा करने के पश्चात् बालक कक्षा-5 की परीक्षा उत्तीर्ण करके कक्षा-6 में प्रवेश लेकर शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ जाता है। प्रत्येक केन्द्र पर 25 बच्चे नामांकित किये गये। जिनमें बालिकाओं के पंजीकरण पर अधिक बल दिया गया।

जनपद पीलीभीत के सात विकास खण्डों में से विकास खण्ड ललौटीखेड़ा, बरखेड़ा, बीसलपुर तथा बिलसन्डा में वर्ष 88-89 से परियोजनायें संचालित है। शेष तीन विकास खण्डों में यह कार्यक्रम संचालित नही था। एक स्वैच्छिक संस्था महिला कल्याण समिति ने विकास खण्ड अमरिया और भरौरी में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये।

उपलब्धि -

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दृष्टि से कार्यक्रम से उपलब्धियाँ हो रही है परन्तु संकल्पनाओं आशा आकांक्षा से यह कार्यक्रम संचालित किया गया था उतनी परिलब्धियाँ नहीं रहीं।

विश्लेषण-

प्रति परियोजना 100 केन्द्र संचालित किये गये। प्रत्येक केन्द्र में 25 बच्चे नामांकन का लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार एक परियोजना में 2500 छात्रों का नामांकन दो वर्षों के लिए किया गया। कक्षा-5 की परीक्षा में करीब 1000 छात्र सम्मिलित होते है उनमें से 800 उत्तीर्ण होते है। उनमें से 250 निर्गम प्रमाण-पत्र (T.C.) प्राप्त करते है उनमें से 200 बच्चे कक्षा-6 मे प्रवेश लेकर शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ते है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ड्रापआउट बालक को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है जो कि इतने व्यय के बाद भी संभव नहीं हो सका।

सर्वेक्षण -

सारणी

6-8 वय-वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या (EGS)

क्रम सं.	विकास खण्ड वार	अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्प संख्यक			अन्य			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	ललौरीखेड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	अमरिया	583	349	932	722	397	1119	1255	735	1990	217	104	321	2777	1585	4362
3.	पूरनपुर	175	200	375	184	192	376	162	172	234	143	136	279	664	700	1364
4.	भरौरी	570	453	1023	1426	847	2273	192	160	352	108	96	204	2296	1556	3852
5.	बरखेड़ा	415	418	833	1030	1057	2087	160	162	322	81	59	140	1186	1696	2882
6.	बीसलपुर	1137	113	1250	411	340	751	102	85	187	35	29	64	685	567	1252
7.	बिलसड	–	–	–	217	232	449	–	–	–	196	218	414	413	450	863
	योग	2880	1533	4413	3990	3065	7055	1871	1314	3185	780	642	1422	8021	6554	14575

वर्ष 2000 के अनुसार

स्रोत - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

6-8 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बालक-बालिकाओं को शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत कक्षा-1 व 2 तक की शिक्षा देकर प्राथमिक विद्यालय में कक्षा-3 में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। ई.जी.एस. केन्द्र का यह स्वरूप औपचारिक विद्यालय की भांति होगा।

प्रथम चरण में 106 ई.जी.एस. केन्द्र खोलने प्रस्तावित है। द्वितीय चरण में 100 केन्द्र प्रस्तावित है। जिनका विस्तृत विवरण इस अध्याय में अन्यत्र दिया गया है।

सारणी - 2

9-14 वय-वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या

क्रम सं.	विकास खण्ड वार	अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्प संख्यक			अन्य			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	ललौरीखेड़ा	4		4	5		5	5	1	6	2		2	16	1	17
2.	अमरिया	990	875	1865	1225	995	2220	2265	1995	4260	238	125	363	4718	3990	8708
3.	पूरनपुर	201	256	457	178	230	408	156	192	348	113	220	333	648	898	1546
4.	भरौरी	302	271	573	1098	724	1822	164	139	303	228	372	600	1772	1506	3278
5.	बरखेड़ा	135	155	290	525	536	1061	155	159	314	117	119	236	932	969	1901
6.	बौसलपुर	56	79	135	90	127	217	45	63	108	36	49	85	227	318	545
7.	बिलसंड	96	209	305	349	209	558	103	306	411	186	217	405	736	943	1679
	योग	1784	1845	3629	3470	2821	6291	2893	2857	5750	922	1102	2024	9049	8625	17674

वर्ष 2000 के अनुसार

स्रोत - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

जनपद में शैक्षिक संस्थाओं की पर्याप्त व्यवस्था अनौपचारिक शिक्षा, डी.पी. ई.पी. के द्वारा संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन के बावजूद 9-14 वय-वर्ग के स्कूल से बाहर बच्चों की पर्याप्त संख्या है। जिनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की पर्याप्त व्यवस्थां करनी है।

परिवार **सर्वेक्षण (हाउस होल्ड सर्वे)**-

जनपद पीलीभीत में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माह मई/जून 2003 में हाउस होल्ड सर्वे किया गया जिसका मुख्य उददेश्य गाव मजरों आदि में स्कूल से बाहर एंव उनकी पहुच से दूर बच्चों को चिहिन्नित करना है। ऐसे बच्चों को चिहिन्नित करने के उपरान्त अभियान चला कर उन्हे स्कूल में नांमाकित कराना एंव उन्हे शिक्षा की मुख्य धारा से जोडना है। ऐसे बच्चे जिन्हे किसी कारण से विद्यालय से नांमाकित नहीं किया जा सकता है। उनके लिये अन्य बैकल्पिक व्यवस्थायें करके उन्हें शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि धीरे धीरे उन्हें मुख्य धारा से जोडा जा सकें। हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार 6 से 14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 361716 पायी गई । जिसमें से 296426 बच्चें विद्यालय सें नामांकित थे । 65290 बालक बालिकायें ऐसी पायी गयी जो कही भी शिक्षा नहीं पा रहे थे । जिसमें से कुछ बालिकाओं को मुख्या धारा में जोडनें के लिये ग्रीष्म कालीन शिविर का आयोजन किया गया है। शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिये मां बेटी मेलों का आयोजन किया गया है। जनपद स्तर गांव मजरों, विकास खण्ड एंव न्याय पंचायत स्तर पर स्कूल चलों अभियान की रैली निकाली गई जिससे समुदाय को जोडनें का प्रयास किया गया । लोगो से जनसर्म्पक स्थापित किया गया रैली नुक्कड नाटक आदि किये गयें। जिससे लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया जा सकें । सभी प्रयास करने के उपरान्त 31-08-2003 तक 57873 बच्चों को विद्यालय में नांमाकित कराया जा चुका है। शेष 7417 बच्चें शिक्षा से वंचित रह गयें है। जिसमें कुछ बच्चें ऐसे वय वर्ग के है। जिनके लिये **EGS/AIE** केन्द्र खोले जायेगें । जिसमें उन्हें नांमाकित किया जायेगा क्योंकि मानक के अनुसार वहं पर विद्यालय खोला जाना समभव नही है । कुछ वर्ग विशेष के वचित बच्चों के लिये ब्रिजकोर्स आदि का प्रावधान किया गया है। कुछ ऐसे बच्चे नामांकित होने से वचित रह गये है जिन्हे विद्यालय में नांमाकित हो जाना चाहिये था, उन्हे विशेष प्रयास करके सितम्बर 03 के अन्त तक विद्यालय मे नांमाकित करा दिया जायेगा।

सर्वे के अनुसार कुछ बच्चे गाव छोड कर अन्यत्र चले गये हैं तथा कुछ बच्चे छोटी मोटी मजदूरी अथवा काम लगें है। इस कारण वे नामांकित नहीं हो सकें । ऐसे बच्चों के लिये विद्याकेन्द्र की व्यवस्था है। जिसमें उन्हे नांमाकित कराया जायेगा । ताकि वे अपने कार्य के साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त कर सकें । क्योकि केन्द्र का समय समुदाय की सुविधा अनुसार रखा जायेगा । कुछ उेसे बच्चे भी है जो इस कारण विद्यालय नही जा रहें है कि उन्हे अपने छोटे भाई बहनों की देख भाल करनी पडती है। ऐसे बच्चों के लिये 150 आंगनबाडी केन्द्रों की व्यवस्था की गई है जो विद्यालय समय के साथ संचालित होगें ।ऐसे बच्चें अपने छोटे भाई बहनों को इन केन्द्रो में छोड कर विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेगें।

7.01 हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार विद्यालय से बाहर बच्चों की स्थिति

5 से 6 वर्ष			7 से 10 वर्ष			11 से 14 वर्ष			5 से 14 वर्ष		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
14372	12643	27015	8061	8369	16430	11391	10454	21845	33824	31466	65290

7.02 हाउस होल्ड सर्वे के पश्चात विद्यालय में नांमाकन की स्थिति

5 से 6 वर्ष			7 से 10 वर्ष			11 से 14 वर्ष			5 से 14 वर्ष		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
13752	11599	25351	6854	7217	14071	9832	8619	18451	30438	27435	57873

7.03 हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार नामांकन के बाद विद्यालय से बाहर बच्चों की स्थिति

5 से 6 वर्ष			7 से 10 वर्ष			11 से 14 वर्ष			5 से 14 वर्ष		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
620	1044	1664	1207	1152	2359	1559	1835	3394	3386	4031	7417

7.01 हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार विद्यालय से बाहर बच्चों का विवरण

विकास खण्ड	जाति	5 से 6 बर्ष		7 से 10 बर्ष		11 से 14 बर्ष		5 से 14 बर्ष		
		बालक	बलिका	बालक	बलिका	बालक	बलिका	बालक	बलिका	योग
अमरिया	सामान्य	96	78	64	32	38	16	198	126	324
	अनु0 जाति	262	256	140	121	259	250	661	627	1288
	अनु0 जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पिछडी जाति	760	401	409	534	451	549	1620	1484	3104
	अल्पसंख्यक	2050	1766	1106	950	1284	1399	4440	4115	8555
	योग	**3168**	**2501**	**1719**	**1637**	**2032**	**2214**	**6919**	**6352**	**13271**
मरौरी	सामान्य	59	24	58	27	52	12	169	63	232
	अनु0 जाति	288	306	291	155	305	228	884	689	1573
	अनु0 जनजाति	7	10	7	9	9	10	23	29	52
	पिछडी जाति	838	1037	609	596	608	888	2055	2521	4576
	अल्पसंख्यक	341	182	258	204	301	38	900	424	1324
	योग	**1533**	**1559**	**1223**	**991**	**1275**	**1176**	**4031**	**3726**	**7757**
ललौरी खेडा	सामान्य	24	17	7	9	8	14	39	40	79
	अनु0 जाति	183	191	83	58	90	119	356	368	724
	अनु0 जनजाति	2	0	2	1	1	1	5	2	7
	पिछडी जाति	416	382	188	224	269	302	873	908	1781
	अल्पसंख्यक	377	220	125	167	245	274	747	661	1408
	योग	**1002**	**810**	**405**	**459**	**613**	**710**	**2020**	**1979**	**3999**

बरखेडा	सामान्य	109	59	13	11	19	16	141	86	227
	अनु0 जाति	334	298	51	41	103	149	488	488	976
	अनु0 जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पिछडी जाति	1019	1079	215	298	295	316	1529	1693	3222
	अल्पसंख्यक	211	228	136	68	68	69	415	365	780
	योग	**1673**	**1664**	**415**	**418**	**485**	**550**	**2573**	**2632**	**5205**
बीसलपुर	सामान्य	93	63	31	18	40	11	164	92	256
	अनु0 जाति	217	114	48	53	126	116	391	283	674
	अनु0 जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पिछडी जाति	923	841	291	350	377	419	1591	1610	3201
	अल्पसंख्यक	1089	630	454	449	400	494	1943	1573	3516
	योग	**2322**	**1648**	**824**	**870**	**943**	**1040**	**4089**	**3558**	**7647**
बिलसण्डा	सामान्य	58	59	41	91	39	104	138	254	392
	अनु0 जाति	278	269	152	224	266	324	696	817	1513
	अनु0 जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पिछडी जाति	871	715	379	414	580	654	1830	1783	3613
	अल्पसंख्यक	175	126	194	219	186	213	555	558	1113
	योग	**1382**	**1169**	**766**	**948**	**1071**	**1295**	**3219**	**3412**	**6631**
पूरनपुर	सामान्य	215	231	119	103	98	207	432	541	973
	अनु0 जाति	920	686	414	588	642	730	1976	2004	3980
	अनु0 जनजाति	11	11	8	8	4	7	23	26	49
	पिछडी जाति	1253	1388	944	1173	3185	1261	5382	3822	9204
	अल्पसंख्यक	893	976	1224	1174	1043	1264	3160	3414	6574
	योग	**3292**	**3292**	**2709**	**3046**	**4972**	**3469**	**10973**	**9807**	**20780**
महा योग		**14372**	**12643**	**8061**	**8369**	**11391**	**10454**	**33824**	**31466**	**65290**

7.02 हाउस होल्ड सर्वे के पश्चात विद्यालय में नांमाकन की स्थिति

विकास खण्ड	जाति	5 से 6 बर्ष		7 से 10 बर्ष		11 से 14 बर्ष		5 से 14 बर्ष		
		बालक	बलिका	बालक	बलिका	बालक	बलिका	बालक	बलिका	योग
अमरिया	सामान्य	86	69	61	32	38	16	185	117	302
	अनु0 जाति	261	246	140	75	238	160	639	481	1120
	अनु0 जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पिछडी जाति	684	301	309	450	401	439	1394	1190	2584
	अल्पसंख्यक	2041	1643	986	807	1127	1248	4154	3698	7852
	योग	**3072**	**2259**	**1496**	**1364**	**1804**	**1863**	**6372**	**5486**	**11858**
मरौरी	सामान्य	59	24	43	26	50	11	152	61	213
	अनु0 जाति	288	295	291	105	250	200	829	600	1429
	अनु0 जनजाति	7	10	7	9	9	10	23	29	52
	पिछडी जाति	830	1007	540	512	508	686	1878	2205	4083
	अल्पसंख्यक	340	180	158	184	265	38	763	402	1165
	योग	**1524**	**1516**	**1039**	**836**	**1082**	**945**	**3645**	**3297**	**6942**
ललौरी खेडा	सामान्य	24	17	7	9	8	14	39	40	79
	अनु0 जाति	180	181	80	55	70	92	330	328	658
	अनु0 जनजाति	2	0	2	1	1	1	5	2	7
	पिछडी जाति	374	372	98	150	169	232	641	754	1395
	अल्पसंख्यक	360	205	105	157	207	179	672	541	1213
	योग	**940**	**775**	**292**	**372**	**455**	**518**	**1687**	**1665**	**3352**

बरखेडा	सामान्य	101	54	13	11	19	16	133	81	214
	अनु0 जाति	332	298	51	41	98	98	481	437	918
	अनु0 जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पिछडी जाति	919	935	115	210	202	289	1236	1434	2670
	अल्पसंख्यक	189	210	45	57	68	55	302	322	624
	योग	1541	1497	224	319	387	458	2152	2274	4426
बीसलपुर	सामान्य	89	53	30	15	39	9	158	77	235
	अनु0 जाति	210	109	45	43	105	97	360	249	609
	अनु0 जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पिछडी जाति	902	704	205	250	270	318	1377	1272	2649
	अल्पसंख्यक	989	624	397	440	305	343	1691	1407	3098
	योग	2190	1490	677	748	719	767	3586	3005	6591
बिलसण्डा	सामान्य	52	54	37	91	38	61	127	206	333
	अनु0 जाति	272	220	144	175	213	260	629	655	1284
	अनु0 जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पिछडी जाति	848	654	322	386	416	599	1586	1639	3225
	अल्पसंख्यक	158	122	156	186	158	160	472	468	940
	योग	1330	1050	659	838	825	1080	2814	2968	5782
पूरनपुर	सामान्य	138	126	116	52	98	150	352	328	680
	अनु0 जाति	912	675	403	586	464	566	1779	1827	3606
	अनु0 जनजाति	10	9	7	7	4	7	21	23	44
	पिछडी जाति	1247	1323	859	1028	3020	1128	5126	3479	8605
	अल्पसंख्यक	848	879	1082	1067	974	1137	2904	3083	5987
	योग	3155	3012	2467	2740	4560	2988	10182	8740	18922
महा योग		13752	11599	6854	7217	9832	8619	30438	27435	57873

7.03 हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार नामांकन के बाद विद्यालस से बाहर बच्चों की स्थिति

विकास खण्ड	जाति	5 से 6 बर्ष		7 से 10 बर्ष		11 से 14 बर्ष		5 से 14 बर्ष		
		बालक	बलिका	बालक	बलिका	बालक	बलिका	बालक	बलिका	योग
अमरिया	सामान्य	10	9	3	0	0	0	13	9	22
	अनु0 जाति	1	10	0	46	21	90	22	146	168
	अनु0 जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पिछडी जाति	76	100	100	84	50	110	226	294	520
	अल्पसंख्यक	9	123	120	143	157	151	286	417	703
	योग	**96**	**242**	**223**	**273**	**228**	**351**	**547**	**866**	**1413**
मरौरी	सामान्य	0	0	15	1	2	1	17	2	19
	अनु0 जाति	0	11	0	50	55	28	55	89	144
	अनु0 जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पिछडी जाति	8	30	69	84	100	202	177	316	493
	अल्पसंख्यक	1	2	100	20	36	0	137	22	159
	योग	9	**43**	**184**	**155**	**193**	**231**	**386**	**429**	**815**
ललौरी खेडा	सामान्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनु0 जाति	3	10	3	3	20	27	26	40	66
	अनु0 जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पिछडी जाति	42	10	90	74	100	70	232	154	386
	अल्पसंख्यक	17	15	20	10	38	95	75	120	195
	योग	**62**	**35**	**113**	**87**	**158**	**192**	**333**	**314**	**647**

बरखेडा	सामान्य	8	5	0	0	0	0	8	5	13
	अनु0 जाति	2	0	0	0	5	51	7	51	58
	अनु0 जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पिछडी जाति	100	144	100	88	93	27	293	259	552
	अल्पसंख्यक	22	18	91	11	0	14	113	43	156
	योग	**132**	**167**	**191**	**99**	**98**	**92**	**421**	**358**	**779**
बीसलपुर	सामान्य	4	10	1	3	1	2	6	15	21
	अनु0 जाति	7	5	3	10	21	19	31	34	65
	अनु0 जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पिछडी जाति	21	137	86	100	107	101	214	338	552
	अल्पसंख्यक	100	6	57	9	95	151	252	166	418
	योग	**132**	**158**	**147**	**122**	**224**	**273**	**503**	**553**	**1056**
बिलसण्डा	सामान्य	6	5	4	0	1	43	11	48	59
	अनु0 जाति	6	49	8	49	53	64	67	162	229
	अनु0 जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पिछडी जाति	23	61	57	28	164	55	244	144	388
	अल्पसंख्यक	17	4	38	33	28	53	83	90	173
	योग	**52**	**119**	**107**	**110**	**246**	**215**	**405**	**444**	**849**
पूरनपुर	सामान्य	77	105	3	51	0	57	80	213	293
	अनु0 जाति	8	11	11	2	178	164	197	177	374
	अनु0 जनजाति	1	2	1	1	0	0	2	3	5
	पिछडी जाति	6	65	85	145	165	133	256	343	599
	अल्पसंख्यक	45	97	142	107	69	127	256	331	587
	योग	**137**	**280**	**242**	**306**	**412**	**481**	**791**	**1067**	**1858**
महा योग		**620**	**1044**	**1207**	**1152**	**1559**	**1835**	**3386**	**4031**	**7417**

हाउस होल्ड सर्वे के पश्चात पर 31-08-2003 तक कुल 57873 बच्चों का नामांकन किया जा चुका है। और अभी भी 7417 बच्चें विद्यालय से बाहर है। जो बच्चें विद्यालय से बाहर है सर्वे के अनुसार मुख्य रूप से धस्तू कार्य में लगें रहते है अथवा अपने भाई बहनों की देखभाल करते है। कुछ बच्चें मजदूरी में लगे रहने के कारण भी नही आ पा रहें है। विद्यालय न आने वाले बच्चों का विवरण निम्न सारणी से स्पष्ठ है ।

विद्यालय न आने वाले बच्चों का विवरण

क0सं.	कारण	बालक	बालिका	योग
01	घरेलू कार्य	1475	1741	3216
02	मजदूरी में लगे रहना	1073	332	1405
03	भाई बहनों की देखभाल	268	673	941
04	विद्यालय दूर होना	165	418	583
05	अन्य कारण	589	683	1272
	योग	3570	3847	7417

अभी भी जो बच्चें विद्यायल से बाहर है उनके लिये निम्न व्यवस्थाये प्रस्तावित है-

क0सं0	व्यवस्था	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
01	ई0जी0एस0	106	106	106	106
02	ए0आई0ई0 प्रा0	40	40	40	40
03	ए0आई0ई0 उ0प्रा0		50	100	100
04	ब्रिज कोर्स	73		50	

उपरोक्त व्यवस्थाओं के माध्यम से विद्यालय से बाहर समस्त बच्चों को शिक्षा से जोंड कर मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जायेगा ।

हाउस होल्ड सर्वे 2003 के पश्चात एंव 31-08-2003 तक जो बच्चें अब तक विद्यालय से बाहर थे जिनके लिये परियोजना के अर्न्तगत केन्द्र /ब्रिजकोर्स खोलने की व्यवस्था रखी गई हैं। उनमें विद्यालय से बाहर 7417 बच्चों में से 6570 बच्चों को नांमाकित कर शिक्षा सुलभ करायी जायेगी तथा इसके उपरान्त भी 847 बच्चें रह जायेगें, जिन्हे मानक /उपलब्धिता के आधार पर विद्यालय में नांमाकित हो जाना चाहिये था परन्तु किसी कारणवश विद्यालय में नांमाकित नही हो सकें, ऐसे बच्चों के लिये विशेष प्रयास करके समुदाय को शिक्षा के प्रति जागरूक कर बच्चों को विद्यालय में नांमाकित कराया जायेगा ।

परियोजना के अन्तर्गत जो व्यवस्थायें की गई उसके माध्यम से निम्नानुसार छात्र लाभान्वित किये जायेगें ।

वर्ष	ई0जी0एस0	ए0आई0ई0 प्रा0	ए0आई0ई0 उच्च प्रा0	ब्रिजकोर्स	कुल छात्र
2003-04	**106*25**	**40*25**	**0**	**73*40**	0
नामांकित छात्र	2650	1000	0	2920	6570
2004-05	**106*25**	**40*25**	**50*25**	**0**	**0**
नामांकित छात्र	2650	1000	1250	0	4900
2005-06	**106*25**	**40*25**	**100*25**	**50*40**	0
नामांकित छात्र	2650	1000	2500	2000	8150
2006-07	**106*25**	**40*25**	**100*25**	**0**	**0**
नामांकित छात्र	2650	1000	2500	0	6150

उपरोक्त में वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक की संख्या अनुमानित एंव इस आधार पर दिखाई गई हैं जो आगे विद्यालय में जाने लायक बच्चें होंगे अथवा बर्तमान मे से कुछ प्रयास करने के बाबजूद विद्यालय छोड सकते है उन्हे पुनः मुख्य धारा में लाने के प्रयास किये जायेगें इसी लिये 2005-06 में अधिक व्यवस्था प्रस्तावित की गई हैं।ताकि उसके बाद 2006-07 तक शत प्रतिशत नांमाकन एंव ठहराव सुनिश्चित किया जा सकें ।

सारणी - 3

9-14 आयु-वर्ग के विभिन्न वर्गों के स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण

क्रम सं.	विकास खण्ड वार	बाल श्रमिक	घुमन्तू	कामकाजी	विकलांग	स्ट्रीट चिल्ड्रेन
1.	ललौरीखेड़ा	17	–	17	--	–
2.	अमरिया	--	3120	877	365	--
3.	पूरनपुर	42	1045	408	22	29
4.	भरौरी	–	46	2354	164	694
5.	बरखेड़ा	–	–	435	341	125
6.	बीसलपुर	--	--	–	12	--
7.	बिलसंड	--	–	--	--	--
	योग	59	4211	4091	904	848

स्रोत- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित।

स्कूल से बाहर बच्चों को वैकल्पिक शिक्षा द्वारा ब्रिज कोर्स करने के लिए श्रेणीवार नियोजन किया जा रहा है।

सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिदृष्य जिससे विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र विशिष्ट सामाजिक वर्गों की पहचान हो सके।

जनपद पीलीभीत का क्षेत्र विशेष के हिसाब से उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जा रहा है जिनके आधार पर शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक नवाचार शिक्षा को सुविध प्राथमिकता के आधार पर देने पर विचार किया जा रहा है।

निरीक्षण की प्रभावी व्यवस्था

जनपद की पूरनपुर तहसील क्षेत्रफल और आकार के हिसाब से बहुत बड़ी है। कई बार प्रशासनिक क्षेत्र में यह आवश्यकता महसूस की गई कि इस तहसील को विभाजित करके एक और तहसील बनायी जाय। पूरी तहसील में एक ही विकास खण्ड है। यह माँग भी उठी है कि

इस तहसील में 3 विकास खण्ड और बनाये जायें जैसा कि तहसील बीसलपुर में 3 विकास खण्ड है तथा सदर (पीलीभीत) में भी तीन विकास खण्ड हैं। यह तहसील ब्लाक अन्तर्विषमताओं से भरी हुई है। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा की समुचित देखरेख के लिए पूरनपुर विकास खण्ड में तीन प्रति उपविद्यालय निरीक्षक क्षेत्र हुआ करते थे। अब एक ही क्षेत्र बना देने से विद्यालयों की देखरेख में परेशानी होती है।

जनपद पीलीभीत में सदर तहसील तथा बीसलपुर तहसील के बाशिन्दे मूल रूप से कई पीढ़ियों से यहाँ के निवासी है जबकि पूरनपुर में सिख, बंगाली, थारू मूल रूप से यहाँ के निवासी नहीं हैं। वे आज़ादी के समय की घटनाओं से पीड़ित होकर यहा बसे हैं। बंगाली समुदाय 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद यहाँ आकर बसे है। जहाँ सिख समुदाय ने परिश्रम के बल पर अपनी अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बना ली है; बंगाली वर्ग उतना सम्पन्नत नहीं है।

बाढ़ग्रस्तता
EGS/AIE

यद्यपि बड़ा विकास खण्ड होने से पूरनपुर में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या है। प्राथमिक स्तर पर अध्यापक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक कार्यरत हैं। छात्र-शिक्षक अनुपात के हिसाब से अध्यापकों की वर्तमान में आवश्यकता है। विकास खण्ड की समय-समय पर ज्ञात की गई शैक्षिक समस्याओं में यह बात बार-बार आती है कि वर्षा ऋतु में आवागमन बाधित होने से विद्यालय नहीं खुल पाते हैं। एकल विद्यालयों की संख्या की सर्वाधिक पूरनपुर में रही है। बन्द रहने वाले विद्यालयों की भी संख्या पूरनपुर में सर्वाधिक रही है। यह तथ्य भी छिपा हुआ नहीं है कि पूरनपुर में छात्रों के विद्यालय के ठहराव पर ध्यान देने से पूर्व अध्यापकों के ठहराव की समस्या पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इस क्षेत्र विशेष में यहीं के अध्यापकों को नियुक्त किया जाना चाहिये। बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों की भी नियुक्ति की जानी है। शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की बड़ी मात्रा में यही आवश्यकता है। इस समस्या के पीछे बड़ा कारण है कि तहसील

स्थानीय अध्यापक की नियुक्ति

अध्यापकों की कारगर स्थानान्तरण नीति

बीसलपुर उसमें खासकर बीसलपुर नगर तथा बीसलपुर ग्रामीण साक्षरता की दृष्टि से पूरे जिले में प्रथम स्थान पर है। शिक्षा के क्षेत्र में यह क्षेत्र पूर्व से ही अग्रगण्य रहा है। इस नगर में तमाम शिक्षण संस्थायें हैं। 1960 से यहाँ राजकीय दीक्षा विद्यालय रहा है; अब उसके स्थान पर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बीसलपुर में ही स्थापित है। यह भी तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जनपद में कार्यरत शिक्षकों में आधे से अधिक बीसलपुर के निवासी हैं। पूरनपुर में तैनाती तो ले लेते हैं बाद में बीसलपुर या पीलीभीत स्थानान्तरण करा लेते हैं। पूरनपुर में उनका ठहराव नहीं हो पाता जिससे शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

EGS/AIE
ब्रिज कोर्स
आवासीय शिविर
बालिका शिक्षा

पूरनपुर विकास खण्ड भौगोलिक विषमताओं का विकास खण्ड है। वर्षा ऋतु में शारदा नदी में बाढ़ आ जाने से विकास खण्ड का पूर्वी भाग जिसमें अधिकांश रूप से सिख और बंगाली निवास करते हैं शेष जनपद से सम्पर्क विच्छेद हो जाता है। वर्षा ऋतु में यदि चंदरिया हजारा, शास्त्री नगर, गाँधी नगर, राणा प्रताप नगर जाना पड़े तो जिला लखीमपुर (मैलानी) होकर जाना पड़ता है। शारदा नदी बाढ़ के समय प्रतिवर्ष अपना रास्ता बदलती है जिससे हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि, कई गाँव, शिक्षण संस्थायें तक बाढ़ में बह जाते है। उन स्थान विशेष का जमीन सम्बन्धी रिकार्ड रखने में राजस्व विभाग को बहुत परेशानी होती है क्योंकि भूभाग का नक्शा बदल जाता है।

इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं ढूँढा गया है। इस क्षेत्र विशेष में औपचारिक वैकल्पिक शिक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

बंगाली कालोनियों में बालिका शिक्षा

कार्यानुभव आधारित प्रशिक्षण

जनपद के गण्डिया-सहराई, रमनगरा (वि.ख. पूरनपुर) आदि कई प्रमुख बंगाली आबादी के गाँव हैं। जो शारदा सागर बाँध से लगे हुए हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ भी पानी भर जाता है जिससे शिक्षा की समस्या पैदा होती है। पानी का लेवल इतना ऊँचा है कि इन स्थान विशेष पर हैण्ड पम्प गाड़ देने मात्र से पानी आ जाता है। एक बार हैण्ड

पम्प चला दिया तो पानी स्वतः बहता रहता है। यहाँ के निवासी शौचालय के लिए गड्ढा नहीं खोद पाते क्योंकि पानी ऊपर निकल आता है।

जनपद का पूरनपुर क्षेत्र अधिकांश रूप से वनाच्छादित है। प्राकृतिक सुषमा, सुरम्य वन क्षेत्र, प्राकृतिक झीलें, पुरातात्विक किले बाँध, शारदा सागर, वाइफरकेशन (बाँध) देखने योग्य है।

वनगाँवों की शिक्षा

वन क्षेत्र के अन्तर्गत मफोफ, माला तथ बाराही रेंज हैं। जो कई वर्ग मि.मी. फैले हैं। प्रचुर मात्रा में वन्य पशु वनौषधियाँ यहाँ मिलती है। कुछ लोग वनों के बीच-बीच में बस गये हैं; जिन्हें वनगाँव कहते है। जनपद में 07 आबाद वनगाँव चिन्हित किये है। मफोफ वन रेंज में लग्गावग्गा एक ऐसा ही बहुत बड़ा गाँव है हालाँकि यह गाँव उत्तरांचल के उधम सिंह नगर में आता है परन्तु मफोफ वन रेंज पीलीभीत की है।

जनजाति बालिका शिक्षा

जंगली इलाकों के पास थारू जन-जाति रहती है। पूरनपुर में बूदी बोझ (बन्दर बोझ) इस जन-जाति का प्रमुख गाँव है। गाँव में साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था। इस गाँव में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। विकास कार्यक्रमों को अपनाने की इनकी स्वाभाविक प्रकृति है। सामाजिक हिसाब से थारू जनजाति के परिवार मातृ सत्तात्मक (घर में माँ घर की मुखिया होती है) अतः इन पाकेट्स में बालिकाओं की शिक्षा की बहुत आवश्यकता है ताकि इस सामाजिक संरचना का लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। शत प्रतिशत बालिका शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त हो सके।

बंगाली समुदाय के लोग किसी न किसी उद्योग से जुड़े हैं- चटाई बनाना, दोने, पत्तल बनाना, दरी बनाना आदि कार्य यह लोग प्रमुखता से करते है। शिक्षा की दृष्टि से यह अंकित करना उचित तो नहीं है परन्तु बीड़ी उद्योग में यह समुदाय अग्रगण्य है। बंगाली समुदाय में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष कार्य किये जाने की आवश्यकता है बंगाली लोग लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजते है। भेजते भी है तो

इन बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव नहीं हो पाता।

बंगाली परिवार पूरनपुर के अलावा विकास खण्ड भरौरी व अमरिया में बड़ी संख्या में निवास करते है।

सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड पूरनपुर को प्राथमिकता दी गई है।

EGS स्वल्प
AIE 2 केन्द्र
बालिका शिक्षा

विकास खण्ड अमरिया सदर तहसील (पीलीभीत) के अन्तर्गत आता है। यह जनपद मुख्यालय से 24 कि.मी. दूर पीलीभीत सितारागंज रोड पर स्थित है। विकास खण्ड में स्थानीय निवासियों के अलावा बड़ी संख्या में बंगाली कालोनियाँ है। विकास खण्ड में मुस्लिम आबादी अन्य विकास खण्डों की तुलना में अधिक है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ विकास खण्ड है। यह बड़ी विडम्बना है कि इस विकास खण्ड में भी पीलीभीत शहर तथा बीसलपुर क्षेत्र के अध्यापक बड़ी संख्या में कार्यरत है। अध्यापकों का विकास खण्ड में ठहराव नहीं है। अत: स्थानीय अध्यापकों की नियुक्ति पर बल दिया जाना आवश्यक है।

आर्थिक रूप से यह विकास खण्ड समृद्ध है यहाँ कोई प्राकृतिक विषमता अन्तर्विषमता की स्थिति नहीं है। एक सफल शैक्षिक नियोजन के द्वारा यहाँ सर्व शिक्षा अभियान में आशातीत सफलता मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में इस विकास खण्ड में दो स्वयं सेवी संस्थायें महिला कल्याण समिति - पीलीभीत, सेन्ट पैट्रिक स्कूल पोलीगंज की समिति तरह-तरह के शैक्षिक कार्य सम्पादित करते आये है। सेन्ट पैट्रिक स्कूल पोलीगंज (उधम सिंह नगर) की समिति शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य, कुटीर उद्योग, व अन्य तमाम कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। समिति का एक माना जाना चिकित्सालय भी है। जिससे क्षेत्र की जनता को तमाम सुविधायें हैं।

इस विकास खण्ड में मुस्लिम तथा बंगाली समुदाय के लिए कारगर शैक्षिक संसाधनों की आवश्यकता है। बालिका शिक्षा पर बल देने की आवश्यकता है।

बाल श्रमिक
स्ट्रीट चिल्ड्रन

विकास खण्ड बीसलपुर (तहसील बीसलपुर) का प्रमुख विकास खण्ड है जो कई दृष्टियों से जनपद में अग्रगण्य है। साक्षरता दर सर्वाधिक है। शिक्षा की व्यवस्था समुन्नत है। हर प्रकार की बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा की संस्थायें हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी यहीं स्थित है। बीसलपुर के ही अध्यापक पूरे जनपद में कार्यरत हैं।

कृषि समुन्नत है। चीनी उद्योग प्रमुख है। व्यापार के क्षेत्र में विकास खण्ड जनपद में अग्रगण्य है।

मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा पर बल देने की आवश्यकता है।

नगर क्षेत्र बीसलपुर जनपद की सांस्कृतिक नगरी है। बीसलपुर में श्रीकृष्ण रामलीला कमेटी एक प्रमुख सांस्कृतिक कमेटी है। जिसने 200 वर्षों से शहर में काव्य, गीत, नाटक आदि क्षेत्रों में कार्य करके ख्याति प्राप्त की है। राधारानी ड्रामेटिक क्लब भारत भर में विख्यात रहा है। श्रीमती राधारानी ने फिल्मों में काम किया है। उनके नाम से नाटकों टीम बहुत प्रसिद्ध है। कई अग्रगण्य स्वयं सेवी संस्थायें, समाज को समर्पित व्यक्ति यहाँ उपलब्ध हैं। नगर में हर प्रकार की शिक्षण संस्थायें उपलब्ध हैं। प्रमुख व्यापारिक नगर है। यहाँ का रामलीला नाटक मंचन बहुत प्रसिद्ध है।

बाल श्रमिक
EGS/AIE
औद्योगिक विकास
खण्ड है।

विकास खण्ड बिलसण्डा (तहसील बीसलपुर) एक प्रमुख विकास खण्ड है। कृषि प्रधान विकास खण्ड है। ऐतिहासिक दृष्टि से राजा मोरध्वज का महल (ग्राम भरौरी में) देवलक ऋषि का आश्रम (दियोरिया कला गांव के पास) लिलहर महादेव का मन्दिर बहुत प्रसिद्ध है। पलगवां नामक गांव में प्राकृतिक पक्षी विहार है जहाँ साइबेरियन पक्षी आते है। शिक्षा की दृष्टि से बीसलपुर के बाद द्वितीय स्थान है। अध्यापक स्थानीय है। अध्यापक उपस्थिति विद्यालयों में बनी रहती है। कोई ऐसा पाकेट इस विकास खण्ड में नहीं है जहाँ कोई विशेष समस्या हो। डा. फतेहसिंह बिलसन्डा के भदेग कंजा गांव के निवासी है जो देश के जाने माने (डी.लिट.) संस्कृत विद्वान है।

विकास खण्ड - बरखेड़ा -

विकास खण्ड बरखेड़ा (बीसलपुर तहसील) पीलीभीत से 18 कि.मी. दूर पीलीभीत बीसलपुर मार्ग पर स्थित है। प्राकृतिक हिसाब से या सामाजिक हिसाब से कोई समस्या नहीं है। प्राथमिक विद्यालय प्राय: सभी बस्तियों में संचालित है।

कोई आवश्यकता नहीं सब ठीक है।

विकास खण्ड मंरौरी- सदर (पीलीभीत) तहसील का विकास खण्ड है। विकास खण्ड कार्यालय जनपद मुख्यालय में स्थित है। अधिकांश गांव जनपद मुख्यालय के पास है। साक्षरता दर में यह विकास खण्ड पिछड़ा हुआ है तथापि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालक बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन ठहराव, शिक्षकों की व्यवस्था, उनकी विद्यालय में उपस्थिति के हिसाब से इस विकास खण्ड को आदर्श बनाया जा सकता है। पूर्व के अनुभवों के आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के सभी आयामों में विकास खण्ड प्रथम रहता है।

कोई ऐसी अन्तर्विषमता, भौगोलिक समस्या, इस विकास खण्ड में नहीं है।

EGS
बालिका शिक्षा

विकास खण्ड ललौटीखेड़ा का कार्यालय (सदर तहसील) पीलीभीत-बरेली मार्ग पर, पीलीभीत शहर से 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। अधिकांश गांव भी इसी मार्ग के आसपास हैं। विकास खण्ड शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अध्यापक स्थानीय है। विद्यालयों में उपस्थिति अच्छी रहती है। बालिकाओं का नामांकन दर इस विकास खण्ड में कम है। बालिका शिक्षा सम्बन्ध गतिविधियाँ इस विकास खण्ड में प्राथमिकता के आधार पर संचालित की जायेंगी।

बाल श्रमिक

नगर क्षेत्र पीलीभीत- पीलीभीत नगर प्राचीन है। यह नगर बरेली मंडल का एक व्यापारिक नगर है। यहाँ पर कई राइस मिल्स, एक चीनी मिल है। यहाँ का बांसुरी उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। दिल्ली की जामा मस्जिद की नकल पर यहाँ पर भी जामा मस्जिद बनी है जो कि कलात्मकता के हिसाब से बेजोड़ है। यहाँ का गौरीशंकर मन्दिर अति प्राचीन है।

शिक्षण संस्थाओं के अन्तर्गत दो महाविद्यालय, एक आयुर्वेदिक कॉलेज, पॉलीटेक्नीक, आई.टी.आई. है। माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के अन्तर्गत 6 इण्टर कॉलेज हैं। इसके अलावा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत 4 विद्यालय इण्टर स्तर तक के है। सैनिक स्कूल स्वीकृत है। नवोदय विद्यालय विगत 2 वर्षों से चल रहा है।

शिक्षा गारंटी योजना (EGS):-

इस योजना के अन्तर्गत 6-8 वय वर्ग में पंजीकृत कराया जायेगा। ऐसे ग्राम/वस्ती/मजरे/टोले/मुहल्ले जो विद्यालय से 1 कि.मी. की परिधि के बाहर हैं तथा 6-8 वय वर्ग के 30 बच्चे उपलब्ध हों। वहाँ पर इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इन केन्द्रों में कक्षा 01 से कक्षा 02 तक की पढ़ाई होगी।

इन केन्द्रों का संचालन "सर्वशिक्षा अभियान" के अन्दर चिन्हित "स्टेट सोसाइटी" उ.प्र. सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद निशातगंज लखनऊ द्वारा किया जायेगा। इन केन्द्रों पर 01 अनुदेश प्रति केन्द्र प्रस्तावित है।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (AIE) कार्यक्रम :-

ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण झेंप/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे विशेषकर कामकाजी तथा बालश्रमिक एवं नवाचार शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जिन ग्राम/वस्ती/मजरे/टोले/मुहल्ले में 15 बालक/बालिका शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित होंगे वहीं पर ए.आई.ई. केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। ये केन्द्र प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर चलाये जायेंगे। प्राथमिक स्तर के केन्द्र में 01 अनुदेशक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 02 अनुदेशकों की व्यवस्था प्रस्तावित है।

माइक्रो प्लानिंग के आधार पर नियोजन की प्राथमिकता -

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र।

ऐसे क्षेत्र जहाँ बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत कम हो।

ऐसे क्षेत्र जहाँ ड्राप आउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो।

ऐसे क्षेत्र जहाँ स्ट्रीट चिल्ड्रन, बाल श्रमिक, घुमन्तू एवं खतरनाक/गैर खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों की संख्या अधिक हो।

शिक्षा गारंटी केन्द्र (ई.जी.एस.), वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों का स्वरूप -

उपरोक्त असंवित बस्तियाँ एवं शालात्यागी छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र चरणबद्ध रूप से खोले जाने प्रस्तावित है।

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों का संचालन समय-वशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि में नहीं रखा जायेगा। ये केन्द्र प्रतिदिन 04 घंटे संचालित किये जायेंगे।

अनुदेशक चयन -

अनुदेशक यथासम्भव उसी स्थान एवं समुदाय का होगा जहाँ पर शिक्षा गारंटी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है। उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात् अनुदेशक को आमन्त्रण पत्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र, सभासद सम्बन्धित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार मकतब/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की

स्थिति में मकतबों/मदरसों में संचालित हो। ऐसे केन्द्रों को प्राथमिकता दी जायेगी अन्यथा सम्बन्धित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो को मकतबों में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमन्त्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जनसमुदाय के अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायी जायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी यदि आवश्यक हुआ तो सम्मिलित किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी। जहाँ पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो वहाँ पर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारूप पर एनेक्सर के साथ संलग्न किया जायेगा।

अनुदेशक का प्रशिक्षण -

अनुदेशकों का तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिसोर्स सेन्टर पर आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक चयनित अनुदेशक का एक माह का प्रशिक्षण जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डायट के प्रवक्ताओं, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस.डी.आई./ब्लाक प्रोग्राम आफीसर/ब्लाक रिसोर्स पर्सन तथा योग्य अध्यापक, सन्दर्भ व्यक्तियों के माध्यम से कराया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा रु.1500/- प्रति अनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय नहीं होगी।

अनुदेशक मानदेय वितरण -

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के प्रारम्भ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक के मानदेय की धनराशि रु.1000/- प्रति अनुदेशक की दर से सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। जिसे अध्यक्ष एवं सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चेक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। मानदेय की एक बार में छः माह की अग्रिम धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खातों में स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर/प्रोग्राम आफीसर/प्रोग्राम पर्सन एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनुदेशक के संतोषजनक कार्य किये जाने पर किया जायेगा। इस प्रकार की धनराशि कार्यक्रम से सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। यह धनराशि नगर क्षेत्र के सम्बन्धित सभासद/प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। तत्पश्चात् चेक द्वारा अनुदेशक को भुगतान किया जायेगा।

पर्यवेक्षण -

शिक्षा गारंटी एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस.डी.आई./ब्लाक रिसोर्स पर्सन/ब्लाक रिसोर्स सेक्टर/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा। नगर क्षेत्र में यह कार्य शिक्षा अधीक्षक/नगर प्रोग्राम आफीसर/नगर रिसोर्स पर्सन/सहायक शिक्षा अधीक्षक/जनपद नगरीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी/बी.आर.सी. प्रभारी द्वारा अनुदेशकों की वार्षिक बैठकें भी ली जायेंगी। जिसमें ब्लाक आफीसर/रिसोर्स पर्सन/स.बे.शि. अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप बेसिक शिक्षा अधिकारी भी समय-समय पर इन बैठकों में अनुश्रवण करेंगे। निकटस्थ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करते रहेंगे न केवल ग्राम शिक्षा समिति अपितु विकास खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारियों को अपनी आख्याओं से अवगत कराते रहेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति भी नियमित रूप से इन केन्द्रों के संचालन पर नजर रखेगी और समय-समय पर अपने सुझाव अनुदेशक/अनुदेशिका को देगी। डायट में डी.आर.यू. प्रभारी

एवं उनके अधीनस्थ सभी अभिकर्मी भी इन केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण करेंगे। पर्यवेक्षण का कार्य उपरोक्त सभी अधिकारियों द्वारा एक रोस्टर प्रणाली के द्वारा किया जायेगा ताकि सार्वभौमिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके।

निःशुल्क शिक्षण सामग्री

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति निर्धारित सामग्री बाज़ार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सीधे केन्द्र अनुदेशकों को उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षा केन्द्रों पर नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा इस धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मद (रु.845/- प्राथमिक तथा रु.1200/- उच्च प्राथमिक) से किया जायेगा। शिक्षण सामग्री मद का 5 प्रतिशत राज्य/जनपदीय प्रबन्धन हेतु क्रय किया जायेगा।

शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित औपचारिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें ही सम्प्रति उपयोग में लाई जायेंगी।

छात्र-छात्राओं का मूल्यांकन

अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक एवं शिक्षा गारंटी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत् एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही, छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा शीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिए वह योग्य हो, किसी भी समय प्रवेश पा जाये। अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र पर पढ़ने वाले बच्चे शीघ्र अति शीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहें। इसी परिप्रेक्ष्य में अनुदेशक का मूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति/विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। अनुदेशकों द्वारा बच्चों के अध्ययनरत अवधि में उनके व्यावहारिक स्तर में आये सुधार से अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा।

केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चे जो कक्षा-5 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगे, उनकी वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

प्रबन्धन लागत :

उक्त केन्द्रों की अधिकतम लागत में 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला/विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक/प्रबन्धन पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है।

विकास खण्ड स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम लागत निम्नवत रखी जायेगी।

80-100 केन्द्रों के मध्य : 2.50 लाख रु. प्रति वर्ष

50-80 केन्द्रों के मध्य : 2.00 लाख रु. प्रति वर्ष

25-50 केन्द्रों के मध्य : 1.5 लाख रु. प्रति वर्ष

25 केन्द्रों से कम : रु. 100.00 प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष

विद्यालय वापस चलो शिविर (

इस प्रकार के शिविरों का प्रमुख उद्देश्य शालात्यागी बच्चों विशेषकर अनुसूचित जाति बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है । यह शिविर प्राथमिक एवं उ.प्राथमिक दोनो के लिए चलाये जाते हैं शिविरों का संचालन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होगा । इन शिविरों में उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चों को जो शालात्याग कर चुके हैं और इसके कारण शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गये हैं शिक्षित करके उनके स्तर के अनुसार औपचारिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा । शिविर की अवधि १० दिन की होगी इन शिविरों में ऐसे बच्चों को ही प्रवेश दिया जायेगा जो विद्यालय से बाहर रहें हैं और अभिप्रेरणा के आभाव में शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रहें हैं । इन शिविरों में बालक बालिकाओं के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जायेगा और साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यकमों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जायेगा । इनका लक्ष्य निम्न है :-

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	योग
शिविरों की संख्या	-	7	10	10	10	-	-	-	-	25

ब्रिज कोर्स ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र आधारित कोर्स :

ब्रिज कोर्स / ग्रीष्म कालीन / क्षेत्र आधारित शिविर :- सड़क/प्लेटफार्म, मलिन बस्तियों, दुकानों, घुमन्तू बच्चों, नौकरी पेशा, कुलीगिरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों जिनके अभिभावक जेल में हैं अथवा बाल श्रमिकों/खतरे के उद्योगों में लगे बच्चे जिनका वय वर्ग 9-14 है, के ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविर संचालित किये जायेंगे। ब्लाक पूरनपुर-मरौरा के मध्य एक ब्रिज कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त शारदापार (पूरनपुर) क्षेत्र में भी एक ब्रिज कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है।

इन ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित रहे इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा।

प्रत्येक ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविरों में 9 से 14 वर्ष तक के न्यूनतम 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेंगे तथा ये शिविर आवासीय होंगे। इन शिविरों में बच्चों के रहने, खाने पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी।

निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ब्रिज कोर्स/शिविरों के लिए एक (01) केयर टेकर, दो (02) पैरा टीचर्स, एक (01) कुक (रसोइया) तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी और इस पर चयन मानक प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि हेतु संविदा के अन्तर्गत व्यवस्था की जायेगी। केयर टेकर/अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिए वित्तीय मानक प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी की भांति रखी जायेगी। केवल आवासीय व्यवस्था, खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था एवं साज-सज्जा आदि के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी। अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था में ग्राम पंचायत /ग्राम शिक्षा समिति/जन समुदाय का सहयोग/कुछ अंशदान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। ब्रिज कोर्स खोलने हेतु उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी जहाँ पर निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध हो सके यह भी ध्यान रखा जायेगा कि ब्रिज कोर्स विकास खण्ड/जनपद मुख्यालय में स्थापित हो।

ब्रिज कोर्स का संचालन ग्रामीण/नगर क्षेत्र के मुख्यालयों में किया जायेगा। आवासीय व्यवस्था यदि निःशुल्क प्राप्त हो जाय तो उस क्षेत्र/स्थान को प्राथमिकता दी जायेगी।

ब्रिज कोर्स/शिविरों की अवधि 4 माह से 18 माह तक रखी जायेगी। इस हेतु रु.1500/- प्रति छात्र/छात्रा अनुमन्य होगी और इसी मानक धनराशि से सम्पूर्ण व्यवस्था की जायेगी। वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 तथा 2004-05 में दो - दो ब्रिज कोर्स चलाये जायेंगे ।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन -

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा जो कालान्तर में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने वाली समिति भी कही जायेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे -

1.	जिलाधिकारी	:	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	:	उपाध्यक्ष
3.	विशेषज्ञ बे.शि.अ./जि.बे.शि.अ.	:	सदस्य सचिव
4.	डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आफिसर (ई.जी.एस.)	:	सदस्य
5.	प्राचार्य जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान	:	सदस्य
6.	जिला स्तरीय श्रम विभाग का अधिकारी	:	सदस्य
7.	जिला पंचायत राज अधिकारी	:	सदस्य
8.	वित्त एवं लेखाधिकारी (कार्यालय बे.शि.अ.)	:	सदस्य
9.	स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि	:	सदस्य

(स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों का नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा)

जनपद में योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों को तैयार करने एवं कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त समिति का होगा।

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका -

प्रस्तावित शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा योजना (E.G.S./A.I.E.) के लिए ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्त्तव्य एवं दायित्व प्रस्तावित हैं।

6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उन्हें चिन्हित करना।

* कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना।
* अनुदेशकों का चयन करना।
* केन्द्रों का समय निर्धारित करना।
* केन्द्रों की साज-सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का वाज़ार मूल्यों पर नियमानुसार क्रय कर केन्द्रों का संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना।
* अनुदेशकों को प्रशिक्षणोपरान्त ही केन्द्र का दायित्व सौंपना।
* अनुदेशकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्र का प्रबन्धन एवं प्रतिदिन निरीक्षण करना।
* केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिए लगातार प्रोत्साहित करना।
* नियमित रूप से अनुदेश के मानदेय का भुगतान करना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका -

कार्यक्रम को सफल वनाने के लिए विकासखण्ड स्तर पर समिति की निम्न भूमिका प्रस्तावित है।

ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।

ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग करना, समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार करना।

कलस्टर रिसोर्स पर्सन/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक की सहायता से केन्द्रों/शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण/अनुक्षण की व्यवस्था करना।

जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध सन्दर्भदाताओं की सहायता से प्रशिक्षण केन्द्र आयोजित कराना।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व :

जनपद में सफल EGS & AIE हेतु जिला शिक्षा सलाहकार समिति को निम्नांकित दायित्व प्रस्तावित है।

शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र एवं नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर से तैयार करा कर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा करना।

केन्द्र/ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन क्षेत्राविशिष्ट सेमिनार/शिविर के प्रस्ताव को स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना।

कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कराना।

अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कर Convergence कार्यक्रमों का संचालन करना।

कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन करना।

स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी नदवार धनराशियों को विकास खण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकमों से संचालनार्थ अग्रिम रूप में उपलब्ध कराना।

विकलांक बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र -

जनपद पीलीभीत में न पढ़ने वाले विकलांग बच्चों की संख्या 10155 है इन बच्चों का विकास खण्डवार चिन्हांकन कर प्राथमिकता के आधार पर ई.जी.एस. एवं ए.आई.ई. केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

विकलांग बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र पर अधिकतम 14 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की आयु तक रखने का प्रावधान है। इसमें न्यूनतम छात्र संख्या को 15 से कम भी किया जाने का प्रस्ताव है। जिस ग्राम/बस्ती/मजरे/टोले/मुहल्ले में विकलांग बच्चे है उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर छात्र संख्या एवं उम्र में पूरी छूट दिया जाये प्रस्तावित है कोई भी विकलांग शिक्षा से वंचित न रहे जाय इस बात का पूर्ण प्रयास

किया जायेगा। चलने में यदि असमर्थ है तो या तो उसके घर पर केन्द्र खोला जायेगा अथवा साइकिल अथवा बैसाखी उपकरणों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करना प्रस्तावित है।

बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र -

जिन ग्रामों/बस्तियों/मजरों/टोलों/मुहल्लों में बालिका साक्षरता दर न्यूनतम है ऐसे ग्रामों में बालिका वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे तथा महिला अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी। इसमें सामुदायिक सहभागिता, कलाजत्था, महिला मंगल दल, माँ-बेटी मेला, किशोरी संघ, आदि के सहयोग से चेतन जागृति एवं बालिका शिक्षा में रुचि को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। महिला साक्षरता दर में न्यूनता के आधार पर ब्लाक सढौली कदीम एवं गंगोह में बालिका शिक्षा केन्द्र प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने प्रस्तावित हैं।

अल्पसंख्यकों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र -

जनपद का अधिकांश 6 से 14 आयु वर्ग का निरक्षर अल्पसंख्य समुदाय से सम्बन्धित है जो केवल मकतब में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है। इस कार्यक्रम में मकतबों मदरसों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव फोकसग्रुप डिस्कसन के अन्दर आया तथा माननीय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया गया कि इन मकतबों/मदरसों में उसी धर्म का व्यक्ति यदि हाईस्कूल उत्तीर्ण है तो उसे अनुदेशक के रूप में चिन्हित किया जाये और वहाँ पर निःशुल्क बेसिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाये।

3. रणनीति

जनपद पीलीभीत में प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों की संख्या

सारणी

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित ई.जी.एस. केन्द्रों की संख्या
1.	मरौरी	08
2.	अमरिया	10
3.	पूरनपुर	18
4.	ललौटीखेड़ा	17
5.	बरखेड़ा	06

6.	बीसलपुर	09
7.	बिलसन्डा	37
	योग	105+1

स्रोत- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित केन्द्रों की सूची के आधार पर।

विकास खण्ड वार प्रस्तावित ई.जी.एस. केन्द्रों के स्थलों का नाम

प्रथम चरण (Phase-I)

1. विकास खण्ड मरौरी -
   1. भूड़ा गौंटिया (बिलगवां)
   2. सैंडा गौंटिया (बिलगवां)
   3. पुरवा (सुहेला कला)
   4. बांस बोझ (सुहेला कला)
   5. शाहवतगंज (न्यूरिया हुसेनपुर)
   6. मानपुर (न्यूरिया हुसेनपुर)
   7. कैम (कैम)
   8. आराजी रम्पुरिया (रम्पुरिया सिरसा)
2. विकास खण्ड अमरिया -
   1. हेतम डांडी (बल्लिया)
   2. फरीदपुर हसन (उडरा)
   3. इदारी (बढ़ैपुरा)
   4. दियूनी (भूड़ा)
   5. वेलापुरवा (भरतपुर)
   6. खिरका (बहरुआ)
   7. टांडा विजैसी मु. (टांडा विजैसी सहराई)
   8. हिमकरपुर (आसपुर)
   9. पस्तोर (हरहरपुर हसन)
   10. ढ़किया (उस्करी ढ़किया)

3. विकास खण्ड पूरनपुर

1. सवलपुर मु. रम्पुरा फकीरे (सवलपुर मु.)
2. मदारपुर (घुंघचाही)
3. रूपपुर नौगवां (अभयपुर ता.जगतपुर)
4. काना डांडा (भगवन्तापुर)
5. पिपरिया लाल (बंजरिया)
6. कीरतपुर (बंजरिया)
7. मगरिया खुर्द कला (मगरिया खुर्द कला)
8. कपूरपुर (कपूरपुर)
9. खानपुर मघेलिया (सिमरा ता. घुंघचाही)
10. सुआ बोझ (सुआबोझ)
11. चकलौआ फार्म (महरोला)
12. नानक नगरी केसर (वैलहा)
13. हजारा (चंदिया हजारा)
14. मजदूर बस्ती (चंदिया हजारा)
15. मजरा टोला सं.4 (वमनपुरी भागीरथ)
16. नेहरू नगर (भरतपुर)
17. अनूप नगर (सिघार उर्फ टाटरगंज)
18. गौटिया (अमरैया कला)

4. ललौरीखेड़ा

1. किशनपुरा (गौनेटा)
2. जगन्नाथ पुरी गौटिया (निलाम मंडी)
3. करैया (रम्पुरा मिश्र)
4. इस्लाम नगर गौटिया (नौगवां पकाड़िया)
5. गौटिया पौटा (पौटा कला)
6. भूड़ा विक्रमपुर (आलियापुर)
7. मछिवन गौटिया (जिरौनिया)
8. जलदेव गौटिया (जिरौनियां)

9. भैसांइ (चिनौरा)
10. सेमर गौटिया (जिरौनियां)
11. पिपरावाले नं.2 (पिपरावाले)
12. गौटिया (मधुडांडी)
13. विलहार (वजुराहा)
14. गुलड़िया सख्तपुर (अमरगंज)
15. रहपुरा (नूरपुर)
16. गौटिया लालपुर (लालपुर)
17. संडिया एतमाली (संडिया)

5. विकास खण्ड बरखेड़ा

1. घुरी खुर्द
2. गौटिया लखनऊ (वरखेड़ा)
3. भैसाही पर्वतपुर (जगीपुर जैतपुर)
4. वाम घाढ (वकैनिया दीक्षित)
5. गहलुइया (पचपेड़ा पुरवा)
6. कल्यानपुर पर्वत (सौघर)

6. विकास खण्ड बीसलपुर

1. दुवहा (अहिर वाड़ा)
2. कैथुलिया (सफौटा)
3. मिघाई (कुमिरत्वा)
4. रिछुलिया (रिछोला खवदा)
5. गुलड़िया (सुजनी)
6. मरेहना (गुलैंदा गौटिया)
7. सुकरिया (जस करनापुर)
8. मरकनिया (पहाड़गंज)
9. महवा (कितनापुर)

7. विकास खण्ड बिलसन्डा

1. गोपालपुर (दियोरियाकला)

2. वसेंगा (दिवोरिया कला)
3. खपटिया (दियोरिया कला)
4. जसुपुरा (जमुनिया)
5. इलाहाबाद देवलर (किशनपुर)
6. नौगमिया (अकोड़ा)
7. सिमरा महीपत (नगरारता)
8. दियोरिया खुर्द (नगरारता)
9. शाहजादपुर (हरैया)
10. फिरसा चुर्रा (फिरसा चुर्रा)
11. नवदिया (रामपुर अमृत)
12. विक्रमपुर (रामपुर अमृत)
13. भोकमपुर (वकैनिया)
14. मोहम्मदपुर (बकैनिया)
15. कुरैया कला (कुरैया कला)
16. डलापुर (कुरैया कला)
17. मकरन्दपुर (कुरैया कला)
18. ढ़कवारा (भदेगकंजा)
19. लाल नगरा (भदेगकंजा)
20. जगन्नाथपुर (भदेगकंजा)
21. भरेना (भदेग कंजा)
22. हीरपुर (मीरपुर हीरपुर)
23. जादौपुर (इलाहाबाद सिमरा)
24. विल्हरा (मुड़िया सिमरा)
25. हर्रायपुर (मीरपुर हर्रायपुर)
26. ढ़किया (ढ़किया जलालपुर)
27. चढिया (विलासपुर)
28. विहारीपुर खुर्द (हेमपुर)
29. पसियापुर (राठ)

30. पिपरिया (पिपरिया सिंगीपुर)

31. सरैया (पडरी भरौरी)

32. कौहरा (पडरी भरौरी)

33. मोहनपुर (कल्यानपुर)

34. गौटिया (सिधौरा खरगपुर)

35. पतिजिया (सिधौरा खरगपुर)

36. टेहरी (टेहरी)

37. खेड़ा (ईटगांव)

उपरोक्त केन्द्र प्रस्तावित हो जाने के वाद विकास खण्ड ललौरीखेड़ा वीसलपुर तथा विलसन्डा में अब कोई बस्ती शेष नही बची है। उक्त विकास खण्ड ई.जी.एस. केन्द्रों से पूर्णतः संतृप्त हो जायेंगे। लेकिन विकास खण्ड पूरनपुर में 26, बरखेड़ा में 10, मरौरी में 49 तथा अमरिया में 48 ई.जी.एस. केन्द्रों की आवश्यकता होगी।

प्राथमिकता के आधार पर कक्षा-1 व 2 में पढ़ने योग्य छात्रों का पंजीकरण प्राथमिक विद्यालयों में कराया जायेगा। 133 ई.जी.एस. केन्द्रों की और आवश्यकता है। परन्तु 100 केन्द्र ही खोले जायेंगे। विकास खण्डवार शेष केन्द्र निम्नांकित है :-

सारणी

द्वितीय चरण में विकास खण्डवार प्रस्तावित ई.जी.सी. केन्द्रों की संख्या :-

क्रम सं.	विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित ई.जी.सी. केन्द्रों की संख्या
1.	मरौरी	30
2.	अमरिया	40
3.	पूरनपुर	20
4.	ललौरीखेड़ा	-
5.	बरखेड़ा	10
6.	बीसलपुर	-
7.	विलसन्डा	-
	योग	100

द्वितीय चरण (Phase II)

विकास खण्ड मरौरी -

क्रम सं.	ग्राम पंचायत	असेवित बस्ती का नाम
1.	रम्पुरिया सिरसा	कुंडली दहगला
2.	चंदोई	जादौपुर
3.	मैदना	मैदनियां
4.	रामनगर खरोसा	शीकलपुर
5.	गौहरपुर	उल्हतापुर
6.	देशनगर	देशनगर
7.	"	प्रभुगंज
8.	गौहनियां	गौटिया
9.	"	पीलीभीत मुगल.
10.	"	पीलीभीत ता.
11.	चिड़ियादह	लालपुर गौटिया
12.	विलगवां	भवतापुर
13.	जानापुरी	विचपुरी
14.	"	तुर्कपुरी
15.	"	बालपुरा
16.	टाह	मानपुर किशनपुर
17.	"	पीनाताल
18.	"	खरा
19.	मरौरी	रूपपुर
20.	"	मरौरी एत.
21.	कैम	गुर्ज गौटिया
22.	"	सिकलापुर
23.	नरान्तपुर	बसन्तपुर मुगल
24.	"	पुर्दाभूड़ा एतमाली
25.	चारपुर	रम्पुरा
26.	सैजना	सैजनियां
27.	"	अनारनगर

28.	मोहनपुर	गौटिया
29.	भिलैया गांव खेड़ा	कुंवरपुर
30.	दियोनी	गौटिया
31.	खाग	पुरवा
32.	कल्यानपुर नौगवां	लालपुर
33.	जैतपुर	जैतपुर ता.
34.	ढ़ेरम मंडरिया	मिलक
35.	" "	ढेरमनडरिया
36.	" "	रिछोला
37.	अजीतपुर पटपुरा	पटपुरा
38.	" "	रामनगर
39.	" "	महुवालवल
40.	सिरसा सरदाह	सिरसा सरदाह एत.
41.	कल्लिया	किशनपुर
42.	हरैया उर्फ हरकिशनापुर	हरैया
43.	हरैया उर्फ हरकिशनापुर	चौड़ाखेड़ा
44.	न्यूरिया हुसेनपुर	अलीगंज
45.	महोफ	कुआंरखेड़ा
46.	न्यूरिया खुर्द उर्फ शिवपुरिया	न्यूरिया खुर्द
47.	मैसीरो दुल्लागंज	सैजनी
48.	" "	वनकटी
49.	" "	मेवातपुरा

2. विकास खण्ड अमरिया

क्रम सं.	ग्राम पंचायत	असेवित बस्ती का नाम
1.	अडौली	तया
2.	आसपुर	श्यामपुर एतमाली
3.	"	" मुगल

4.	"	नवादा बिसेन
5.	अडरायन	अडरायन एत.
6.	वरादुनियां	वरादुनियां एत.
7.	मझलिया	मझलिया मु.
8.	विलासपुर	लोहारगंज
9.	वरातवोझ	सुस्वार एत.
10.	"	पंसोली एत.
11.	नगरिया	नगरिया एत.
12.	जगत	जगत एत.
13.	"	गजरौला
14.	उडरा	भवरा
15.	"	जमगहन
16.	"	मोहनपुर
17.	फुलैया	विल्हरा माफी
18.	वल्लिया	केसरपुर
19.	विरहनी	विरहनी
20.	"	भरापचपेड़ा
21.	"	पठरी कटैया
22.	भूड़ा	भूड़ा
23.	फरंदिया	खली नवादा मु.
24.	"	" " एत.
25.	"	किशनपुर मु.
26.	"	किशनपुर एत.
27.	तुर्कपुर उर्फ बढ़वार	तुर्कपुर उर्फ बढ़वार एतमाली
28.	कटनरा	बढ़रा किसनदास
29.	"	पढ़रा रामदास
30.	तिरकुनिया नसीद	नवदिया जिउनियां
31.	सूरजपुर	सूरजपुर एतमाली

32.	"	मझारा
33.	टोडरपुर मुगल	मझिगवां मु.
34.	" "	" एतमाली
35.	टांडा विजैसी सहराई	विहारीपुर
36.	" "	रामपुर बैराज
37.	" "	ललपुरिया
38.	टांडा विजैसी सहराई	गुलड़िया रामचन्द्र
39.	भिण्डारा	भगतनिया
40.	गिधौर	पलैया
41.	"	गगनापुर
42.	निवाड़ऐसपुर	निवाड एसपुर एत.
43.	" "	बंजरिया कल्लू
44.	रफियापुर	आराजी दीन नगर
45.	उल्करी ढ़किया	आलमपुर
46.	धनकुनी	आराजी धनकुनी
47.	उगनपुर	लऔर एत माली
48.	"	" मुगल

3. विकास खण्ड पूरनपुर

क्रम सं.	ग्राम पंचायत	असेवित बस्ती का नाम
1.	शहयाजपुर जगतपुर	जमुनिया जगतपुर
3.	खीरी नौवरामद	खीरी नौवरामद
4.	आनन्दपुर उर्फ भगवन्तपुर	आनन्दपुर उर्फ भगवन्तपुर
5.	बजरिया	नौगवां
6.	"	कैसरपुर
7.	हरीपुर कला	सुन्दरपुर
8.	पिपरिया दुलई	चीनी मिल कालोनी
9.	कल्याणपुर	कल्याणपुर मजरा

10.	चंदिया हजारा	राहुल कुलवा फार्म
11.	नहरोआ	नहरोआ कुलवा घाट
12.	वैलहा	मजरा बाजार बस्ती
13.	"	मास्टर नगर वस्ती
14.	"	राजनगर
15.	"	शारदापुरी मजरा
16.	भरतपुर	अयोध्या नगर
17.	मुरैनिया गाँधी नगर	आजाद नगर
18.	राणा प्रताप नगर	चिरैया टोला
19.	रामनगर	चपरा
20.	"	रामनगर बस्ती
21.	विजय नगर	गौतम नगर
22.	सिथारा टाटरगंज	रामनगर
23.	अशोक नगर	बाबा कालोनी
24.	" "	पिपरा कालोनी
25.	जमुनिया	लक्ष्मी पुर
26.	पिपरिया करम	भोपत पुर

4. विकास खण्ड ललौरीखेड़ा - आवश्यकता नहीं।

5. विकास खण्ड बरखेड़ा -

क्रम सं.	ग्राम पंचायत	असेवित बस्ती का नाम
1.	कुरैया फूटा कुआं	फूटाकुआं
2.	गझाड़ा	गझाड़ी
3.	"	सुधिया
4.	सौधा	पकड़िया ता. इमरिया
5.	भीकमपुर उर्फ परानपुर	वरवही
6.	वकैनिया	पल्लिया माधो
7.	मूसेपुर कला	दिवोरा

8.	दियोहना	दियोहना
9.	"	वट्टी
10.	सिंधौरा बिन्दुआ	हसनपुर

6. विकास खण्ड बीसलपुर - आवश्यकता नहीं।
7. विकास खण्ड विलसवा - आवश्यकता नहीं।

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। "अण्डर ऐज" व "ओवर ऐज" बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के 17674 आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षो में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव मार्डल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव मार्डल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी। इस प्रकार के कुल 100 केन्द्र खोले जायें

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता आमन्त्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/466/2001–2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके है। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या : रा0प0नि0/539/2001–2002 दिनांक 7 जून, 2001 द्वारा उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद् के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजुकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते है, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

अध्याय - 8
ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की लक्ष्य प्राप्ति में अबतक के अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि बालक बालिकाओं का विद्यालय में पंजीकरण तो हो जाता है कतिपय कारणों से ठहराव में वृद्धि न होने के कारण ड्राप आउट की समस्या आती है। सर्व शिक्षा अभियान में ठहराव में वृद्धि करने के लिए कारगर प्रयास किये जा रहे है, जिनमें ही मुख्य प्रयास निम्नांकित है।

सारिणी 8.1
वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता (मांग)

क्रम सं0	आइटम/सुविधा का नाम	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1.	विद्यालय पुनर्निर्माण	45	27
2.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	411	270
3.	पेयजल सुविधा	-	20
4.	शौचालय	-	68
5.	चहारदीवारी	.	.

स्त्रोत - विभागीय आंकड़े

सारणी 8.2

प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एंव आगामी वर्षो में शिक्षकों की आवश्यकता

क्र. स.	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चें	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षा मित्र	योग	40:1 की दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र
1	2003-04	190414	2508	903	3411	4760	1349	674	
2	2004-05	194604	3182	1578	4760	4865	105	52	728
3	2005-06	198885	3234	1631	4865	4972	107	53	54
4	2006-07	203260	3287	1685	4972	5081	109	54	55

सन 2001 की जनगणना क आधार पर गांववार विस्तृत आंकड़े प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़े प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) मे एव जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयो का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

जनपद में 140 प्राथमिक तथा 60 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य है, जिनकी मरम्मत हेतु रू. 20,000 की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी 30 प्राथमिक विद्यालय तथा 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहत मरम्मत योग्य है उनकी मरम्मत हेतु रू. 70,000 की दर से धन राशि दी जायेगी । लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहत मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार परियोजना कार्यालय का होगा ।

चहार दीवारी :-

जनपद में 960 प्राथमिक विद्यालय 160 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहार दीवारी हेतु रू0 40,000/- प्रति विद्यालय का लक्ष्य रखा गया है जो क्रमशः 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004 में क्रमशः [illegible]0, [illegible]0 एवं [illegible]0 विद्यालयों की चहार दीवारी का लक्ष्य रखा गया है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें :-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेगी । प्राथमिक स्तर पर यह डी.पी.ई.पी. योजना समाप्त होने के बाद से दी जायेगी । जिनका लक्ष्य निम्न है :-

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
प्रा.वि.	-	-	136078	138800	141576	144070		[illegible]	[illegible]
उ.प्रा.वि.	[illegible]	46491	54343	63224	64488	65778			

बालिका शिक्षा :-

सभी जन समुदाय के शिक्षित होने से ही राष्ट्र की उन्नति एवं विकास होता है इस तथ्य को स्वीकारते हुए भारतीय संविधान ने 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के प्राविधान के प्रति अपनी वचन बद्धता व्यक्त की है। संविधान में राज्य को निर्देश दिया गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चो के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान किया जाये।

संविधान में दिये गये मौलिक अधिकार नागरिकों को हर प्रकार के भेदभाव, धर्म एवं जाति, लिंग एवं जन्म के स्थान पर आधारित उत्पीड़न से रक्षा करते है। पंचवर्षीय योजनाओं ने संविधान में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वचन बद्धता का समर्थन किया है एवं अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आरंभ किया है। बालिका शिक्षा के प्रचलित परिवेश एवं रणनीतियों में समय के साथ बदलाव आया है। 1986 में आयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा पश्चात् आरंभ की गई कार्यनीति के अन्तर्गत महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा को महिलाओं के स्तर मे बदलाव लानें के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में स्थापित किया है। महिलाओं निरक्षरता को दूर करने एवं प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुंच एवं धारण में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने का प्राथमिकता दी जायेगी एवं इसके विशेष सहायक सेवाये, समयबद्ध लक्ष्य एवं सुचारू अनुश्रवण होगा।

उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर राष्ट्रीय दर 52.2 प्रतिशत के विपरीत 41.6% प्रतिशत है। महिलाओं एवं पुरूषों की राष्ट्रीय साक्षरता दर 64.1 प्रतिशत और 25.3 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर कई जिलों में 7 प्रतिशत से भी कम है। नामांकन आंकड़े न केवल जेडकर व सामाजिक समूहों पर आधारित भिन्नता दर्शाते है अपितु ये पर्याप्त रूप से नगर ग्राम असमानता को भी दर्शाते है यह अनुमान है कि स्कूल में प्रवेश लेने वाले छात्रों में से 56 प्रतिशत कक्षा 8 उत्तीर्ण करने से पूर्व ही शाला का त्याग कर देते हैं।

उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के कुल नामांकन अनुपात में 1996-97 से 1999-2000 के मध्य 14.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण 1999-2000 में बालिकाओं के जी0ई0आर0 में 98 प्रतिशत की वृद्धि है जो 1996-97 में 80.4 प्रतिशत बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के मुताबिक राज्य का सम्पूर्ण कुल नामांकन 100 प्रतिशत है। 1999-2000 में बालकों के लिए यह 105.3 प्रतिशत एवं बालिकाओं के लिए 98.7 प्रतिशत है। (1999-2000) बालिकाओं के 1996-97 में कुल नामांकन अनुपात की तुलना में यह 24.6 प्रतिशत है।

बालिकाओं की शिक्षा के अवरोधक तत्व :-

बालिकाओं के नामांकन एवं शाला त्याग के कारण जटिल है। इनमें संरचनात्मक कारण जैसे वस्तियों में स्कूलों का अभाव, महिला शिक्षकों का अभाव, आर्थिक बाध्यता और समाज में प्रचलित सांस्कृतिक धारणायें और अन्ध विश्वास जटिल कारण है। बालिकाओं के लिए शिक्षा की मांग न होना ही उनके न्यूनतम नामांकन का मुख्य कारण है, जबकि यह दर्शाया जाता है। कि बालिकाओं के लिए शैक्षिक सुविधाए अपर्याप्त है। स्कूल का वातावरण भी ऐसा है। जा बालिकाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित नही कर पाता है। और न ही उसकी विशेषताओं को उभारता है। कटाई, शादी, त्यौहार मेलों के अवसर पर भी इनकों घर पर ही रोक लिया जाता है। जिससे कि स्कूल की उपस्थिति मे भारी कमी हो जाती है।

1. जागरूकता क्रिया कलापों के द्वारा बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय वातावरण बनाये जाने पर जोर।

2. जेन्डर संवेदन बनाना जिससे समाज बालिकाओं की शिक्षा को समानता और सहजता से समझ सके।

[illegible] करना।

4. शिक्षकों को कक्षा में जेण्डर भेदभाव आधारित क्रिया कलापों को रोकने हेतु प्रशिक्षित किये जाने के लिए प्रशिक्षण माड्यूल विकसित करना।

5. ई0सी0सी0ई0 तथा अन्य वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करना।

6. महिला समाख्या कार्यक्रम, महिलाओं को शिक्षा के लिए संगठित करना।

7. प्राथमिक शिक्षा से उच्च स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं को जोड़े रखने की रणनीति से कार्य करना। कार्यानुभव पर आधारित शिक्षा को महत्व।

कार्यक्रम :

बालिकाओं की शिक्षा हेतु समुदाय के साथ कार्य करना। प्राथमिक शिक्षा की सामुदायिक स्वामित्व प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनी करण के लिए सामाजिक सहभागिता अति आवश्यक है। सामुदायिक सहभागिता को बढावा देने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत कई संगठनात्मक नीतियों का क्रियान्वयन क्रिया है जिसका मुख्य उददेश्य सामुदायिक सहभागिताओं को बढावा देना है।

ग्राम शिक्षा समिति (वी0ई0सी0) में से कम से कम तीन महिला सदस्यों के होने का प्रविधान है। इनमें से एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सदस्या, एवं अनुसूचित जाति की नामांकित महिला एवं एक नामांकित मां का होना जरूरी है।

बालिकाओ की शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता निम्नांकित होगी :–

1. बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं विद्यालय प्रबन्धन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढावा।
2. महिला समूहों का संगठन एवं महिला समाख्या के साथ साथ उनका, समन्यवन।
3. ग्राम शिक्षा समिति माता शिक्षक संघ अभिभावक शिक्षक संघ।
4. ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
5. बालिकाओं की आवश्यकता के प्रति प्रशिक्षण की जागरूकता को बढाना।

मीना अभियान :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सामुदायिक वचनबद्वता के विकास के लिए "मीना कैम्पेन" नामक एक विशिष्ट योजना का आरंभ किया गया है। यह यूनीसेफ द्वारा विकसित मीना नामक बालिका पर तैयार भव्य हास्य सामग्री का प्रयोग इस योजना में किया जाता है।

माँ बेटी मेला एवं महिलाओं की संसद :–

बालिकाओं की शिक्षा के विषय में महिलाओं का संगठित होना आवश्यक है और इस उददेश्य से माँ बेटी मेलों और महिला संसदो का आयोजन किया जाता है।इसके कार्यान्वयन के एक वर्ष के अन्दर करीब 222 बाप बेटी मेलो एवं महिला संसदों का आयोजन किया है। इन मेलों का मुख्य उददेश्य है :

1. बालिकाओं की शिक्षा के विषय में जागरूकता बढाना और इसके लिए आवश्यक सामग्री बांटना।

2. बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में माताओं को शिक्षित करना।

3. शिक्षकों अभिभावकों के बीच एक क्रियाशील सम्बन्ध की स्थापना करना।

4. बालिकाओ द्वारा अनुभव की गई समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट करना।

5. बेटे और बेटियों के प्रति लोगो के विचारों को जानने के लिए जेण्डर आधारित वार्ताओं का आयोजन।

6. वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर कर्ताओं का आयोजन करना एवं उपस्थित समूह से इस प्रणाली को व्यक्त की गई आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी और प्रभावकारी बननें पर वार्तालाप करना।

समानता के लिए शिक्षा :–

महिला के संगठनों के अतिरिक्त महिला समाख्या कार्यक्रम विभिन्न आयु वर्गो के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता हैं। महिला समाख्या के कार्यक्रम में शैक्षिक एवं अन्य हस्तक्षेप समुदायों जैसे महिला संधों के साथ मिलकर विकसित किये गये है।

इन प्रयासों से (6–14 आयु वर्ग के बालिकाओं एवं बालकों के लिए) किशोरी केन्द्र, महिला शिक्षण केन्द्र खोलना सम्मिलित है, महिला समाख्या का शिक्षा के प्रति निम्न दृष्टिकोण है :–

1. महिलाओं की शैक्षिक प्राथमिकताओं का आदर।

2. व्यक्तिगत विविधता के आदर एवं सोच विचार के लिए समय।

3. समुदाय एवं ग्रामीण स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमों में महिला संघो की भागीदारी के लिए समर्थ बनाना।

4. शैक्षिक प्रतिमाओं में जेन्डर संवेदन शीलता।

5. बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण।

उत्तर प्रदेश में पुरूषों एवं महिलाओं के बीच जेण्डर भेद पर आधारित शैक्षिक असमानता को ध्यान में रखते हुए महिला समाख्या की वैकल्पिक शिक्षा के आयाम [illegible] प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।

बाल केन्द्र :—

संघ की महिलाओं ने जब अपने बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझा तो उन्होने अपने घर के पास बच्चो की शिक्षा के लिए व्यवस्था व्यक्त की। इसके पश्चात् बाल केन्द्रों की संकल्पना एवं स्थापना की गयी। इस विधा ने उन बच्चों विशेष रूप से उन बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान किये जिनकी पहुँच औपचारिक शिक्षा सुविधाओं तक नही है।

किशोरी केन्द्र :

बाल केन्द्र बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है, किन्तु वे ऐसी किशोरियाँ जिन्होने प्राथमिक शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया है उनकी ज्ञान की जिज्ञासा को पूर्ण नही कर सकते है। संघ की महिलाओं समुदाय एवं किशोरियों से विचार विमर्श के पश्चात् इस आयु वर्ग की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए किशोरी केन्द्रो की स्थापना की गई। इन किशोरी केन्द्रों ने किशोरियों को उच्च प्राथमिक शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए अपने यहां अन्तरिम स्तर पर पढने का अवसर दिया। समय का लचीलापन तथा स्थानीय महिला शिक्षिका से बालिकाओ के नामांकन में वृद्वि हुई।

किशोरी संघ :

किशोरी संघ का उदय किशोरी केन्द्रो से हुआ है। यह किशोरियों के समूह है जिनका संगठन स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण कानूनी साक्षरता व्यवसायिक प्रशिक्षण व जीवन कौशल जैसे विषयों को ध्यान में रखकर किया गया है।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :

प्राथमिक शिक्षा में बच्चो की भागीदारी बढाने हेतु उन बालिकाओं को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो मे नामांकित किया जायेगा, जो अपरिहार्य कारणों से विद्यालय में नही जा पा रही है।

ब्रिजकोर्स व ग्रीष्मकालीन सत्र चलाये जायेंगे। विद्यालयों मे बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव पर विशेष बल दिया जायेगा। वे सभी प्रयास किये जायेंगे जो ठहराव वाले अध्याय में वर्णित किये गये है।

बाल शाला :

बाल शाला का लक्ष्य छोटे बच्चो तथा उनके 11 वर्षीय भाई बहनो पर है। बड़े बच्चों के दल को प्राथमिक शिक्षा और 3–6 वर्ष के बच्चों को स्कूल में उत्साही पैकेज प्रदान किया जायेगा। जिन बालिकाओं पर अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख का उत्तरदायित्व

है वे इसी कारण स्कूल से बाहर रहती है। इस अधिगम द्वारा दोनो आयु वर्ग के बच्चों को एक साथ जोड़ा जाता है।

प्रहर पाठशाला :–

प्रहर पाठशाला एक रणनीति है जों कि मुख्यतः 9+ बालिकाओं के लिए है, जिन्होंने विद्यालयों में जाना आरम्भ नही किया है। या जो स्कूल छोड़ चुके है 9–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 15 बालिकाओं के साथ एक प्रहर पाठशाला को आरम्भ किया जा सकता है।

नकतब/मदरसा :–

मुस्लिम बालिकाओं जो अधिक संख्या में स्कूल से बाहर है उनके लिए मकतब/मदरसो के सशक्तीकरण की नीति तैयार की गई है। यह स्पष्ट है कि सामुदायिक रूप से मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक पुस्तक के अध्ययन पर ही आधारित है। इसका मुख्य कारण से बालिकाये औपचारिक स्कूलों से बाहर रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उदेदश्य है मदरसों वातावरण में बालिकाओं एवं शिक्षको को औपचारिक शिक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, साथ साथ औपचारिक पाठय क्रम को भी मदरसों/मकतबों में प्रारंभ करना।

विशेष वर्ग की शिक्षा समेकित शिक्षा

भारत की लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रस्त है शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नही किया जा सकता जब तक कि विकलांगता के विभिन्न प्रकारों से रोग ग्रसित बच्चों को विद्यालय नही लाया जाय। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहां बच्चें के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। वही परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करना है। कुछ बच्चें विकलांगता के उपरान्त भी शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करते है। एवं उनमें शिक्षा प्राप्त करने की भावना होती है लेकिन विकलांग शिक्षा के अभाव में अशिक्षित ही रह जाते है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों को शिक्षा पर विशेष महत्व दिया है।

विकलांगता/अक्षमता के प्रकार :–

विकलांगता/अक्षमता मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती है –

1. दृष्टि विकलांगता/नेत्र विकलांगता
2. श्रवण सम्बन्धी विकलांगता

3. मानसिक मन्दता

4. अधिगम मन्दता

5. आश्रित विकार

विकलांगता/अक्षमता का कारण :-

जहां तक विकलांगता का शरीर में पाये जाने का प्रश्न है वहां यह दो प्रकार की होती है -

1. जन्म से - यह विकलांगता जन्म से होती है।

2. जन्म के बाद से - यह विकलांगता जन्म लेने के बाद से किसी भी समय से हो सकती है कुछ प्रकरणों में यह विकलांगता वातावरण/रसायनिक प्रभाव से भी हो जाती है। जैसे भोपाल गैस काण्ड के बाद वहां वातावरण के रासायनिक प्रभाव से विकलांगताा बढी है।

1991 की जनगणना के अनुसार जनपद पीलीभीत की जनसंख्या 1283103 है। राष्ट्रीय दर के अनुसार विकलांगता वाले बच्चों की स0 8324 बालक 4491 तथा बालिका 3833 अनुमादित है। इस प्रकार 2001 में अनुमानित स0 10155 बालक 5479 तथा बालिका 4676 है। जिनमें विकलांगता/अक्षमता निम्न प्रकार है -

	बालक	बालिका	योग
1. दृष्टि विकलांगता	503	104	607
2. श्रवण विकलांगता	1223	756	1979
3. मानसिक मन्दता	1751	1113	2864
4. अधिगम मन्दता	776	853	1629
5. आश्रित विकार	1226	1850	3076
योग	5479	4676	10155

विकलांगता के कारण बच्चों में आत्म निर्भरता में कमी, चलने में अक्षमता, समाज से उपेक्षित आदि बातों का बच्चे के मानसिक विकास में असर पडता है। परिवार में ऐसे बच्चों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। परिवार पर आर्थिक बोझ भी अधिक पडता है। ऐसे बच्चों को हर समय अकेला नही छोडा जाता। समाज से भी अपेक्षा रहती है कि समाज ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान दें प्रोत्साहित करें।

अक्षम बच्चों को शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियां है। अनेक शिक्षकों बुद्वि जीवियों का विश्वास है कि अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता है जबकि हन वास्तव में ऐसे प्रयास नही कर पा रहे है।

यदि परिवार एवं समाज इन बच्चों के शिक्षा के प्रति ध्यान दे तो विकलांग बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते है। यदि इन बच्चों को सही नार्ग दर्शन मिले तो ये कठिन कार्य करने में भी नहीं हिचकेंगे इसके लिए हमें सबसे पहले अपना, अपने परिवार का दृष्टिकोण बदलना होगा । इन बच्चों को सहानुभूति की ही नही सहायता की भी आवश्यकता है।

जनपद पीलीभीत में विकलांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित है जहां पर विकलांगो को निःशुल्क सहायता दी जाती है। समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण के शिविर आयोजित किये जाते है। सभी प्रकार की विकलांगता का सर्वेक्षण हुआ है। विभिन्न प्रकार के विकलांग स्त्री पुरूष और बालकों को चिन्हित किया गया है। माननीय केन्द्रीय सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी का पीलीभीत निर्वाचन क्षेत्र है। उन्हे प्यावरण पुनर्वास में व्यक्तिगत रूचि है।

प्रशिक्षण :

विकलांग बच्चों को शिक्षा देने से पहले हमें सभी शिक्षको को प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक है। यह प्रशिक्षण 15 दिन का होगा तथा इसमें प्रति विकास खण्ड 4–4 मास्टर ट्रेनर बनाने होगे जो बाद में अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण दे सके। स्वंय सेवी संगठनों से भी मास्टर ट्रेनर बनाये जायेगे।

मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण

रूहेल खण्ड विश्वविद्यालय बरेली अमर ज्योति रिहैबिलेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, कक्कदुमा विकास मार्ग दिल्ली।

शैक्षिक सामग्री

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री पहले ही प्राप्त हो गई है। सामग्री को सभी विद्यालयों को उपलब्ध करानी हैं।

स्वंय सेवी संस्थाओ की भागीदारी –

विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चो की शिक्षा हेतु तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वंय सेवी संस्थाओ की भागीदारी ली जाती है जो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही हो और निम्नांकित पात्रता रखती हों –

1. संस्था सोसायटीज एजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत कम से कम 3 वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो तथा नवीनीकरण हुआ है।

2. संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता।

3. विकलांगता के क्षेत्र मे काम करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

4. संस्था विकलांगता जन अधिनियम 1995 की धारा –5 के अधीन पंजीकृम हों।

अनुमादित बजट

क्रम	मद	अनुमादित बजट		
1.	सर्वेक्षण	-		-
2.	चिकित्सा आंकलन	280x7	=	14,000.00
3.	मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग	4x5x2075	=	41,500.00
	मास्टर ट्रेनर प्रति ब्लाक	4x7x500	=	14,000.00
	प्रति मास्टर ट्रेनर	4x7x2575	=	72,100.00
	प्रति ब्लाक	7x10300	=	-
4.	प्राथमिक विद्यालय शिक्षक	17200x2508/37	=	1,65,880.00
5.	छपाई	5x8000	=	40,000.00
6.	अन्य व्यय	7x10000	=	70,000.00
7.	अभिभावक परामर्श केन्द्र	7x500	=	35,000.00
8.	स्पेशल कैम्प	7x3000	=	21,000.00
9.	वोकेशनल कैम्प	7x3000	=	21,000.00
10.	इन्फारस्ट्रेक्चर कैम्प	1055x1200	=	1,21,36000.00
		योग		1,26,80,480.00

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा मे सम्मिलित किये जाने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इन कार्यक्रमो के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनो का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहेगा है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों

द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वय सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इन प्रस्तावों का डेस्क टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एव अनुभवी सगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा।

जनपद में इस प्रकार की स्वंय सेवी संस्थाये निम्नांकित है –

1. राष्ट्रीय महिला कल्याण समिति, खकरा – पीलीभीत.
2. सैन्ट पैट्रिक सेकेण्डरी स्कूल समिति, पोलीगंज, (समिति का अपना बहुत बड़ा चिकित्सालय हैं)
3. राष्ट्रीय महिला उत्थान समिति, पीलीभीत,

सैन्ट पैट्रिक स्कूल समिति पोलीगंज से प्रस्ताव मांगे जा सकते है।

4. महिला उत्थान समिति, पीलीभीत द्वारा ग्राम पिपरिया अगरू में विकलांग बच्चों के लिये एक विद्यालय संचालित किया जा रहा है।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

- समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण

  माता शिक्षक संघ – ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की १०.१२ सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनानें हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें;

  महिला प्रेरक दल – ऐसे गाँव /मज़रे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करनें हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै०शि० केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगें।

- ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन

  - बच्चों की विद्यालय नें उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।
  - बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा –
    - माह में १५ दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान
    - माह में १४ दिन से ७ दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान
    - माह में ६ दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिभाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रियन के बने बैज प्रदान किये जायेंगे।

- सत्र के मध्य एवं सत्रान्त में अभिभावक सम्मेलन

  शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हे अवगत कराते हुए, नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करे जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे है। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- कोहार्ट स्टडी

  अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षो का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोडा है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

- ग्रीष्म कालीन शिविर

  ऐसे गांव / ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम ४० बालिकायें शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें १० दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- 'बेटी हो स्कूल में' – कला जत्था अभियान

  सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। 'बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड दें' यह सुनिश्चित करने के लिये 'बेटी हो स्कूल में' – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव–गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियां की जायेगी. यह अभियान ऐसे गाँवो में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

- **शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण**

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनानें हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा /अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

कार्यक्रम :–

1. शिशु शिक्षा केन्द्र - केन्द्रों की स्थापना :– छोटे भाई–बहनों की देख–रेख में लगे रहने के कारण कुछ बालिकाएं विद्यालय हेतु पर्याप्त समय नहीं दे पातीं जिससे विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पाता। कुछ बालिकाएं इन कार्यो में अधिक व्यस्त रहने के कारण विद्यालय छोड़ देती है।

इस अभियान के अन्तर्गत जनपद में संचालित ध्वै के माध्यम से संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को अधिक प्रभावी तथा इन केन्दों में ३–६ वय वर्ग के बच्चों का नामांकन कराने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा। इस हेतु इन केन्द्रों की अतिरिक्त मानदेय एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जनपद में ICDS विभाग द्वारा नगरक्षेत्र सहित 13 विकास खण्डों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। जनपद के जिन विकास खण्डों में आंगन–बाड़ी केन्द्रों का संचालन नहीं किया जा रहा है और जो महिला साक्षरता की दृष्टि से पिछड़े है में प्रति विकास खण्ड दो चरणों में ६०–६० केन्द्र खोले जायेंगे इस प्रकार कुल १८० केन्द्र खोले जायेंगे। केन्द्रों हेतु ग्राम विद्यालय का चयन न्यूनतम महिला साक्षरता, उच्च शाला–त्याग दर तथा शैक्षिक पिछड़ापन ही होगा। केन्द्रों हेतु कार्यकत्रियों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई०सी०डी०एस० के आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं संचालित हैं उन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनों की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क टाप अप्रेज़ल तथा फील्ड अप्रेज़ल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

२. उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव :– शिक्षा ग्रहण करने के साथ–२ उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के पारिवारिक, पारम्परिक एवं गैर–पारम्परिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है।

वर्तमान शिक्षा–प्रणली में बालिकाओं हेतु उनके भावी जीवन हेतु उपयोगी कार्यक्रमों के अभाव से शिक्षा के प्रति उनकी रूचि एवं अभिभावकों की जागरूकता अपेक्षानुकूल नहीं है। शिक्षा प्रणाली में उपुर्यक्त कार्यक्रमों के सम्मिलित हो जाने से निःसंदेह बालिकाओं का विद्यालय के प्रति रूचि बढ़ेगी तथा अभिलेख बालिकाओं के नामांकन एवं उनकी शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो जायेगे। सिलाई–कढ़ाई, बुनाई, कला चित्रण के साथ–२ स्थानीय आवश्यकता के अनुसार टोकरियाँ बनाने, मिट्टी के खिलौने, कागज के सामान आदि बनाने के प्रशिक्षण से जोड़ा जायेगा।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम :

'प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटी' के संदर्भ में विभिन्न विभागों जिला अर्थ एवं संख्या विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, पंचायत राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला समाख्या एवं स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग एवं समुदायों के साथ विचार–विनिमय एवं सहभागिता के द्वारा आंकड़ों का संकलन, वातावरण सृजन किया गया, साथ ही योजना के संचालन क्रियान्वयन में भी इनके सदुपयोग से सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

आकड़ों के संकलन एवं उसके विश्लेषण में विभागीय गतिशीलता के साथ अर्थ एवं संख्या विभाग के सहयोग से जनांकिकी सम्बन्धी मूलभूत आंकड़ों का संकलन किया गया, जबकि विकलांक कल्याण विभाग के सहयोग से समेकित शिक्षा हेतु ६–११ एवं ११–१४ वय वर्ग के विकलांग बच्चों की सूची प्राप्त की गयी। पंचायत राज विभाग के सहयोग से ग्रामों एवं बस्तियों की सूची प्राप्त की गयी। डूडा के सहयोग से मलिन बस्ती की सूची प्राप्त की गयी।

६–१४ आयु वर्ग बच्चों की शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की सक्रिय भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निरक्षर लोगों की संख्या नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक हैं। नगरी क्षेत्र में मलिन बस्तियों की संख्या अधिक होने के कारण निरक्षर बच्चों की संख्या गाँव एवं नगर दोनों में अधिक है। गाँव में नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था हेतु अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये। बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले गये। शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखते हुए एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामशिक्षा समिति तथा नगर में वार्डवार नगर शिक्षा समिति गठित की गयी। शैक्षिक योजना निर्माण तथा विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी अधिकतर शिक्षा समितियों को प्रदान किये गये।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का गठन** किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव परिक्रमा** सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

वातावरण सृजन :

नियोजन प्रक्रिया के दौरान जनपद की विभिन्न बस्तियों एवं समुदायों के साथ विचार विमर्श एवं उनका सहयोग प्राप्त कर योजना को मूर्त रूप दिया गया। इन समुदायों के साथ विचार विमर्श के दौरान इस अभियान के उद्देश्यों एवं शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में विस्तृत एवं व्यापक चर्चा की गयी।

ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :

ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों की सक्रिय भागीदारी हेतु इनके प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें नवनिर्वाचित शिक्षा समितियों का संदर्भ प्रशिक्षण, पुनः प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं ५ वर्ष के अन्तराल पर नवीन चयनित शिक्षा समितियों का संदर्भ प्रशिक्षण एवं उन्हें भी प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जाना है।

नवाचार शिक्षा (कम्प्यूटर शिक्षा) :

वाराणसी जिले में प्रयोगात्मक तौर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा का प्राविधान किया गया था जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव में आशातीत वृद्धि हुई। इसी प्रकार का प्रयोग इस जिले में किये जाने का प्रस्ताव है और प्रत्येक विकासखण्ड में केन्द्रीय विद्यालय मे एक कम्प्यूटर की व्यवस्था इस अभियान के अन्तर्गत किये जाने का प्रस्ताव है तथा इसी प्रकार प्रत्येक बी०आर०सी० पर एक कम्प्यूटर का प्राविधान किया गया है। इसके लिये प्रति कम्प्यूटर तथा उसकी केबिन के लिये कुल रु. १.७० लाख की यूनिट कास्ट प्रस्तावित है।

विद्यालयों की स्थिति उन्नति करने में सामुदायिक भूमिका :

सूक्ष्म नियोजन उपरान्त विद्यालय में जो समस्यएँ हैं उनका निराकरण करने में समुदाय के लोग सहयोग प्रदान करेंगे। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाऐगी। जहाँ विद्यालय के लिए भूमि नही है अथवा कम भूमि है वहाँ पर ग्रामवासियें सहयोग से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। बच्चें को खेलने के लिए मैदान उपलबध कराया जायेगा तथा इस बात की जानकारी दी जायेगी कि बिना खेल के बच्चा सीख नही सकता अतः खेल का मैदान आवश्यक है।

विद्यालय में बागवानी हेतु समुदाय को गतिशील बनाया जायेगा :

आकर्षक परिवेश हेतु बागवानी का विशेष महत्व है। इसके लिए वृक्षारोपण, पुष्पवाटिका हेतु जानकार लोगों की सहायता ली जायेगी उन्हीं से पौध आदि की व्यवस्था कराकर विद्यालय में उनका रोपण कराया जायेगा। उद्यान विभाग के सहयोग से बागवानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर विद्यालय को आकर्षक बनाया जायेगा।

साज–सज्जा में सहयोग :

विद्यालय में फर्नीचर, टाट–पट्टी, श्याम पट्ट, चाक, शैक्षिक उपकरण आदि की व्यवस्था में ग्राम के जानकार एवं अनुभवी लोगों की मदद ली जायेगी तथा ग्राम शिक्षा समिति की मदद ली जायेगी। गरीब बच्चों के लिए समुदाय के लोगों से उनके गणवेश, स्लेट, पेंसिल, कापी आदि सामग्री की व्यवस्था के लिए सहयोग लिया जायेगा। प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरष्कृत करने की व्यवस्था भी समुदाय से करायी जायेगी।

विद्यालय सुदृढ़ीकरण में सक्रियता :

कक्ष निर्माण, भवन की मरम्मत, चार दिवारी निर्माण, मिट्टी भराव, विद्यालय प्रांगण की भूमि ऊँची–नीची होने पर समतल कराने हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा।

विद्यालय परिवेश निर्माण में सहयोग :

वातावरण एवं परिवेश आकर्षक बनाने में बच्चें के गणवेश का विशेष महत्व है। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों एवं जानकार लोगों की मदद से विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए गणवेश की व्यवस्था करायी जायेगी। जिससे बच्चें अलग से आकर्षक एवं शिष्ट लगे और अन्य बच्चों से उनकी पृथक से विशिष्ट पहचान हो तथा स्कूल न जाने वाले बच्चे अपने को अपराध भावना से देखे और स्वयं भी विद्यालय जाने के लिए तैयार हो सकें।

राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य पर्वों पर चेतना जागृति :

राष्ट्रीय पर्वों में प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जन सहयोग लिया जायेगा। अपवंचित वर्ग के अभिभावकों एवं बच्चों को इससे जोड़ा जायेगा। प्रतियोगिता आयोजित कर सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को पुरस्कृत कर इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

अध्यापक सहयोग :

समुदाय के शिक्षित लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जायेगा कि वे विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए समय दें तथा अध्यापक के कार्य में सहयोग करें।

विद्यालय पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण में सहयोग :

ग्राम के सम्मानित व्यक्ति शिक्षित एवं जागरूक अभिभावकों को इस बात के लिए गतिशील बनाया जायेगा कि वे अपना विद्यालय की भावना से विद्यालय का सतत पर्यवेक्षण करते रहे और मासिक रूप से उसका अनुश्रण भी करें तथा शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तरोत्तर संवर्द्धन हेतु अपना रूकारात्मक सहयोग प्रदान करें।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लिए जनपद स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनायी जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क टॉप अप्रेज़ल तथा फील्ड अप्रेज़ल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठिया का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समावार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के ।। रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

अध्याय-9

गुणवत्ता संवर्द्धन

जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता का परिदृश्य

पीलीभीत जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिये वर्ष 1997 में बेसिक शिक्षा परियोजना आरम्भ की गई थी। परियोजना के अन्तर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण/अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग - समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. सह-समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बन्ध में 5 दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक - अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण, कार्यक्रम संचालित किया गया। यह अनुभव किया गया कि बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित रहे जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नही प्रदान किया जा सका यथा -

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षक की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नही दिया जा सका।
2. अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6-8 तथा 1-5 के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं - कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नही लाया गया।
3. मकतब, मदरसों में अध्ययनरत बच्चों तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सके।

1. जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या - 1002

2. जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या - 185+53

3. जनपद में माध्यमिक विद्यालयों की सं0 (कक्षा 6, 7, 8 संचालित है।)- 185

4. जनपद में ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की संख्या - 150

2. स्कूल पूर्व शिक्षा -

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में स्कूल पूर्व शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 150 केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इन पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय-सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चे खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

डी.पी.ई.पी. की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रू0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रू0 1500 भी प्रदान किया गया। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यावेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

इस सुविधा से काफी प्रभाव पड़ा है -

1. बच्चों का विद्यालयों में नामांकन बढा है।
2. बालिकाओं के नामांकन में भी वृद्वि हुई है।
3. बच्चों मे विद्यालय में रूके रहने की आदत विकसित हुई है।
4. शिक्षा के प्रति बच्चो में रूचि बढ़ी है।
5. जो बच्चे विशेषतौर पर लड़कियां जो छोटे भाई बहनों की देखरेख की वजह से विद्यालय नहीं आती थीं, आने लगी हैं।

शिक्षकों /शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी ।

विद्यालय सुविधायें

प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय भवन के रख,रखाव हेतु प्रति वर्ष 5000/- का अनुदान दिया जायेगा । 2000/- प्रति वर्ष विद्यालय विकास अनुदान दिया जायेगा।

अतिरिक्त कक्षा कक्ष

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में 411 एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय में 240 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की मानक के अनुसार आवश्यकता हैं ।इसके उपरान्त सभी प्राथमिक विद्यालय तीन कक्षीय एंव उच्च.प्राथमिक विद्यालय पांच कक्षीय हो जायेगें। अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनवाने हेतु बर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 में कमशः निम्न विवरण के अनुसार लक्ष्य रखा गया हैं।

क्र0स0	वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग
1	प्राथमिक	50	150	150	61	411
2	उच्च प्राथमिक	28	50	125	37	240

जनपद में 68 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे है जिनमें शौचालय नहीं हैं।शौचालय निर्माण का लक्ष्य निम्नवत हैं-

क्र0स0	वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग
1	उच्च प्राथमिक	10	20	20	18	68

जर्जर विद्यालय भवन

जनपद में 45 प्राथमिक विद्यालय भवन एंव 27 उच्च प्राथमिक भवन जर्जर अवस्था में हैं अथवा भवनहीन जिनकें पुनः निर्माण की आवश्यकता हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इनके निर्माण का लक्ष्य निम्नवत हैं-

क्र0स0	वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग
1	प्राथमिक	10	15	15	5	45
2	उच्च प्राथमिक	10	10	7	0	27

जनपद में कोई प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसा नही है जहां पेयजल व्यवस्था नही हो।इसहलिये पेयजल व्यवस्था का कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है।

ग्राम शिक्षा समिति :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करती हैं।

डी.पी.ई.पी. में जनपद पीलीभीत में डायट के नेतृत्व में ग्राम शिक्षा समितियों की तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे:—

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति – संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न पहलू संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूल के क्रियाकलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूल न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

8 c A

मध्य सत्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण के द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि लगभग 50 प्रतिशत विद्यालयों में ही ग्राम शिक्षा समितियों की नियमित बैठकों का आयोजन होता है।

समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय पर्व पर, विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम आयोजन के अवसर पर भी समुदाय के लागों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है, बच्चों की प्रगति जानने के लिए अभिभावकों को आमंत्रित किया जा सकता है। शिक्षण के समय तथा प्रशिक्षण के समय भी समुदाय के लोगों को कक्षा में शिक्षण देखने के लिए आमंत्रित किये जाने की आवश्यकता है।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर बच्चों की शिक्षा में परिवार की महत्वपूर्ण भूनिका है। अभिभावक के जागरूक होने पर बच्चों का विद्यालय में नामांकन व नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने में सहयोग मिलता है। यदि माता–पिता शिक्षित हैं या परिवार के अन्य सदस्य, भाई–बहन शिक्षित हैं तो बच्चों को गृहकार्य करने में मदद मिलती है। छोटी कक्षाओं के बच्चों को उच्च कक्षाओं की तुलना में अभिभावकों से अधिक सहयोग मिलता है। शिक्षित अभि भावकों में अपेक्षाकृत शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश अभिभावक कम पढ़े–लिखे या निरक्षर हैं और कृषि कार्य में लगे होते हैं ऐसी स्थिति में वे बच्चों की शिक्षा में सहयोग नहीं दे पाते हैं और न ही उनकी शिक्षा के प्रति ध्यान दे पाते हैं। शहरी क्षेत्रों में परिषदीय विद्यालयों में अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। इनके माता–पिता या अभिभावक अधिकांशतया मजदूरी का कार्य करते हैं तथा स्वंय भी शिक्षित नहीं होते हैं। इस लिए इन परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा में कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा के लिए बच्चों को शिक्षकों का ही एक मात्र सहयोग है।

शिक्षकों को सहयोग समर्थन की व्यवस्था :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पीलीभीत के नेतृत्व में शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु–ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। डी.पी.ई.पी. के पूर्व 'एस. ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थी वे इस प्रकार हैं –

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों, के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और

प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।

- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा सका।
- प्रशिक्षण के उपरांत "फालोअप" खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत संचारत् शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों– परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट के लिए जिला स्तर पर डायट, ब्लाक स्तर पर बी.आर.सी समन्यवयकों की व्यवस्था है। प्रतिमाह एन.पी.आर.सी समन्यवयकों द्वारा विद्यालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण किया जाता है। तथा शिक्षकों को शैक्षिक तथा विद्यालय परिवेश सम्बन्धी समस्याओं के लिए आवश्यक समाधान सुझाये जाते हैं। बी.आर.सी समन्यवयकों के लिए भी आवश्यक समाधान सुझाये जाते हैं। बी.आर.सी समन्यवयकों एवं डायट के मेन्टर द्वारा भी समय–समय पर विद्यालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण कर सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं अकादमिक पर्यवेक्षण की इस प्रकार की व्यवस्था तो है लेकिन इन सुझावों का कार्यरूप में परिणति नहीं अथवा कम हो पा रही है। इसको प्रभावी बनाये जाने के लिए उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए डायट संकाय के सदस्यों निरीक्षक वर्ग, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी समन्यवकों को तीन दिवसीय "शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं" के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है। राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरामीटर/इन्डीकेटर्स का प्रयोग करते हुए विद्यालयों बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी को श्रेणी बद्ध किया जाना सुनिश्चित है। जनपद में स्कूलों की ग्रेडिंग के अनुसार स्थिति सारणी 9.1 के अनुसार निम्नवत् है –

जनपद में स्कूलो की ग्रेडिंग के अनुसार स्थिति -

सारिणी - 9: 1

विकास खण्ड	स्कूलो की सं0 जिनका निरीक्षण हुआ	श्रेणी				पर्यवेक्षक डायट मेन्टर, शिक्षक प्रशिक्षण के सुझाव बिन्दु
		ए	बी0	सी0	डी	
बिलसण्डा	123	03	26	65	29	
बीसलपुर	116	02	44	57	13	
वरखेंज	85	02	09	37	37	
ललौरी. खेड़ा	112	01	17	37	57	
अमरिया	116	01	14	89	13	
पूरनपुर	45	01	18	23	03	
मरौरी	122	18	33	34	17	

स्रोत: डायट, बीसलपुर, पीलीभीत.

उपरोक्त ग्रेडिंग व्यवस्था अधिकांशतया भौतिक वातावरण पर आधारित है इसमें शैक्षिक वातावरण को भी समाहित करने की आवश्यकता है जिससे कक्षा में सीखने सिखाने के महौल में और प्रगति हो।

विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षक के दौरान जो मुद्दे/समस्याएं चिन्हित की जाती है उनका निस्तारण मासिक बैठकों कार्यशालाओं में किया जाता है। सहयोग एवं समर्थन

की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की दिशा में कुछ अन्य नवाचार किये जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक- प्रशिक्षण विवरण -

प्राथमिक स्तर -

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को पाँच चक्र प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। गत दो वर्षो में शिक्षकों को दो चक्र का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रथम चक्र का प्रशिक्षण डायट स्तर तथा बाद में ब्लाक स्तर पर आयोजित किये गये। ब्लाक स्तर पर ब्लाक समन्वयकों द्वारा प्रशिक्षणों की व्यवस्था की गयी। दूसरे चक्र प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये गये इनकी व्यवस्था ब्लाक समन्वयक द्वारा की गयी थी।

प्रशिक्षण देने के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को खुली चयन प्रतियोगिता के द्वारा चयनित किया गया और उनको टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण प्रदान किया गया प्रथम वर्ष में टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण डायट स्तर पर तथा जनपद से बाहर राज्य स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाता है। द्वितीय चक्र प्रशिक्षण के लिए भी प्रशिक्षकों का चयन प्रतियोगिता के द्वारा किया गया तथा उनका टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण जनपद से बाहर दिया गया। इस वर्ष तृतीय चक्र प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों का चयन किया गया तथा उनका प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है। शिक्षकों के तृतीय चक्र प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर बी0आर0सी0 में माह जून 2001 तक पूर्ण कर लिये जायेगे।

प्रथम चक्र प्रशिक्षण "शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षक" दस दिवसीय आयोजित किये गये। इस प्रशिक्षण के मुख्य विन्दु थे -

1. शिक्षकों को अभिप्रेरित कर अपने दायित्वों के प्रति जागरूक बनाना।
2. शिक्षकों में बच्चों के प्रति समझ विकसित करना। सीखने सम्बन्धी बच्चों की कठिनाईयों को समझना और उनके प्रति संवेदनशील बनाना।
3. शिक्षण मे बच्चों की सक्रियता और भागीदारी बढाना।
4. कक्षा का वातावरण जिज्ञासा पूर्ण बनाना।
5. सहायक सामग्री के प्रयोग से शिक्षण में रोचकता लाना।

6. गतिविधि आधारित शिक्षण करना।

7. वंचित वर्ग विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा में कठिनाइयों के प्रति संवेदीकरण तथा स्थानीय समुदाय से सहयोग प्राप्त करना।

द्वितीय चक्र प्रशिक्षण "सबल" प्राथमिक स्तर पर गत वर्ष प्रदान किया गया था जिसकी व्यवस्था ब्लाक स्तर पर ब्लाक समन्वयकों द्वारा की गयी। इस प्रशिक्षण के मुख्य विन्दु निम्नांकित थे -

1. "विषय वस्तु" आधारित प्रशिक्षण।

2. दक्षताधारित शिक्षण पर प्रबल

3. सहायक सामग्री निर्माण एवं प्रयोग की जानकारी।

4. विभिन्न विषयों के लिए गतिविधियों का निर्माण करना एवं उनके द्वारा शिक्षण करना।

उच्च प्राथमिक स्तर -

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए डी0पी0ई0पी0 योजना मे प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नही है। इस दृष्टि से इन शिक्षको के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

जनपद में कार्यरत शिक्षको की शैक्षिक योग्यता व अनुभव की स्थिति का विवरण -

सारिणी - 9-1-अ

शैक्षिक योग्यता	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1. शिक्षकों की कुल संख्या	1976	570
2. हाई स्कूल से कम योग्यता धारी शिक्षक	34	-
3. केवल हाई स्कूल उतीर्ण	438	10
4. केवल इण्टर मीडिएट उतीर्ण (अप्रशिक्षित)	102	01

5. स्नातक (अप्रशिक्षित)	03	-
6. परा स्नातक (अप्रशिक्षित)	02	-
7. इण्टर मीडिएट एवं '(प्रशिक्षित)	879	347
8. स्नातक एवं प्रशिक्षित	351	142
9. परा स्नातक एवं प्रशिक्षित	167	70

स्रोत - बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पीलीभीत

सारिणी से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में 34 शिक्षक हाई स्कूल से कम योग्यता वाले है जिन्हे विभिन्न विषयों की विषय वस्तु का ज्ञान देने की विशेष आवश्यकता होगी। शिक्षकों में 107 शिक्षक अप्रशिक्षित है जिन्हे प्रशिक्षण सम्बन्धी वाल मनोविज्ञान की जानकारी, शिक्षण विधियों की जानकारी, तथा अन्य शिक्षण विधाओं की जानकारी दिये जाने की आवश्यकता होगी।

सारिणी - 9.2-ब

शिक्षण अनुभव	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1. 5 वर्ष से कम	357	96
2. 5 से 10 वर्ष तक	422	68
3. 10 से 15 वर्ष तक	337	73
4. 15 से 20 वर्ष तक	277	88
5. 20 से 25 वर्ष तक	169	81
6. 25 से 30 वर्ष तक	210	112
7. 30 वर्ष से अधिक	204	32

स्रोत: बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पीलीभीत

सारिणी व से स्पष्ट होता है कि जनपद मे 357 शिक्षक 5 वर्ष से कम अनुभव बाले है इनको छोटे वच्चों को शिक्षण विधाओं वहु कक्षा शिक्षण, विद्यालय, समय सारिणी, कक्षा प्रबन्धन आदि की विशेष जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। सारिणी के अनुसार 414 शिक्षक 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा

अवधि वाले है। इनके ज्ञान को नवीन विषय वस्तु के अनुसार अद्यतन करने की आवश्यकता होगी साथ ही नवीन पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण करने के लिए इनको जानकारी दिये जाने की आवश्यकता होगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर भी सारिणी अ को देखने से स्पष्ट होता है कि 10 शिक्षक हाई स्कूल की योग्यता वाले है। इन्हे भी पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विषयो की नवीन जानकारी दिये जाने की आवश्यकता होगी। सारिणी ब के अनुसार 357 शिक्षक 5 वर्ष या कम शिक्षक अनुभव वाले है इन्हे भी कक्षा कक्षा की प्रक्रिया ।बच्चो के व्यवहार बहुकक्षा शिक्षण सम्बन्धी विधाओं से परिचित कराने की आवश्यकता होगी। जो शिक्षक 25 वर्ष से अधिक सेवा अवधि के है इन्हे भी नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी देने की आवश्यकता होगी।

योग्य उत्साही तथा नवाचार कार्यक्रमों को संचालित करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित/पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। विद्यालय का भवन उसके आस पास का वातावरण स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए शिक्षकों छात्रों तथा अभिभावकों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा कक्षा की दीवारों पर वर्णमाला, अंक ज्ञान सम्बन्धी चार्ट कहानी चित्रण आदि बनवाने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव -

पर्यवेक्षकों शिक्षकों से वार्ता करने तथा बच्चो से जानने पर पता चला है कि शिक्षकों में जागरूकता बढी है सहायक सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हो रहा है, बच्चो की कक्षा में भागीदारी बढ़ी है। गतिविधियों के प्रयोग से विशेषकर छोटी कक्षाओं (1,2व3) के बच्चों में रूचि बढी है और उनके लिए शिक्षा आनन्द दायी हुई है। बच्चे कक्षा में सक्रिय नजर आते है।

प्राथमिक विद्यालयों में एक ही स्थान पर दो या अधिक कक्षाए लगाई जाती है जिससे गतिविधि आधारित शिक्षण मे दूसरी कक्षाओं के शिक्षण मे बाधा उत्पन्न होती है साथ ही गतिविधियों के लिए कक्षा में पर्याप्त स्थान नही मिल पाता है। एकल अध्यापक विद्यालयों में सभी कक्षाओं के संचालन में भी कठिनाई होती है।

अभी बी0आर0सी0 भवन पूर्ण नहीं हुए थे इसलिए ब्लाक स्तर पर भी प्रशिक्षण वैकल्पिक स्थलों पर आयोजित किये गये जिसमें पर्याप्त स्थान न मिल पाने के कारण कठिनाई अनुभव हुई। प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर आयोजित करने से शिक्षकों को सुविधा हुई। प्रशिक्षण जिन उददेश्यों को लेकर किये गये वे ठीक थे।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत जनपद पीलीभीत में बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया–

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉडयूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एव सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।
3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बंध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक–अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

समन्वयकों की भूमिका :

बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं–

1. बी.आर.सी. संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।
   - विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप
   - विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।
   - वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
   - शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
   - एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
   - इ.एम.आई.एस. के आंकड़ों का संकलन।
   - डायट के मार्गदर्शन में विकास खंड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका–

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रिक बिन्दु एन.पी.आर. सी. हैं। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर–विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केंन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।

प्रोत्साहन योजनाएँ :

प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गई हैं। जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रो के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला।

बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव बनाये रखने के लिए विद्यालयों में बच्चों के लिए छात्रवृत्ति पोषाहार योजना तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की योजनाएं संचालित हैं। इन सुविधाओं से अभिभावकों को सहायता मिलती है। और बच्चों का नामांकन विद्यालयों में बढ़ा है तथा ह्रास की समस्या पर भी अंकुश लगा है। छात्रवृत्ति का लाभ अनुसूचित जाति अनु0 जन जाति के सभी बालक बालिकाओं के पिछड़ा वर्ग के, प्रति कक्षा कुछ बच्चों को दिया जाता है। पोषाहार योजना का लाभ विद्यालय के सभी बालक बालिकाओं को प्रतिमाह प्राप्त होता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत की गयी है। जिसमें कक्षा–1 से 5 तक के अनुसूचित जाति के सभी बालक बालिकाएं तथा अन्य वर्गों की सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रति वर्ष वितरित की जाती हैं। तथा इससे 1.15 लाख बालक तथा बालिकाएं लाभान्वित हुए हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन किया गया है। इस क्रम में बेसलाइन एसेसमेन्ट स्टडी तथा मिड टर्म एसेसमेन्ट स्टडी (2000) में की गई है। इन अध्ययनों के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्थिति निम्नवत् है–

बेस लाइन स्टडी तथा मध्यावधि स्टडी के अनुसार छात्रों की उपलब्धि

कक्षा 1 भाषा में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनुसूचित जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	41.95	38.35	35.00	40.30	52.9
मध्यावधि सर्वे	60.50	77.78	77.7	79.3	79.3
उपलब्धि में वृद्धि	**18.55**	**39.53**	**37.7**	**39.0**	**26.4**

स्रोत- विभागीय आँकड़े

कक्षा 1 गणित में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनु. मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	47.57	37.71	35.57	45.14	51.71
मध्यावधि सर्वे	73.93	81.97	85.6	85.7	83.6
उपलब्धि में वृद्धि	26.36	44.26	50.03	40.56	31.89

स्रोत- विभागीय आँकड़े

कक्षा-5 भाषा में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक	बालिक	अनु.	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य वर्ग
बेस लाइन सर्वे	43.98	42.26	41.58	43.29	48.07
मध्यावधि सर्वे	50.89	45.26	56.8	56.7	55.4
उपलब्धि में वृद्धि	7.00	3.00	15.22	13.41	7.33

स्रोत- विभागीय आँकड़े

कक्षा-5 गणित में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक	बालिका	अनु.	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य वर्ग
बेस लाइन सर्वे	32.87	32.77	31.8	32.4	36.57
मध्यावधि सर्वे	45.42	41.81	49.22	45.2	41.7
उपलब्धि में वृद्धि	12.65	9.04	17.42	12.8	5.13

स्रोत- विभागीय आँकड़े

इन तालिकाओं से स्पष्ट है कि कक्षा-1 व कक्षा-5 में गणित एवं भाषा दोनों में बच्चों का उपलब्धि स्तर बढ़ा है। किन्तु कक्षा-5 में उपलब्धिमें वृद्धि बहुत कम हो पाई है। अत: गणित एवं भाषा हेतु विशेष शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

कक्षा-1 भाषा में छात्रों की उपलब्धि

स्तर		बालक (307)		बालिका (306)		योग (613)	
न्यूनतम अधिकतम स्तर से कम	संख्या/प्र.श.	20	6.5	21	6.9	41	6.7
न्यूनतम अधिकतम स्तर	संख्या/प्र.श.	35	11.4	43	14.1	78	12.7
न्यूनतम अधिकतम कम से अधिक	संख्या/प्र.श.	252	82.1	242	79.0	494	80.6

स्रोत- विभागीय आँकड़े

कक्षा-1 गणित में छात्रों की उपलब्धि

स्तर		बालक (307)		बालिका (306)		योग (613)	
न्यूनतम अधिकतम स्तर से कम	संख्या/प्र.श.	17	5.54	14	4.58	31	5.06
न्यूनतम अधिकतम स्तर	संख्या/प्र.श.	20	6.51	19	6.21	39	6.36
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	संख्या/प्र.श.	270	87.95	273	89.21	543	88.58

स्रोत- विभागीय आँकड़े

कक्षा-4 भाषा में छात्रों की उपलब्धि का स्तर

स्तर		बालक (335)		बालिका (248)		योग (583)	
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	संख्या/प्र.श.	43	12.8	23	9.3	66	11.3
न्यूनतम अधिगम स्तर	संख्या/प्र.श.	161	48.1	122	49.2	283	48.5
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	संख्या/प्र.श.	161	39.1	103	41.5	234	40.2

कक्षा-4 में गणित में उपलब्धि का स्तर

स्तर		बालक (335)		बालिका (248)		योग (583)	
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	संख्या/प्र.श.	155	46.3	108	43.5	263	45.1
न्यूनतम अधिगम स्तर	संख्या/प्र.श.	115	34.3	96	38.7	211	36.2
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	संख्या/प्र.श.	65	19.4	44	17.8	109	18.7

मध्य सत्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर पता चलता है कि 6.5 प्रतिशत बालक, 6.9 प्रतिशत बालिकाएं कुल 6.7 प्रतिशत बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नही कर सके कक्षा-1 गणित मे 5.54 प्रतिशत बालक, 4.58 प्रतिशत बालिकाएं कुल 5.06 प्रतिशत बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नही कर सके।

कक्षा 4 भाषा में 12.8 प्रतिशत बालक 9.3 प्रतिशत बालिकाएं कुल 11.3 प्रतिशत बच्चे न्यनूतम अधिकतम स्तर प्राप्त नही कर सके।

कक्षा 4 गणित मे 46.3 प्रतिशत बालक 43.5 प्रतिशत बालिकाएं कुल योग 45.1 बच्चे न्यूनतम अधिकतम स्तर प्राप्त नही कर सके।

इस प्रकार जो बच्चे न्यूनतम अधिगम प्राप्त नहीं कर सके उनके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

विशेष रूप से कक्षा-4 गणित में लगभग 45.1 प्रतिशत बच्चे न्यूनतम अधिगम प्राप्त नही कर सके गणित विषय के निदान मे बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

विशेष बच्चों के बारे में-

समाज में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। सभी बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन हो, ठहराव हो और वे निर्धारित स्तर की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

समाज में कुछ बच्चें ऐसे भी हैं जो विद्यालयी शिक्षा से वंचित रह जाते है इनमें बाल श्रमिक खेतिहर बाल श्रमिक, मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे, विकलांग बच्चें आते है जो अपनी कठिनाईयों/समस्याओं, परिस्थतियों के कारण विद्यालय नही आ पाते हैं। इनके विद्यालय से न जुड़ने के कारण शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं होता है।

इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनके माता पिता तथा अभिभावकों से सम्पर्क कर उनसे मानसिक रूप से जुड़कर उनकी सोंच में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा।

इन बच्चों में आत्मविश्वास जगाने की आवश्यकता है।

इन विशेष बच्चों की पहचान कर उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षकों को डायट स्तर पर विशेष रूप से प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अत: इन बच्चो के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करनें में असमर्थ रहते है और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा मे प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्राय: पार कर जाते हैं अत: इनका प्रवेश कक्षा1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

स्कूलों की कक्षाओं की स्थिति -

परिषदीय विद्यालय	एक शिक्षक विद्यालय	दो शिक्षक विद्यालय	तीन शिक्षक विद्यालय	चार शिक्षक विद्यालय
प्राथमिक स्तर	267	328	187	106

स्रोत : बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत।

विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में 22.5 प्रतिशत विद्यालय एक शिक्षक वाले 28.5 प्रतिशत विद्यालय दो शिक्षक वाले है 20.6 प्रतिशत तीन अध्यापक वाले तथा 11.2 प्रतिशत चार शिक्षक वाले विद्यालय है। इस स्थिति में अधिकांश विद्यालयों मे एक अध्यापक को एक समय में एकसाथ कई कक्षाएं पढ़ानी पड़ती है। इसके लिए शिक्षकों को बहु कक्षा शिक्षण विधियों की जानकारी होनी चाहिए। अत: उन्हें बहुकक्षा शिक्षण का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता होगी।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी जनपद में बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति बनी हुई है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भाषा गणित विज्ञान के विषयों के लिए विशेष प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए तभी वह इन विषयों का शिक्षण ठीक प्रकार से कर सकतें है।उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रोन्नति देकर नियुक्त किया जाता है इससे वांछित स्तर के योग्य शिक्षक नही मिल पाते हैं जिससे बहुत से विद्यालयों में एक सामान्य अध्यापक को विशिष्ट विषयों का शिक्षण करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को विषयों के नवीन ज्ञान का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जिससे शिक्षक इन विषयों का शिक्षण उचित प्रकार से कर सके।

प्रभावी शिक्षण में सहायक सामग्री के उपयोग का बहुत महत्व है। जहाँ तक शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा शिक्षण की बात हैं देखने में आया है कि इसका प्रयोग कम हो रहा है। प्राथमिक स्तर पर तो सहायक सामग्री का प्रयोग देखने को मिलता है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसका प्रयोग बिल्कुल नही हो पाता है। विषय वस्तु को मौखिक या श्याम पट पर अंकित करके ही बोध कराया जाता है। अत: उच्च प्राथमिक विद्यालय मे प्रयोगशाला की आवश्यकता है इसके लिए ब्लाक स्तर पर किसी केन्द्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अथवा विकास खण्ड के किसी माध्यमिक विद्यालय को संकुल विद्यालय बनाकर उसमे प्रयोग शाला की सामग्री दी जायेगी और इन्ही विद्यालयों में विकास खण्ड के विद्यालयों को प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान की जायेगी।

स्कूल भ्रमण, शिक्षकों से विचार-विमर्श के दौरान शिक्षक अपनी शैक्षिक कठिनाईयां इस प्रकार बताते है -

1. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नही है जिससे एक समय मे एक साथ एक से अधिक कक्षाएं पढ़ानी पड़ती है।
2. अन्य विभागीय कार्यो में लगा दिये जाने के कारण शिक्षण के लिए पर्याप्त समय नही मिलता है।

3. अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नही है जिससे बच्चों को वे नियमित विद्यालय नही भेजते व उन्हें घरेलू कार्यो में अक्सर लगा दिया जाता है।
4. बच्चों को गृह कार्य पूरा करने में अभिभावकों से सहयोग नहीं मिलता जिससे वे गृहकार्य पूरा करके नहीं ला पाते है।
5. विभिन्न पाठों के शिक्षण के लिए शिक्षण सहायक सामग्री के बनाने व प्रयोग करने की पर्याप्त जानकारी नही है। जानकारी दी जाने की आवश्यकता है।
6. विज्ञान, गणित के कुछ कठिन स्थलों के शिक्षण में भी कठिनाई है जिसकी जानकारी दी जाने की आवश्यकता है।
7. उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे आते है वे पूरी तरह तैयार नहीं होते हैं नवीन ज्ञान देने में कठिनाई होती है उन्हें समझाने में अधिक समय लगता है।
8. उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी विषयों के अध्यापक नही है सामान्य विषयों के अध्यापकां को गणित, विज्ञान, भाषा विषय पढ़ाने पड़ते है।

प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सपोर्ट की व्यवस्था के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर एन.पी.आर.सी. ब्लाक स्तर पर बी.आर.सी. है। उच्च प्राथमिक विद्यालय इस व्यवस्था से आच्छादित नही है। उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है यह शैक्षिक सपोर्ट उच्च प्राथमिक विद्यालयों को डायट द्वारा जनपद स्तर पर तथा संकुल विद्यालयों के द्वारा ब्लाक स्तर पर किसी माध्यमिक विद्यालय या केन्द्रीय विद्यालय को संकुल विद्यालय बनाकर दी जा सकती है।

समुदाय शिक्षकों से किस तरह की अपेक्षाएं रखता है इसकी जानकारी समुदाय से सम्पर्क एवं प्रशिक्षण के दौरान तथा संस्थान द्वारा वर्ष 99-2000 में डायट द्वारा लैब एरिया के 5 विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों से अभिभावकों की अपेक्षाएं विषय पर शोध/सर्वेक्षण के द्वारा यह बाते उभर कर सामने आयी।

1. अभिभावक अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते है। वह चाहते है कि विद्यालय में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो।
2. शिक्षक नियमित रूप से शिक्षण कार्य करें व अन्य कार्यो में उन्हें न लगाया जाये।
3. विद्यालय में बच्चों को नैतिक शिक्षा भी दी जाये जिससे इनमें अच्छे संस्कार विकसित हों।
4. विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी होना चाहिए।

इन निष्कर्षो के आधार पर समुदाय की आवश्यकताओं/अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकांश बच्चों के अभिभावक निरक्षर है या अपने कृषि कार्यो में लगे हैं जिससे वे बच्चों की शिक्षा में कोई सहयोग नही दे पाते है। इसलिए विद्यालय में ही ऐसी

व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिससे बच्चों को सीखने के अधिक अवसर प्राप्त हो सकें।

एस. एस. ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद पीलीभीत में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और स्तूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद– विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः सी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा–बहुस्तरीय

शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तकों पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस हेतु रू0 42 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानित है।

तथा रू0 42 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में विज्ञान तथा समाजिक विषय और मूल्यांकन पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 की दर से अनुमानितः है। तथा रू0 42 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।
3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 की दर से अनुमानित है। तथा इस हेतु रू0 42 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 की दर से रू0 42 लाख अनुमानित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।

2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वांगम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

डी.पी.ई.पी. के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी, अतः उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु० 70 की दर से अनुमानतः रु० 10 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय

के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 10 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 10 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 10 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 10 लाख

प्रस्तावित है।

प्रशिक्षणों में दूरस्थ शिक्षा माध्यम का अधिकतम उपयोग किया जायेगा।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड में कुल 07 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

2– जेण्डर सेंसिटाइजेशन –

कक्षा में बालिकाओं के प्रति व्यवहार में संवेदनशीलता लाने हेतु बी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी जिसमें प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय से एक शिक्षक प्रतिभाग करेंगे।

3– नेतृत्व प्रशिक्षण

सभी उ0 प्र0 वि0 के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व प्रशिक्षण तथा समय प्रबंधन एवं विद्यालय–प्रबंधन का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा तथा इसके लिए प्रशिक्षण माडयूल का विकास सीमेट इलाहाबाद के सहयोग से डायट द्वारा किया जायेगा।

4– अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. **शिक्षामित्र /आचार्य जी प्रशिक्षण**– जनपद के 443 शिक्षामित्रों तथा 106 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।
2. **वैकल्पिक शिक्षा** – जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफेशर

प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 100 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार 'आधारशिला' (भाग । व ।।) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जावेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी / एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण**– डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया जा रहा है। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इनके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. ए.बी.एस.ए. एस.डी.आई प्रशिक्षण– जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के

नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए एस.डी.आइ. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास स्तीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.सी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई.जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.–।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशोधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी., एन.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे। सभी प्रकार के प्रशिक्षणों के अनुभवों को विभिन्न स्तरों पर शेयरिंग की जायेगी तथा इनका डाक्यूमेन्टेशन भी किया जायेगा।

शिक्षण समय को बढ़ाना :

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी

का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारिणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में 200 दिन कुल कार्य दिवस के लिए खुला। निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ तथा 165 दिवस शिक्षण के लिए उपलब्ध हुए।

सारणी – 1

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण दिवस	165	165
परीक्षा	10	10
अन्य कार्य	15	15
नष्ट हो जाने वाले दिन	10	10
समुदाय से संपर्क	10	10

स्रोत – डायट, पीलीभीत

सारणी

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार –

	प्राथमिक स्तर वादन /समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन/समय
भाषा–1 हिन्दी	प्रति घंटा 40 मिनट x 9	40 मिनट x 9
भाषा–2 अंग्रेजी	प्रति घंटा 40 मिनट x 3	40 मिनट x 5
भाषा–3 संस्कृत	प्रति घंटा 40 मिनट x 3	40 मिनट x 5
विज्ञान	प्रति घंटा 40 मिनट x 4	40 मिनट x 6
गणित	प्रति घंटा 40 मिनट x 8	40 मिनट x 10
सामाजिक विषय	प्रति घंटा 40 मिनट x 4	40 मिनट x 6
समाजोपयोगी कार्य	प्रति घंटा 40 मिनट x 5	40 मिनट x 4
कला शिक्षण	प्रति घंटा 40 मिनट x 4	40 मिनट x 3
अन्य प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा	प्रति घंटा 40 मिनट x 8	40 मिनट x 3
कृषि शिक्षा पर्यावरणीय अध्ययन		

स्रोत – डायट, पीलीभीत

उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 165 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 165 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समय के अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 1.20 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 180 लाख रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 2.25 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेंगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 40 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 60 लाख व्यय होगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

7– गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका –

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार

कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी. , एन. पी. आर. सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यक्रम" को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यकमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए. वी.एस.ए./एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्यों को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डाइट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ शिक्षा विद, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं। अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से क्षमता विकास कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूल का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इस प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से व

करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान कर एन.पी.आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार क्रमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रक्रिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओ के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान में डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी. बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।

3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद हैं। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर 'क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी' भी की जायेगी।

एक्शन रिसर्च :–

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
3. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
4. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
5. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
6. कार्य–निष्पादन के आधार पर बिहिनत कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
7. विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
8. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ
9. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।
10. जहां बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर कम है उसके कारणों की पहचान।

11. विद्यालयों के सन्दर्भ में समुदाय के सहयोग के अभाव के कारण का अध्ययन ।
12. बच्चों की विद्यालय में अनियमित उपस्थिति के कारणों का अध्ययन
13. मध्यान्तर के पश्चात विद्यालय से छात्रों के पलायन के कारणों का विश्लेषणात्मक निरूपण
14. अध्यापकों के पठन् पाठन के स्तर में वृद्धि हेतु प्रत्येक 6 माह बाद मूल्यांकन ।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रेपिटिशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली को जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित हैं किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर की जायेगी तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान के नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्नियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र / आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		30 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मेटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वे0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला (हिन्दी / स्थानीय बोली)	सिन्हित शिक्षक शिक्षिकाए	03 दिन
21	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक सदर्भ समूह की क्षमता	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन

	विकास कार्यशाला		
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु 'सेल्फ लर्निंग मेटीरियल' का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन
28.	बाल श्रमिकों हेतु संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों हेतु शिक्षण सामग्री का विकास	डायट संकाय सदस्य तथा शिक्षक	05 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी.आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेंगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर त्रासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यों का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इन्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।

- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका–

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

12. नवाचार कार्यक्रम –

1. डायट द्वारा विभिन्न ग्रामों के जन–समुदाय जिसमें ग्राम शिक्षा समिति, स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावक, व्यवसाय करने वाले बच्चों के अभिभावक, ग्राम प्रधान, सम्मिलित थे तथा न्याय पंचायत संकुल प्रभारी, उच्च प्रा. वि. के प्रधानाध्यापक के साथ एफ.जी.डी. के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि जो बच्चे अपने व्यवसाय में संलग्न होने के कारण विद्यालय में नहीं जाते है या जिन्होंने प्रथमिक स्तर की पढ़ाई,पूर्ण कर विद्यालय जाना बंद कर दिया है, उन्हें पुनः विद्यालय में लाने के लिए ठहराव बनाए रखने के लिए तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु कौशल विकास में दक्ष करने के लिए कार्यानुभव, प्रशिक्षण बहुत प्रभावी होगा। इसी प्रकार यदि लड़कियों को उनकी इच्छानुसार, फैशन डिजाइनिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फूड प्रजर्वेशन आदि का प्रशिक्षण देने से उनका उ.प्रा. स्तर पर विद्यालय में ठहराव बनाए रखने के लिए सहायता मिलेगी।

इससे पूर्व बी0 ई0 पी0 जनपदों में उ0प्रा0वि0 में बालिकाओं के लिए इसका पाइलट प्रोजेक्ट चलाया जा चुका है, जिसके परिणाम बहुत सकारात्मक रहे है। इससे न केवल बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है, अपितु उनका ठहराव भी बना रहा है।

बालिकाओं केलिये कार्यानुभव कार्यक्रम उनके ठहराव में अत्यन्त सहायक होता है। ठहराव पर प्रभाव की दृष्टि से किये गये अध्ययन के अनुसार (Evaluation of the Pilot Project of work experience for girls of upper primary schools in UP, 1998 C.K. Misra) जिन स्थानों पर यह योजना सचालित की गई वहाँ कोई भी छात्रा विद्यालय से 'ड्राप आउट' नही हुई। यह निष्कर्ष इस धारणा की पुष्टि करता है कि कौशल विकास के कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के धारण में मदद करते है।

इस आधार पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में सचालित किया जायेगा। इस हेतु सर्वप्रथम जनपद के सभी विकासखण्डों में तीन तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों /कच्चा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। इस कार्य में यह योजना है कि प्रत्येक उ0प्रा0वि0 की स्थानीय आवश्यकता के आधार पर वहां बच्चों को ऐसे कौशल में प्रशिक्षित किया जाए ।

कार्यानुभव प्रशिक्षण इस प्रकार नियोजित किया जायेगा कि एक बार विद्यालय में कच्चा माल उपलब्ध कर दिया जाएगा। उस कच्चे माल से जो सामान तैयार होगा उसका विक्रय करके प्राप्त बचत धनराशि में से कुछ अंश बालक–बालिकाओं को पारिश्रमिक के रूप में प्रदान किया जाएगा तथा मूल धनराशि से पुनः कच्चा माल लिया जाएगा। इस प्रकार से यह प्रक्रिया निरंतर बिना किसी अतिरिक्त बोझ के चलती रहेगी। उक्त कार्यानुभव प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र की आवश्यकता के आधार पर सभी उ0प्रा0 विद्यालय में लागू किया जाएगा।

2. बच्चों के लिए सामग्री विकास :

पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर पूरक शिक्षण सामग्री विकसित की जायेगी। जिसमें स्थानीय उपलब्ध विशेषज्ञों जनपद स्तर की विभूतियों, भौगोलिक ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी आदि हो सकती है। इनको प्रचलित पाठ्यक्रम के साथ साथ रखा जायेगा जिससे बच्चे अपने स्थानीय महत्व के स्थानों महान व्यक्तियों आदि के बारे में जान सकें एवं उनसे प्रेरणा ले सकें इस मैटेरियल के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास किये जायेंगे। विषय वस्तु के विकास के लिए विभिन्न स्तरों प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक के शिक्षकों स्थानीय शिक्षा विदों समाज सेवी व्यक्तियों की कार्यशालाए आयोजित की जायेगी। उपलब्ध स्थानीय साहित्य से भी योगदान लिया जायेगा।

3. कक्षा की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी बढाना -

ग्राम शिक्षा समितियों के गठन के माध्यम से समुदाय को विद्यालय से जोडनें का प्रयास किया गया है। ग्रामशिक्षा समितियों की बैठकें प्रतिमाह आयोजित किये जाने की व्यवस्था है लेकिन व्यवहारिक रूप में यह देखने में आता है।कि बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं होती है और जब आयोजित होती है तो इनका मुख्य केन्द्र विद्यालय परिसर की समस्याओं तक ही रहता है। बच्चों की उपलब्धि पर कोई चर्चा नहीं होती है समुदाय की भागीदारी को इस ओर भी बढाया जायेगा। इसके लिए समुदाय के लोगों अभिभावकों को कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया देखने के लिए आमंत्रित करेंगे जिससे उनमें बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो और बच्चों की शिक्षा पर विद्यालय के साथ साथ घर पर भी ध्यान दिया जाये। समय समय पर अभिभावकों को उनके बच्चो की उपलब्धि से भी अवगत कराया जायेगा। विद्यालय के वार्षिक समारोह में अच्छी उपलब्धि के लिए बच्चो को सम्मानित किया जायेगा। ऐसा करके स्थानीय अच्छे कार्यकताओं का विद्यालय शिक्षण में सहयोग भी मिल सकेगा। विद्यालय से जुडकर समुदाय इसे अपना ही अभिन्न अंग स्वीकार कर सकेगा। यह सोच विद्यालय की प्रगति/विकास में महत्वपूर्ण होगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण -

डायट बीसलपुर पीलीभीत में डायट भवन तथा छात्रावास पूर्व निर्मित है। डायट भवन दो मंजिला है ऊपरी मंजिल पर एक कक्षा कक्ष तथा प्रसाधन कक्ष का निर्माण कार्य अपर्ण है इसे पूर्ण करने की आवश्यकता है जिससे पर्याप्त कक्षों की व्यवस्था हो

डायट भवन वर्ष 1991 में निर्मित हुआ है भवन की छत तथा छात्रावास की छतों की मरम्मत की आवश्यकता है। खिडकियों की मरम्मत की आवश्यकता है। छात्रावास में भी खिड़कियों की मरम्मत की आवश्यकता है।

डायट के लिए 200 मेज तथा 200 कुर्सी कक्षा कक्ष के लिए आवश्यकता है। छात्रावास के लिए 50 तखत, 100 गददा, 100 कम्बल, 100 तकिया, 100 बेड़ शीट की आवश्यकता है।

संस्थान के लिए 5 किलोवाट के एक जनरेटर की आवश्यकता है एक फोटोकापियर की भी आवश्यकता है। एक बडे 53 सेमी. रंगीन टी0वी0 क्रय करने की आवश्यकता है।

संस्थान के पास कम्पयूटर लैब नहीं है एक कम्प्यूटर लैब की आवश्यकता है एक कम्प्यूटर तथा एक प्रिन्टर भी क्रय किये जाने की आवश्यकता है।

संस्थान पुस्ताकलय के लिए फर्नीचर/अलमारियो की आवश्यकता है।

सारिणी 9.25

मद	आवश्यकता		
नवीन भवन	कम्प्यूटर लैब रीडिंग रूम शौचालय	-	-
मरम्मत/रखरखाव	डायट भवन एवं छात्रावास भवन की छत खिड़कियों की मरम्मत डायट भवन की ऊपरी मंजिल के अपूर्ण कक्षा कक्ष व प्रसाधन कक्ष का निर्माण।	-	-
उपकरण/साज- सज्जा जनरेटर फोटो कापी पर टेलीविजन VCD/ACD प्लेयर कम्प्यूटर फर्नीचर	जनरेटर-1 5 कि.मी. वाट फोटो कापीयर एक रंगीन टी.वी. 53 से.मी. एक कम्प्यूटर-1, प्रिन्टर-1	-	-
	200 कुर्सी		
	200 मेज, छात्रावास में 50 तख्त, 100 गद्दा, 100 चादर, 100 कम्बल, 100 तकिया।		
पुस्तकालय	फर्नीचर-1, अलमारी 50 कुर्सी, 50 मेज, 10 अलमारी।		

सारिणी 9.26

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता का सम्वर्द्धन -

मद	सृजित	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	01	01	-
उप प्राचार्य	01	01	-
वरिष्ठ प्रवक्ता	06	01	05
प्रवक्ता	17	03	14
कार्यानुभव शिक्षक	01	01	-
तकनीकी सहायक	01	01	-
सांख्यिकीकार	01	01	-
प्रतिनियुक्ति पर तैनात प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की संख्या	04	-	04

संकाय के सदस्यों के कौशल विकास सम्बन्धी विवरण -

संकाय के सदस्यों को कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है जिससे प्रशिक्षणों आदि के आयोजन तथा दैनिक कार्यों के सम्पादन में सुविधा हो सके।

1. समेकित शिक्षा हेतु संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाना।
3. लाइब्रेरी संचालन व्यवस्था हेतु एक सदस्य को प्रशिक्षित किया जाना।
4. शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किये जाने हेतु प्रशिक्षण।
5. मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरणों/टेस्ट के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण।
6. क्रियात्मक शोध सम्बन्धी प्रशिक्षण।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमों का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रू. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र– छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण

भवन का विस्तार

		अनुमानित लागत (रू०लाख में)
1.	कार्यालय भवन के एक अतिरिक्त तल (द्वितीय तल) का निर्माण	40.00
2.	एक सभाकक्ष का निर्माण	8.00
3.	एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण	2.00
	योग	50.00 लाख

उपकरण / साज सज्जा

1.	कम्प्यूटर,(4) प्रिंटर्स, यू.पी.एस.	6.00
2.	फोटोकापियर	1.50
3.	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी–मेज	1.00
4.	जनरेटर, वाटर कूलर, डुपलिकेटिंग मशीन, फैक्स मशीन	1.50
	योग	10.00 लाख

आवर्तक (प्रतिवर्ष)

1.	क्रियात्मक शोध / अध्ययन	2.00
2.	कार्यशालाएं / सेमीनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कंटिन्जेन्सी	1.00
5.	वाहन रख–रखाव / पी.ओ.एल.	0.50
	योग	10.00 लाख

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम्प्यूटर का प्रावधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिये सामग्री विकास के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे। सूचना तकनीक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री के विकास में भी ये कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली:-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

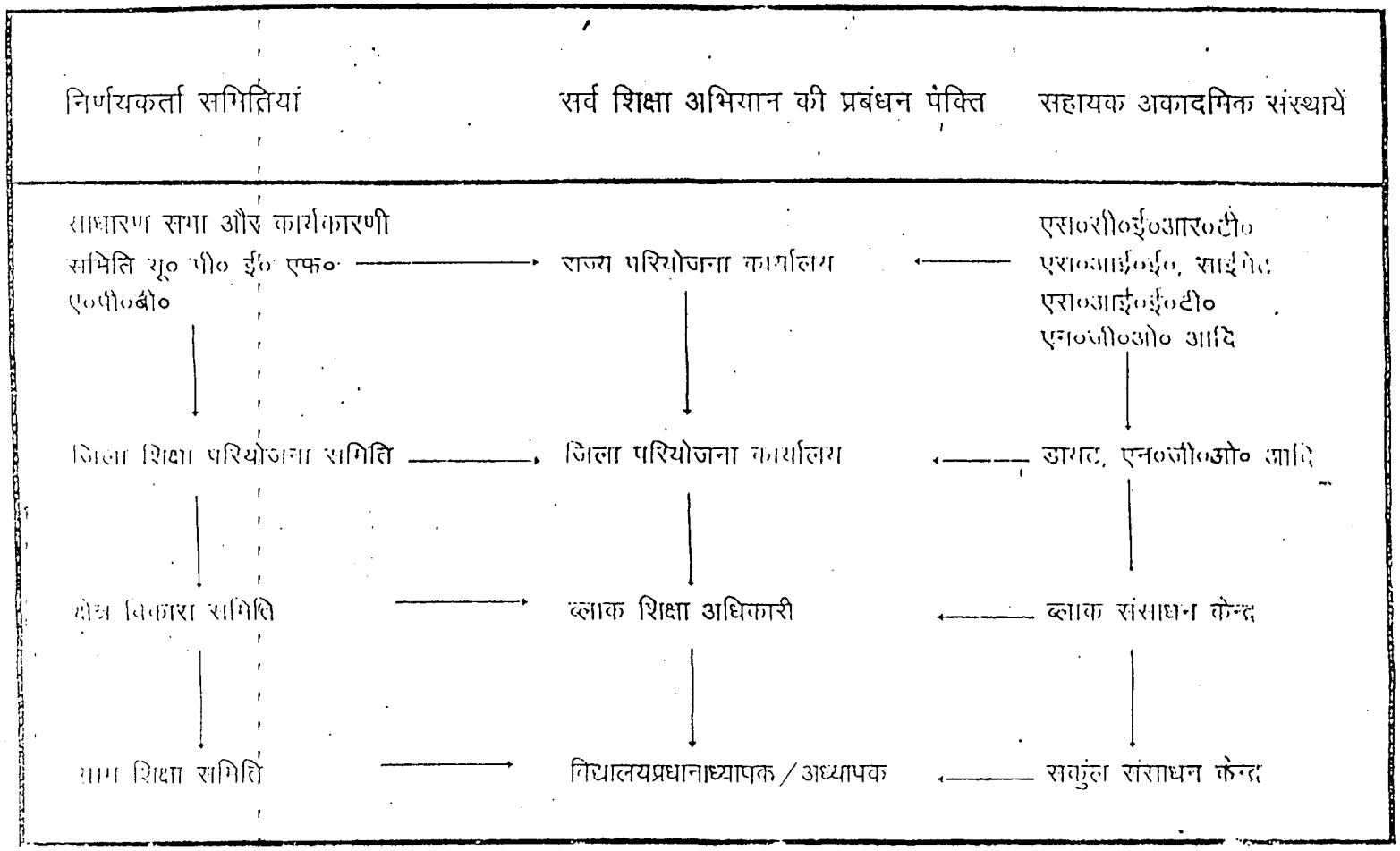
निर्णयकर्ता समितियां
सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति
सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी
समिति यू० पी० ई० एफ०
ए०पी०बी०
राज्य परियोजना कार्यालय
एस०सी०ई०आर०टी०
एस०आई०ई०, साई०ए०
एस०आई०ई०टी०
एन०जी०ओ० आदि
जिला शिक्षा परियोजना समिति
जिला परियोजना कार्यालय
डायट, एन०जी०ओ० आदि
क्षेत्र विकास समिति
ब्लाक शिक्षा अधिकारी
ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति
विद्यालयप्रधानाध्यापक / अध्यापक
समूह संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया।जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:-

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वंहा एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जावेंगे। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड़) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परीषद में सुधार, शैक्षिक उपकरनों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारंभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित हैं-

1.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य - सचिव

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालयें सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगे:-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एंवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/ बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कर्राना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन विल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के सापेक्ष यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचनों के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड़ के अर्न्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, डी0पी0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है -

- जिलाधिकारी - अध्यक्ष
- मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य-सचिव
- प्राचार्य डायट - सदस्य
- जिला श्रम अधिकारी - सदस्य
- जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य
- वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा) - सदस्य
- अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.) - सदस्य
- अधिशासी अभियंता(पी0डब्ल्यू0डी0) - सदस्य
- जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य
- दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से) - सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित

- दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम-से (एक वर्ष के लिये)
- दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके

निर्णय प्रभावी होगें। प्रवेश. धारण, गुणवत्ता संर्वधन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य - सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशो के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावनयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन	जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1	प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4	प्रतिनियुक्ति अथवा निगत वेतन पर
4.	सलाहकार	2	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस अधिकारी	1	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक	3	रू. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1	नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अर्न्तगत कोई भी पद सृजित नहीं है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति-उप विद्यालय निरिक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्वय की तरह करेगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निमार्ण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्थाः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददेश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निमार्ण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत निधारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निमार्ण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नही दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एंव क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफटवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकंडे उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफटवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेगें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपार्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार

कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षणः-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।

3. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमैट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे।प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोगः-

ई0एम0आई0एस0 आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेट्र्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। इन इन्डीकेट्र्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकडों के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ट होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगाः-

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित वस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठयपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडी:-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम:-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अर्न्तगत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रवंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 वेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे:-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षों की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यक्तानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आकडों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम् से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वम सेवी सस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी सयुंक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिय शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

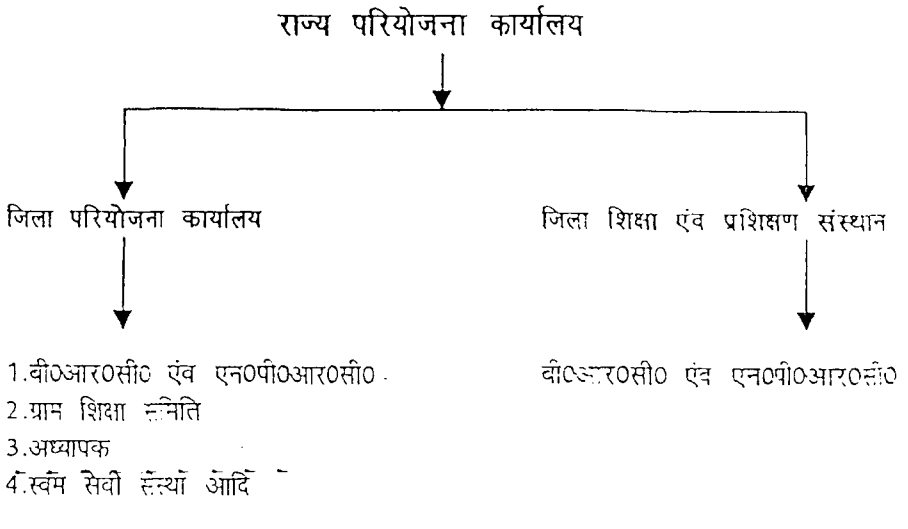

सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत सम्पादित सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपेन्डेन्ट आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापनाः-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा। औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी.एम.आई.एस. रिपार्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेंगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगें।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86वें संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में 05 ..... प्राथमिक एवं 05 ..... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	250	
2005-06	—	
2006-07	—	
योग कुल लक्ष्य	250	(2002-2007)

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
PILIBHIT

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	20	5180	0	0	5	1280	0	0	25	6460
A2	New Upper Primary Schools	451	24	10824	81	22680	0	0	5	1400	0	0	110	34904
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	72	7560	72	8640	72	8640	72	8640	72	8640	360	42120
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	20	270	20	495	25	618.75	25	618.75	90	2002.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	20	1080	20	2160	25	2700	25	2700	90	8640
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	243	14580	243	29160	258	30960	258	30960	1002	105660
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	20	200	0	0	5	50	0	0	25	250
A8.2	UPS	50	42	2100	81	4050	0	0	5	250	0	0	128	6400
A9	TLE UPS not covered OBB	50	67	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	67	3350
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		0	**23834**	0	**56680**	0	**40455**	0	**45898.75**	0	**42918.75**		**209786.5**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	106	2239.25	106	2239.25	106	2239.25	106	2239.25	424	8957
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	40	845	40	845	40	845	40	845	160	3380
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	0	0	50	1800	100	3600	100	3600	250	9000
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	1	180	0	0	0	0	2	360
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	73	2467.4	0	0	50	1690	0	0	123	4157.4
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**23834.00**	0	**62411.65**	0	**45769.25**	0	**54523.00**	0	**49853.00**	**0**	**236390.90**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	10	1910	15	2865	15	2865	5	955	45	8595
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	10	3830	10	3830	7	2681	0	0	27	10341
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	50	3500	150	10500	150	10500	61	4270	411	28770
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	30	2100	28	1960	50	3500	125	8750	37	2590	270	18900
R4.1	Toilets Upper Primary	10	30	300	10	100	20	200	20	200	18	180	98	980
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	0	0	250	2500	0	0	0	0	250	2500
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1000	5000	1020	5100	1020	5100	1020	5100	4060	20300
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	185	925	185	925	185	925	265	1325	270	1350	1090	5450
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]	[illegible]	< 48	0	0	0	0	883	21854.25	1611	39872.25	1085	4 206.75	4159	102836.25
	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	726	69696	779	74784	733	0368	2238	214848
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2 25	0	0	883	11920 5	728	18018	54	1336 5	55	1361.25	1720	32636.25
R10.1	School Improvement grant(p a./school) Ps	2	0	0	1020	2040	1020	2040	1025	2050	1025	2050	4090	6180
R10 2	School Improvement grant(p a /school) UPs	2	185	370	265	530	265	530	270	540	270	540	1255	2510
R12	**Promoting Girls Education**		0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938
R12 1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	10	45	10	45	5	22.5	25	112 5
R12 2	MCDA	75	0	0	0	0	3	225	3	225	3	225	9	675
R12 3	Meena Manch	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	15	375	15	375	10	250	40	1000
R12.5	Trg /Refresher courses for Gender Coordinators	0 07	0	0	0	0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13 3	Additional Honn Of Instructor + Worker(per mth)	0.38	0	0	0	0	150	562 5	150	562.5	150	562.5	450	1687.5
R13 4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	150	225	150	225	150	225	450	675
R13 5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16 1	MTA/PTA training for 2 days per person	0 07	0	0	0	0	0	0	140	392	0	0	140	392
R16 2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	73	365	73	365	73	365	219	1095
R16.3	Trg of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	593	264 64	593	264.64	593	284.64	593	284.64	2372	1138.56
R17	Award to Best VEC (2 no)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	1500	0	0	7	466.9	7	466.9	0	0	14	2433.8
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog	60	0	711	0	5000	7	420	7	420	0	0	14	6551
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RETENTION Sub Total		0	**6844**	0	**37000.14**	0	**144828.7**	0	**153366.19**	0	**131909.04**	**0**	**473648.06**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	126	264.6	200	420	728	1528.8	54	113 4	55	115.5	1163	2442.3
Q1.2	Induction Trg For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	726	1524.6	53	111.3	54	113.4	833	1749.3
Q1 3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1 4	0	0	2930	4102	2930	4102	3671	5139 4	3823	5352.2	13354	18695.6
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1 05	0	959	732	768 6	1098	1152 9	1264	1327.2	1416	1486.8	4510	5694.5
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	883	1236.2	1611	2255.4	1665	2331	4159	5822.6
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0 07	0	0	0	0	146	306.6	146	306.6	146	306.6	438	919.8
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	14	9.8	14	9.8	14	9.8	42	29.4
Q1.8	Trg Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0 07	0	0	0	0	73	51.1	73	51.1	73	51 1	219	153.3
Q1.9	Trg Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.10	ABSA/SDI Trg (/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	14	4.9	14	4 9	14	4 9	42	14.7
Q2	IED Provision for disable children	1 2	0	266 4	596	715.2	625	750	675	810	700	840	2596	3381.6
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 4	Pre Int grated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17 2 th /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	2560	1280	2560	1280	2570	1285	2570	1285	10260	5130
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	811	405.5	1452	726	1480	740	1495	747.5	1495	747.5	6733	3366.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	90456	4522.8	110838	5541.9	120857	6042.85	137530	6876.5	459681	22984.05
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	46491	6973.65	30940	4641	35315	5297.25	37500	5625	40501	6075.15	190747	28612.05
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1392	208.8	0	0	1392	208.8	2784	417.6
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1020	15300	1020	15300	1020	15300	3060	45900
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	385	2887.5	385	2887.5	385	2887.5	1155	8662.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	QUALITY Sub Total		0	**8869.15**	0	**17175.6**	0	**41947.35**	0	**42041.95**	0	**44016.75**		**154050.8**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	1	60	0	0	0	0	1	60
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	1	50	0	0	1	50	2	100
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	2	52	3	78	2	52	7	182
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	7	70	7	70	7	70	21	210
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	7	42	7	42	7	42	7	42	28	168
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	7	14	7	14	7	14	21	42
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	0	0	7	70	0	0	7	70
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	7	35	7	35	7	35	7	35	28	140
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.11	Contigency	12.5	0	0	7	87.5	7	87.5	7	87.5	7	87.5	28	350
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	73	365	0	0	73	365
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	73	73	73	73	73	73	73	73	292	292
C3.4	Contingency	2.5	0	0	73	182.5	73	182.5	73	182.5	73	182.5	292	730
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	73	175.2	73	175.2	73	175.2	73	175.2	292	700.8
C4	District Project Office/Management		0	510	0	2570	0	0	0	0	0	0	0	3080
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	7	1260	7	1260	7	1260	21	3780
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	7	126	7	126	7	126	21	378
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	12	120	12	120	12	120	36	360
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	7	840	7	840	7	840	21	2520
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per schoc PS	1.4	0	0	1000	1400	1020	1428	1020	1428	1020	1428	4060	5684
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	0	317.8	185	259	291	407.4	315	441	396	554.4	1187	1979.6
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	**827.8**	0	**4824.2**	0	**6011.6**	0	**6396.2**	0	**6098.6**		**24158.4**
C5	MIS		0	0	0	0	0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	554	0	0	0	0	0	0	1	554
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	0	0	1	20	2	40
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	1	30
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAPACITY Sub Total		0	**827.8**	0	**5378.2**	0	**6336.6**	0	**6631.2**	0	**6323.6**	**0**	**25497.4**
	GRAND TOTAL		0	**40375.0**	0	**121965.59**	0	**238581.89**	0	**256562.34**	0	**232102.39**	**0**	**889587.16**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention												**PILIBHIT**
			2002-03		**2003-04**		**20004-05**		**2005-06**		**2006-07**		**Total**
Civil			13224.0		39160.0		23395.0		27676.0		7995.0		111450.0
Management			317.8		1659.0		5046.4		4990.0		5093.4		17660.6
Programme			26833.2		81146.6		210140.5		223896.3		219014.0		760476.6
Total			**40375.0**		**121965.6**		**238581.9**		**256562.3**		**232102.4**		**889587.2**
Percentage - Civil			**32.8**		**32.1**		**9.8**		**10.8**		**3.4**		**12.5**
Percentage - Management			**0.8**		**1.4**		**2.1**		**1.9**		**2.2**		**2.0**
Percentage - Programme			**66.5**		**66.5**		**88.1**		**87.3**		**94.4**		**85.5**
Percentage - Total			100		100		100		100		100		100